रजिस्ट्री सं० डी० 222 REGISTER2ED No.D. 222

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 34] नई दिल्ली, शनिवार, अगस्त 25, 1973/ भाद्र 3, 1895
No. 34] NEW DELHI, SATURDAY, AUGUST 25, 1973/BHADRA 3, 1895

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) केन्द्रीय प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गये विधिक आदेश और अधिसूचनाएं

Statutory orders and notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) by Central Authorities (other than the Administration of Union Territories),

मंत्रिमण्डल सचिवालय
(कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग)
आदेश

नई दिल्ली, 9 अगस्त, 1973

वि. मु० विनि० अधि०

का.आ. 2395—विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1947 (1947 का 7) की धारा 2ख द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार वित्त मंत्रालय (राजस्व और बीमा विभाग) के आदेश सं० 1/68-वि० मु० विनि० अधि०/फा० सं० 1/3/68, तकनीकी समन्वय, तारीख 21 मई, 1968 को अधिक्रान्त करते हुए केन्द्रीय सरकार प्रवर्तन के सभी अधिकारियों को जो प्रवर्तन अधिकारी के या उससे ऊपर के रैंक के हैं, उक्त अधिनियम की धारा 19ट के अधीन प्रवर्तन निदेशक की सभी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करती है।

[सं० 409/3/72-ए०वी०डी० (4)]

CABINET SECRETARY
(Department of Personnel and Administrative Reforms)
ORDER
New Delhi, the 9th August, 1973
F E R. A

S.O. 2395.—In exercise of the powers conferred by section 2B of the Foreign Exchange Regulation Act, 1947 (7 of 1947), and in supersession of the Order of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue and Insurance) No. 1/68-FERA/F. No. 1/3/68-Tech Coord, dated the 21st May, 1968, the Central Government hereby authorises all officers of Enforcement of and above the rank of Enforcement Officer, to exercise all the powers of the Director of Enforcement under Section 19F of the said Act.

[No. 409/3/72-AVD(IV)]

आदेश

का.आ. 2396—विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1947 (1947 का 7) की धारा 2ख द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व और बीमा विभाग) के आदेश सं० 2/69-वि० मु० विनि० अधि०/फा० सं० 1/3/68 तकनीकी समन्वय, तारीख 5 जुलाई, 1969 को अधिक्रान्त करते हुए केन्द्रीय सरकार प्रवर्तन के सभी अधिकारियों को जो प्रवर्तन अधिकारी के या उससे ऊपर के रैंक के हैं, उक्त अधिनियम की धारा 19च के अधीन प्रवर्तन निदेशक की सभी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करती है।

[सं० 409/3/72-ए०वी०डी०-(4)]

के० एल० रामाचन्द्रन, अवर सचिव

61 G of I/73—1

ORDER

S.O. 2396.—In exercise of the powers conferred by section 2B of the Foreign Exchange Regulation Act, 1947 (7 of 1947) and in supersession of the Order of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue and Insurance) No. 2/69-FERA/F. No. 1/3/68-Tech. Coord. dated the 5th July, 1969, the Central Government hereby authorises all officers of Enforcement of and above the rank of Enforcement Officer, to exercise all the powers of the Director of Enforcement under Section 19F of the said Act.

[No. 409/3/72-AVD(IV)]

K. L. RAMACHANDRAN, Under Secy.

नई दिल्ली 13 अगस्त, 1973

का.आ. 2387—संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक तथा अनुच्छेद 148 के खण्ड (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति, आपात् कालीन कमीशन-प्राप्त निर्मुक्त अधिकारी और लघु सेवा कमीशन प्राप्त निर्मुक्त अधिकारी (रिक्त स्थानों का आरक्षण) नियम, 1971 में और आगे संशोधन करने के लिए एतद्द्वारा निम्नलिखित नियम बनाते है, अर्थात् .—

1. (1) ये नियम निर्मुक्त आपात् कालीन आयुक्त अधिकारी और अल्प सेवा आयुक्त अधिकारी (रिक्तियों का आरक्षण) दूसरा संशोधन नियम, 1973 कहे जा सकेंगे।

(2) ये सरकारी राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

2. आपात्कालीन कमीशन प्राप्त निर्मुक्त अधिकारी और लघु सेवा कमीशन प्राप्त निर्मुक्त अधिकारी (रिक्त स्थानों का आरक्षण) नियम, 1971 के नियम 3 के उपनियम (ग) के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :—

"(ग) "निर्मुक्त करना" अभिव्यक्ति का अभिप्राय—

सशस्त्र सेनाओं के कुछ अवधि की सेवा के पश्चात्

(1) निर्मुक्त होने के निर्धारित वर्ष को निर्मुक्त किये जाना।

(2) सैनिक सेवा के कारण विकलांग होने अथवा उसके गंभीर रूप धारण करने के कारण अयोग्य ठहराये जाने से है,

परन्तु प्रशिक्षण के दौरान या उसे समाप्त होने के बाद या वास्तविक सेवा में लिये जाने के पूर्व ऐसे प्रशिक्षण की अवधियों को सम्मिलित करने के लिए प्रदान किये गये अल्प सेवा कमीशन की अवधि में या उसके समाप्त होने के बाद निर्मुक्त किए जाने से नहीं है और न ही इसके अन्तर्गत ऐसे अधिकारी आते हैं जो कदाचार या अक्षमता या अपनी निजी अनुरोध पर निर्मुक्त किए गए हो।"

[सं० एफ०-9/25/72-स्थापना(ग)]

जे० एस० आहलुवालिया, अवर सचिव

New Delhi, the 13th August, 1973

S.O. 2397.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 and clause (5) of article 148 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Released Emergency Commissioned Officers and Short Service Commissioned Officers (Reservation of Vacancies) Rules, 1971, namely—

1. (1) These rules may be called the Released Emergency Commissioned Officers and Short Service Commissioned Officers (Reservation of Vacancies) II Amendment Rules, 1973.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Released Emergency Commissioned Officers and Short Service Commissioned Officers (Reservation of Vacancies) Rules, 1971, in rule 3, for sub-rule (c), the following sub-rule shall be substituted, namely—

"(C) the expression 'release' means

(i) release as per the Scheduled year of release;

(ii) invalidment owing to a disability attributable to or aggravated by military service.

from the Armed Forces after a spell of service, but not during or at the end of training,, or during or at the end of Short Service Commission granted to cover periods of such training prior to being taken in actual service, nor does it cover cases of officers released on account of misconduct or inefficiency or at their own request."

[No. F. 9/25/72-Ests. (C)]

J. S. AHLUWALIA, Under Secy.

विधि, न्याय एवं कम्पनी कार्य मंत्रालय

(न्याय विभाग)

नई दिल्ली, 10 अगस्त, 1973

का.आ. 2393—यतः हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति ने, राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से, श्री एच० सी० पाटी त्रिपाठी से, जिन्होंने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायधीश के पद पर कार्य किया है, हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय में न्यायधीश के रूप में पदासीन होकर कार्य करने का अनुरोध किया है।

और यतः श्री एच० सी० पाटी त्रिपाठी ने उक्त उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में पदासीन होकर कार्य करने की सहमति दे दी है।

यतः, अब, राष्ट्रपति भारत के संविधान के अनुच्छेद 224क का अनुसरण करते हुए एतद्द्वारा निर्णय करते है कि उक्त श्री एच० सी० पाटी त्रिपाठी, उस अवधि के दौरान, जिसमें वे हिमाचल प्रदेश के उच्च न्यायालय में न्यायधीश के रूप मे पदासीन कार्य करेंगे, वे इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप मे उन्हें जो पेंशन तथा पेंशन के समतुल्य अन्य सेवा निवृत्ति सुविधाएं मिल रही हों वह राशि घटा कर तीन हजार पांच सौ रुपया प्रति मास भत्ता प्राप्त करने के हकदार होंगे।

[सं० 18/2/73-न्याय]

के० त्यागराजन, उप-सचिव

MINISTRY OF LAW, JUSTICE & COMPANY AFFAIRS
(Departmet of Justice)

New Delhi, the 10th August, 1973

S.O. 2398.—Whereas the Chief Justice of the High Court of Himachal Pradesh has, with the previous consent of the President, requested Shri H. C. Pati Tripathi who has held the office of Judge of the Allahabad High Court, to sit and act as a Judge of the High Court of Himachal Pradesh;

And whereas the said Shri H. C. Pati Tripathi has consented to sit and act as a Judge of that High Court;

Now, therefore, in pursuance of Article 224A of the Constitution of India, the President hereby determines that the said Shri H. C. Pati Tripathi shall be entitled, for the period during which he sits and acts as a Judge of the High Court of Himachal Pradesh, to an allowance of rupees three thousand and five hundred per month minus the pension and pension equivalent of any other retirement benefits drawn by him as Judge of the Allahabad High Court.

[No. 18/2/73-Jus.]

K. THYAGARAJAN, Dy. Secy.

वित्त मन्त्रालय

(राजस्व और बीमा विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 20 जून, 1973

का०आ० 2399—धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) की धारा 12क की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, नीचे की सारणी के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट व्यक्तियों को, उक्त सारणी के स्तम्भ (3) में की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट पदनामों सहित मूल्यांकन अधिकारी के रूप में नियुक्त करती है.

सारणी

क्रम सं०	व्यक्तियों के नाम	पदनाम
1	2	3
1.	श्री पी० एन० राव	मूल्यांकन अधिकारी
2.	श्री आर० एस० पाल	—यथोक्त—
3.	श्री पी० सी० सरकार	—यथोक्त—
4	श्री वी० सी० सरन	—यथोक्त—
5.	श्री डी० एल० गुप्ता	—यथोक्त—
6.	श्री पी० आर० गर्ग	—यथोक्त—
7.	श्री आर० एल० हिंगोरानी	—यथोक्त—
8.	श्री एस० एम० ऐरोन	—यथोक्त—
9.	श्री डी० आर० शर्मा	सहायक मूल्यांकन अधिकारी

[सं० 28/का० स० 328/118/72-डब्ल्यू० टी० (भाग II)]

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue and Insurance)

ORDER

New Delhi, the 20th June, 1973

S.O. 2399.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 12A of the Wealth tax Act, 1957 (27 of 1957), the Central Government hereby appoints the persons specified in column (2) of the Table below as Valuation Officers with the designations specified in the corresponding entry in column (3) of the said Table :

TABLE

Sl. No.	Name of Persons	Designation
1	2	3
1.	Shri P. N. Rao	Valuation Officer
2.	Shri R. S. Paul	Do.
3.	Shri P. C. Sircar	Do.
4.	Shri V. C. Sarna	Do.
5.	Shri D. L. Gupta	Do.
6.	Shri P. R. Garg	Do.
7.	Shri R. L. Hingorani	Do.
8.	Shri S. M. Airon	Do.
9.	Shri D. R. Sharma	Assistant Valuation Officer

[No. 28/F. No. 328/118/72: W.T. (Pt .II)]

आदेश

का०आ० 2400—श्री स्वामी डायल, मुख्य अभियन्ता को, जो केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग से प्रतिनियुक्ति पर और प्रादेशिक मूल्यांकन अधिकारी के रूप में नियुक्त है, प्रादेशिक मूल्यांकन अधिकारी (स्थावर सम्पत्ति) दिल्ली के रूप में तैनात किया गया है।

वह आगे आदेश होने तक अपने पद के अतिरिक्त प्रादेशिक मूल्यांकन अधिकारी (स्थावर सम्पत्ति), मद्रास का पद भार संभालेगे।

[स० 29/फा० स० 328/118/72-डब्ल्यू० टी० (भाग 2)]

ORDER

S.O. 2400.—Shri Swami Dial, Chief Engineer, on deputation from Central Public Works Department and appointed as Regional Valuation Officer is posted as Regional Valuation Officer (Immovable Property), Delhi.

He shall held charge of Regional Valuation Officer (Immovable Property) Madras in addition to his own until further orders.

[No. 29/F. No. 328/118/72-W.T. (Pt. II)]

नई दिल्ली, 26 जून, 1973

(सम्पदा-शुल्क)

का०आ० 2401—सम्पदा शुल्क अधिनियम, 1953 (1953 का 34) की धारा 4 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार सहायक आय-कर आयुक्तों को, जो नीचे की सारणी के स्तम्भ 2 मे विनिर्दिष्ट रेंजो के सहायक आय-कर आयुक्त (अपील) के रूप में तैनात है, सम्पदा-शुल्क नियंत्रक (अपील) के रूप में नियुक्त करती है जिनका मुख्यालय नीचे की सारणी के स्तम्भ 3 में यथा विनिर्दिष्ट स्थानो पर होगा :—

सारणी

क्रम सं०	सहायक आय-कर आयुक्त (अपील)	सम्पदा-शुल्क नियंत्रक (अपील)
1	2	3
1.	बी-रेन्ज, पटना	पटना
2	विशेष रेन्ज राची	राची
3.	बड़ोदा रेन्ज-1, बड़ोदा	बड़ोदा
4	राजकोट रेन्ज, राजकोट	राजकोट
5	विशेष रेन्ज, इन्दौर	इन्दौर
6.	विशेष रेन्ज, जबलपुर	जबलपुर
7.	विशेष रेन्ज, बगलौर	बगलौर
8	पटियाला	पटियाला
9	रोहतक	रोहतक
10.	जालन्धर	जालन्धर
11	जम्मू	जम्मू
12.	ए-रेन्ज, जयपुर	जयपुर
13.	पूना रेन्ज-2, पूना	पूना
14.	अकोला	अकोला

2 यह अधिसूचना 2 जुलाई, 1973 से प्रवृत्त होगी।

[स० 30/1973/फा०सं० 301/90/72-सम्पदा-शुल्क]

New Delhi, the 26th June, 1973

ESTATE DUEY

S. O. 2401.—In exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of Section 4 of the Estate Duty Act, 1953 (Act XXXIV of 1953) the Central Government hereby appoints Assistant Commissioners of Income-tax who are posted as Appellate Assistant Commissioners of Income-tax

of the ranges specified in Column 2 of the Table below as Appellate Controllers of Estate Duty with headquarters at places as specified in Column 3 of the Table below :—

TABLE

Sl. No.	A.A.C. of Income-tax	App. Controllers of E. Duty
1	2	3
1.	B-Range, Patna	Patna
2.	Special Range, Ranchi	Ranchi
3.	Baroda Range-I, Baroda	Baroda
4.	Rajkot Range, Rajkot	Rajkot
5.	Special Range, Indore	Indore
6.	Special Range, Jabalpur	Jabalpur
7.	Special Range, Bangalore	Bangalore
8.	Patiala	Patiala
9.	Rohtak	Rohtak
10.	Jullundur	Jullurdur
11.	Jammu	Jammu
12.	A-Range, Jaipur	Jaipur
13.	Poona Range-II, Poona	Poona
14.	Akola	Akola

2. This notification shall come into effect from 2nd July, 1973.

[No. 30/1973 F. No. 301/90/72—E.D.]

का० आ० 2402.— संपदा-शुल्क अधिनियम, 1953 (1953 का 34) की धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार सहायक आय-कर आयुक्तों को, जो नीचे की सारणी के स्तम्भ 2 में विनिर्दिष्ट रेंजों के सहायक आयकर आयुक्त, निरीक्षण के रूप में तैनात है, उप सम्पदा शुल्क नियंत्रक के रूप में नियुक्त करती है जिनका मुख्यालय नीचे की सारणी के स्तम्भ 3 में यथा विनिर्दिष्ट स्थानों पर होगा :—

सारणी

क्रम० सं०	निरीक्षक, सहायक आय-कर आयुक्त	उप-सम्पदा-शुल्क नियंत्रक
1	2	3
1.	रेन्ज-3, हैदराबाद	हैदराबाद
2.	डिब्रूगढ़	डिब्रूगढ़
3.	पटना रेन्ज, पटना	पटना
4.	रांची रेन्ज, रांची	रांची
5.	अहमदाबाद रेन्ज-8, अहमदाबाद	अहमदाबाद
6.	बड़ौदा रेन्ज-2, बड़ौदा	बड़ौदा
7.	राजकोट रेन्ज, राजकोट	राजकोट
8.	एर्नाकुलम रेंज, एर्नाकुलम	एर्नाकुलम
9	इन्दौर रेन्ज, इन्दौर	इन्दौर
10.	जबलपुर रेन्ज, जबलपुर	जबलपुर
11.	रेन्ज-3, बंगलौर	बंगलौर
12.	कटक रेन्ज, कटक	कटक
13.	पटियाला	पटियाला
14.	रोहतक	रोहतक
15.	जालन्धर	जालन्धर
16.	जम्मू	जम्मू
17.	जयपुर रेन्ज-1, जयपुर	जयपुर
18.	इलाहाबाद	इलाहाबाद
19.	देहरादून	देहरादून
20.	बी-रेंज, कानपुर	कानपुर
21.	पूना रेन्ज-2, पूना	पूना
22	अकोला	अकोला

2. यह अधिसूचना 2 जुलाई, 1973 से प्रवृत्त होगी।

[सं० 32/1973/फा० सं० 301/90/72-सम्पदा शुल्क]

एस० बापू, अवर सचिव

S.O. 2402.—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 4 of the Estate Duty Act, 1953 (Act XXXIV of 1953) the Central Government hereby appoints Assistant Commissioners of Income-tax who are posted as Inspecting Assistant Commissioners of Income-tax of the ranges specified in Column 2 of the Table below as Deputy Controllers of Estate Duty with headquarters at places as specified in Column 3 of the Table below :—

TABLE

Sl. No.	I.A.C.	Dy. Controller Estate Duty
1	2	3
1.	Range-III, Hyderabad	Hyderabad
2.	Dibrugarh	Dibrugarh
3.	Patna Range, Patna	Patna
4.	Ranchi Range, Ranchi	Ranchi
5.	Ahmedabad Range-VI, Ahmedabad	Ahmedabad
6.	Baroda Range-II, Baroda	Baroda
7.	Rajkot Range, Rajkot	Rajkot
8.	Ernakulam Range, Ernakulam	Ernakulam
9.	Indore Range, Indore	Indore
10.	Jabalpur Range, Jabalpur	Jabalpur
11.	Range-III, Bangalore	Bangalore
12.	Cuttack Range, Cuttack	Cuttack
13.	Patiala	Patiala
14.	Rohtak	Rohtak
15.	Jullundur	Jullundur
16.	Jammu	Jammu
17.	Jaipur Range-I, Jaipur	Jaipur
18.	Allahabad	Allahabad
19.	Dehradun	Dehradun
20.	B-Range, Kanpur	Kanpur
21.	Poona Range-II, Poona	Poona
22.	Akola	Akola

2. This notification shall come into force with effect from 2nd July, 1973.

[No. 32/1973/F. No. 301/90/72 E.D]

S. BAPU, Under Secy.

नई दिल्ली, 30 जून, 1973

(आय-कर)

का० आ० 2403.—आय कर अधिनियम 1961 (1961 का 43) की धारा 2 के खण्ड (44) के उपखण्ड (iii) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार श्री एस० पी० सक्सेना को जो

केन्द्रीय सरकार के राजपत्रित अधिकारी है, उक्त अधिनियम के अधीन कर वसूली अधिकारी की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करती है ।

2. यह अधिसूचना, जो अधिसूचना सं० 115(फा० सं० 404/24/71-आई टी सी सी), तारीख 16 अप्रैल, 1971 को अधिक्रान्त करती है, तुरन्त प्रवृत्त होगी ।

[सं० 400 (फा० सं० 404/167/73-आई टी सी सी)]

एम० एन० नम्बियार, अवर सचिव

New Delhi, the 30th June, 1973

INCOME-TAX

S.O. 2403.—In exercise of the powers conferred by sub-clause (iii) of Clause (44) of Section 2 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby authorises Shri S. P. Saxena who is a Gazetted officer of the Central Government, to exercise the powers of a Tax Recovery Officer under the said Act.

2. This Notification which supersedes Notification No. 115 (F. No. 404/24/71-ITCC) dated 16th April, 1971 shall come into force with immediate effect.

[No. 400 (F. No. 404/167/73-ITCC)]

M. N. NAMBIAR, Under Secy.

नई दिल्ली, 7 जुलाई, 1973

का० आ० 2404.—सर्वसाधारण की जानकारी के लिए यह अधिसूचित किया जाता है कि नीचे वर्णित संस्था को, भारतीय समाज विज्ञान अनुसंधान परिषद्, विहित प्राधिकारी, द्वारा आय-कर अधिनियम 1961 की धारा 35 की उपधारा (i) के खण्ड (iii) के प्रयोजनों के लिए 1 अप्रैल, 1973 से 3 वर्ष की अवधि के लिए, इस शर्त के अधीन रहते हुए अनमोदित किया गया है कि उक्त संस्था धारा 35(i) (iii) के प्रयोजनो के लिए प्राप्त विधियों के लेखा और अनुसंधान प्रोग्राम जिनके लिए इनका उपयोग किया गया है को, उपवर्णित करने वाली वार्षिक रिपोर्ट भारतीय समाज-विज्ञान-अनुसंधान परिषद् को प्रस्तुत करेगी ।

संस्था

दि इंस्टिच्यूट आफ चार्टर्ड अकाउंटेंट आफ इंडिया, नई दिल्ली ।

[सं० 415 (फा० सं० 203/18/72.आई० टी० ए०-2)]

टी० पी० झुनझुनवाला, उप-सचिव

New Delhi, the 7th July, 1973

S.O. 2404.—It is hereby notified for general information that the institution mentioned below has been approved by Indian Council of Social Science Research, the prescribed authority for the purposes of clause (iii) of sub-section (1) of section 35 of the Income-tax Act, 1961 for a period of three years with effect from 1st April, 1973 subject to the condition that the said Institution would submit to the Indian Council of Social Science Research an annual report setting forth an account of the funds received for purposes of Section 35(1)(iii) and the research programmes for which these are utilised.

INSTITUTION

THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF INDIA, NEW DELHI.

[No. 415 (F. No. 203/18/72-ITA. II)]

T. P. JHUNJHUNWALA, Dy. Secy

आदेश

नई दिल्ली, 25 अगस्त, 1973

(स्टाम्प)

का०आ० 2405.—भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उपधारा (i) के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, उस स्टाम्प शुल्क को, जो उक्त अधिनियम के अधीन मारमुगाओ पत्तन न्यास बंध-पत्रों द्वारा निष्पादित एक करोड़ रुपये के मूल्य के वचनपत्रो पर प्रभार्य है, माफ करती है ।

[सं० 24/73—स्टाम्प फा० स० 471/42/73-सीमा-शुल्क-7]

जे० रामकृष्णन, अवर सचिव

ORDER

New Delhi, the 25th August, 1973

STAMPS

S.O. 2405.—In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (2 of 1899), the Central Government hereby remits the stamp duty with which the promissory notes of the value of one crore of rupees, executed by the Mormugae Port Trust Bonds are chargeable under the said Act.

[No. 24/73-Stamps/F. No. 471/42/73-Cus. VII]

J. RAMAKRISHNAN, Under Secy.

(बैंकिंग विभाग)

नई दिल्ली, 13 अगस्त, 1973

का० आ० 2406.—बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (1949 का 10) की धारा 56 के साथ पठित धारा 53 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक की सिफारिश पर, एतद्द्वारा घोषणा करती है कि उक्त अधिनियम की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबन्ध दी सिटी को-आपरेटिव बैंक लि०, बम्बई पर पहली मार्च, 1973 से 28 फरवरी, 1974 तक की अवधि के लिए लागू नहीं होंगे ।

सं० एफ० 8/2/73-ए०सी०

कृ० भवानी, अवर सचिव

(Department of Banking)

New Delhi, the 13th August, 1973

S.O. 2406.—In exercise of the powers conferred by Section 53 read with Section 56 of the Banking Regulation Act, 1949 (10 of 1949), the Central Government, on the recommendation of the Reserve Bank of India, hereby that the provisions of sub-section (1) of Section 11 of the said Act shall not apply to the City Co-operative Bank Ltd., Bombay from 1st March, 1973 to 28th February, 1974.

[No. F. 8/2/73-AC]

K. BAVANI, Under Secy.

केन्द्रीय प्रत्यक्ष-कर बोर्ड

आदेश

नई दिल्ली, 26 अप्रैल, 1973

(सम्पदा शुल्क)

का०आ० 2407.—सपदा-शुल्क अधिनियम, 1953 (1953 का 34) की धारा 4 की उपधारा (2) के द्वितीय परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इस निमित्त अपनी सभी पूर्वतन अधिसूचनाओ को अधिक्रान्त

करते हुए, केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यह निदेश देता है कि प्रत्येक आय-कर अधिकारी, जिसे सहायक नियंत्रक नियुक्त किया गया है और जिसको संपदा-शुल्क-एवं-आयकर सर्किल, **पटियाला** में तैनात किया गया है, उन सभी मृत व्यक्तियों की सम्पदाओं की बाबत जो अपनी मृत्यु के ठीक पूर्व, आयकर के लिए निर्धारित किए जा रहे थे अथवा निर्धारित किए जाते यदि वे किसी ऐसे आयकर सर्किल में जिसके मुख्यालय.—

(i) पंजाब राज्य के पटियाला, संगरूर, भटिंडा फिरोजपुर, लुधियाना, रोपड़ और फरीदकोट; और

(ii) चण्डीगढ़ संघ राज्यक्षेत्र, के राजस्व जिलों में है; कोई कराधेय आय व्युत्पन्न करते, अन्य सभी सहायक नियंत्रक को अपवर्जित करते हुए उक्त सर्किल में सहायक नियंत्रक के रूप में अपने कृत्यों का पालन करेगा ।

2 यह आदेश तुरन्त प्रवृत्त होगा ।

[सं. 14/फा० सं० 301/36/73-स०शु०]

CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES

ORDER

New Delhi, the 26th April, 1973

ESTATE DUTY

S.O. 2407.—In exercise of the powers conferred by the second proviso to sub-section (2) of Section 4 of the Estate Duty Act, 1953 (34 of 1953) and in supersession of all its previous notifications in this behalf, the Central Board of Direct Taxes hereby direct that every Income-tax Officer appointed to be an Assistant Controller and posted to the Estate Duty-cum-Income-tax Circle, **Patiala,** shall perform his functions as Assistant Controller in the said Circle to the exclusion of all other Assistant Controller in respect of the estates of all deceased persons who, immediately before their death, were being or would have been assessed to Income-tax, had they derived any taxable income in any Income-tax Circle, the headquarters of which lies within the revenue districts of :—

(i) Patiala, Sangrur, Bhatinda, Ferozepur, Ludhiana, Rupar and Faridkot of the Punjab State; and

(ii) Union Territory of Chandigarh.

2. This order shall come into force with immediate effect.

[No. 14/F. No. 301/36/73-E.D.]

आदेश

का० आ० 2408.—सम्पदा-शुल्क अधिनियम, 1953 (1953 का 34) की धारा 4 की उपधारा (2) के द्वितीय परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इस निमित्त अपनी सभी पूर्वतन अधिसूचनाओं को अधिक्रांत करते हुए, केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यह निदेश देता है कि प्रत्येक आय-कर अधिकारी, जिसे सहायक नियंत्रक नियुक्त किया गया है और जिसकी संपदा-शुल्क एवं आयकर सर्किल, **गुड़गांव** में तैनात किया गया है, उन सभी मृत व्यक्तियों की संपदाओं की बाबत, जो अपनी मृत्यु के ठीक पूर्व, आय-कर के लिए निर्धारित किए जा रहे थे अथवा निर्धारित किए जाते यदि वे किसी ऐसे आय-कर सर्किल में, जिसके मुख्यालय हरियाणा और हिमाचल प्रदेश राज्यों में अवस्थित है, कोई कराधेय आय व्युत्पन्न करते अन्य सभी सहायक नियंत्रक को उपवर्जित करते हुए उक्त सर्किल में सहायक नियंत्रक के रूप में अपने कृत्यों का पालन करेगा ।

2. यह आदेश तुरन्त प्रवृत्त होगा ।

[सं० 15/फा० सं० 301/36/73-स० शु०]

ORDER

S.O. 2408.—In exercise of the powers conferred by the second proviso to sub-section (2) Section 4 of the Estate Duty Act, 1953 (34 of 1953) and in supersession of all its previous notification in this behalf, the Central Board of Direct Taxes hereby direct that every Income-tax Officer appointed to be an Assistant Controller and posted to the Estate Duty-cum-Income-tax Circle, **Gurgaon,** shall perform his functions as Assistant Controller in the said Circle to the exclusion of all other Assistant Controller in respect of the estates of all deceased persons who, immediately before their death, were being or would have being assessed to Income-tax, had they derived any taxable income in any Income-tax Circle, the headquarters of which is located in the States of Haryana and Himachal Pradesh.

2. This order shall come into force with Immediate effect

[No. 15/F. No. 301/36/73-E. D.]

आदेश

का०आ० 2409.—सम्पदा-शुल्क अधिनियम, 1953 (1953 का 34) की धारा 4 की उपधारा (2) के द्वितीय परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इस निमित्त अपनी सभी पूर्वतन अधिसूचनाओं को अधिक्रांत करते हुए, केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यह निदेश देता है कि प्रत्येक आय-कर अधिकारी, जिसे सहायक नियंत्रक नियुक्त किया गया है और जिसको सम्पदा-शुल्क-एवं आय-कर सर्किल, **दिल्ली** में तैनात किया गया है, उन सभी मृत व्यक्तियों की सम्पदाओं की बाबत, जो अपनी मृत्यु के ठीक पूर्व, आय-कर के लिए निर्धारित किए जा रहे थे अथवा निर्धारित किए जाते यदि वे किसी ऐसे आय-कर सर्किल में जिसका मुख्यालय दिल्ली संघ राज्यक्षेत्र में है, कोई कराधेय आय व्युत्पन्न करते, अन्य सभी सहायक नियंत्रक को अपवर्जित करते हुए उक्त सर्किल में सहायक नियंत्रक के रूप में अपने कृत्यों का पालन करेगा।

[सं० 16/फा० सं० 301/36/73-स०शु०]

ORDER

S.O. 2409.—In exercise of the powers conferred by the second proviso to sub-section (2) of Section 4 of the Estate Duty Act, 1953 (34 of 1953) and in supersession of all its previous notification in this behalf the Central Board of Direct Taxes hereby direct that every Income-tax Officer appointed to be an Assistant Controller and posted to the Estate Duty-cum-Income-tax Circle, **Delhi,** shall perform his functions as Assistant Controller in the said Circle to the exclusion of all other Assistant Controller in respect of estates of all deceased persons who, immediately before their death, were being or would have been assessed to Income-tax, had they derived any taxable income in any Income-tax Circle, the headquarters of which lies within the Union Territory of Delhi.

[No. 16/F. No. 301/36/73-E. D.]

का०आ० 2410.—संपदा-शुल्क अधिनियम, 1953 (1953 का 34) की धारा 4 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इस विषय पर सभी पूर्वतन अधिसूचनाओं को अधिक्रांत करते हुए, केन्द्रीय प्रत्यक्ष-कर बोर्ड यह निदेश देता है कि सहायक आय-कर आयुक्त, जिन्हें संपदा-शुल्क नियंत्रक (अपील) नियुक्त किया गया है और जिनका मुख्यालय निम्नलिखित सारणी के स्तम्भ 2 में यथा विनिर्दिष्ट होगा :—

(क) किसी सहायक संपदा-शुल्क नियंत्रक द्वारा सपदा-शुल्क के लिए निर्धारित की गई मृत व्यक्तियों की सप संपदाओं, और

(ख) उन मृत व्यक्तियों की संपदाओं जिनके संबन्ध में सहायक संपदा-शुल्क नियंत्रक द्वारा किए गए आदेश के विरुद्ध संपदा-शुल्क अधिनियम 1953 की धारा 62 के अधीन अपील होती है,

की बाबत जहां संपदा-शुल्क अधिनियम 1953 के अधीन कृत्यों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित सारणी के स्तम्भ 3 में यथा विनिर्दिष्ट सहायक संपदा-शुल्क नियंत्रकों द्वारा ऐसे निर्धारण या आदेश किए गए हैं वहां संपदा-शुल्क नियंत्रक (अपील) के कृत्यों का पालन करेगा।

सारणी

क्रम सं०	संपदा-शुल्क नियंत्रक (अपील)	सहायक संपदा-शुल्क नियंत्रक
1	2	3
1.	हैदराबाद	हैदराबाद काकीनाडा गुंटूर
2.	पटना	पटना
3.	रांची	रांची
4.	मुम्बई	मुम्बई
5.	दिल्ली	दिल्ली
6.	अहमदाबाद	अहमदाबाद
7.	बड़ौदा	बड़ौदा
8.	राजकोट	राजकोट
9.	इंदौर	इंदौर
10.	जबलपुर	जबलपुर
11.	मद्रास	मद्रास मदुराई, कोयम्बटूर और थाजावुर।
12.	बंगलौर	बंगलौर मंगलौर और हुबली
13.	कटक	कटक
14.	पटियाला	पटियाला
15.	रोहतक	गुड़गांव
16.	जालन्धर	जालन्धर
17.	जम्मू	श्रीनगर
18.	जयपुर	जयपुर
19.	इलाहाबाद	इलाहाबाद
20.	लखनऊ	लखनऊ
21.	देहरादून	देहरादून
22.	कानपुर	कानपुर
23.	पूना	पूना और धुलिया
24	कलकत्ता	कलकत्ता
25.	अकोला	अकोला
26.	दिब्रुगढ़	दिब्रुगढ़
27.	एर्नाकुलम	एर्नाकुलम

2. जहां इस अधिसूचना द्वारा कोई संपदा-शुल्क सर्किल एक संपदा-शुल्क नियंत्रक (अपील) से किसी अन्य संपदा-शुल्क नियंत्रक (अपील) को अन्तरित होता है वहां संपदा-शुल्क सर्किल में किए गए निर्धारणों/पारित अन्य आदेशों से उद्भूत होने वाली और इस अधिसूचना की तारीख से ठीक पहले उस संपदा-शुल्क नियंत्रक (अपील) जिससे वह संपदा-शुल्क सर्किल अन्तरित हुआ है, के समक्ष लम्बित अपीलें जिस तारीख से यह अधिसूचना प्रवृत्त होती है उससे उस संपदा-शुल्क नियंत्रक (अपील) को जिसे उक्त सर्किल अन्तरित हुआ है अन्तरित हो जाएंगी और उसके द्वारा उन पर कार्यवाही की जाएगी।

3 यह अधिसूचना 2 जुलाई, 1973 को प्रवृत्त होगी।

[सं० 31/1973/फा० सं० 301/90/72-सं० शु०]

S.O. 2410.—In exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 4 of the Estate Duty Act, 1953 (34 of 1953), and in supersession of all previous notifications on the subject, the Central Board of Direct Taxes hereby direct that Assistant Commissioners of Income-tax appointed to be the Appellate Controllers of Estate Duty with headquarters as specified in Column 2 of the Table below, shall perform the functions of Appellate Controllers of Estate Duty in respect of :-

(a) the estates of deceased persons assessed to estate duty by an Assistant Controller of Estate Duty; and

(b) the estates of deceased persons in relation to which an appeal lies under section 62 of the Estate Duty Act, 1953, against an order passed by an Assistant Controller of Estate Duty,

where in exercise of the functions under the Estate Duty Act, 1953, such assessments have been made or orders have been passed by the Assistant Controllers of Estate Duty, as specified in Column 3 of the Table below :—

TABLE

Sl. No.	Appellate Controller of Estate Duty	Assistant Controller(s) of Estate Duty
1.	Hyderabad	Hyderabad, Kakinada, Guntur.
2.	Patna	Patna
3.	Ranchi	Ranchi
4.	Bombay	Bombay
5.	Delhi	Delhi
6.	Ahmedabad	Ahmedabad
7.	Baroda	Baroda
8.	Rajkot	Rajkot
9.	Indore	Indore
10.	Jabalpur	Jabalpur
11.	Madras	Madras, Madurai, Coimbatore and Thanjavur.
12.	Bangalore	Bangalore, Mangalore and Hubli.
13.	Cuttack	Cuttack
14.	Patiala	Patiala
15.	Rohtak	Gurgaon
16.	Jullundur	Jullundur
17.	Jammu	Srinagar
18.	Jaipur	Jaipur
19.	Allahabad	Allahabad
20.	Lucknow	Lucknow
21.	Dehradun	Dehradun
22.	Kanpur	Kanpur
23.	Poona	Poona and Dhulia
24.	Calcutta	Calcutta
25.	Akola	Akola
26.	Dibrugarh	Dibrugarh
27	Ernakulam	Ernakulam

2. Where an Estate Duty Circle stands transferred by this notification from one Appellate Controller of Estate Duty to another Appellate Controller of Estate Duty, appeals arising out of assessments made other orders passed in the Estate Duty Circle and pending immediately before the date of this notification before the Appellate Controller of Estate Duty, from whom that Estate Duty Circle is transferred shall, from the date this notification takes effect, be transferred to and dealt with by the Appellate Controller of Estate Duty to whom the said Circle is transferred.

3. This notification shall come into force with effect from 2nd July, 1973.

[No. 31/1973/F. No. 301/90/72-E. D.]

संपदा-शुल्क

का०आ० 2411.—संपदा-शुल्क अधिनियम, 1953 (1953 का 34) की धारा 4 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इस विषय पर सभी पूर्वतन अधिसूचनाओं को अधिक्रांत करते हुए, केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड निदेश देता है कि सहायक आयकर आयुक्त, जिन्हें नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ 2 में यथा विनिर्दिष्ट मुख्यालयों के उप-संपदा शुल्क नियंत्रकों के रूप में नियुक्त किया गया है, नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ 3 में विनिर्दिष्ट सम्पदा शुल्क सर्किलों में उद्भूत होने वाले मामलों के बारे में सभी अन्य उप-सम्पदा शुल्क नियंत्रकों को अपवर्जित करते हुए सम्पदा-शुल्क उप-नियंत्रकों के कार्यों का पालन करेगा :—

सारणी

क्रम सं०	उप-संपदा शुल्क नियंत्रक	संपदा-शुल्क/संपदा-शुल्क एवं आयकर सर्किल
1	2	3
1.	हैदराबाद	हैदराबाद, काकीनाडा और गुन्टूर
2.	डिब्रूगढ़	डिब्रूगढ़
3.	पटना	पटना
4.	रांची	रांची
5.	मुम्बई	मुम्बई
6.	दिल्ली	दिल्ली
7.	अहमदाबाद	अहमदाबाद
8.	बड़ौदा	बड़ौदा
9.	राजकोट	राजकोट
10.	एर्नाकुलम	एर्नाकुलम और कालीकट
11.	इन्दौर	इंदौर
12.	जबलपुर	जबलपुर
13	मद्रास	मद्रास, मदुराई, कोयम्बटूर और थांजवुर
14.	बंगलौर	बंगलौर, मंगलौर और हुबली
15.	कटक	कटक
16.	पटियाला	पटियाला
17.	रोहतक	गुड़गांव
18	जालन्धर	जालन्धर
19.	जम्मू	श्रीनगर
20.	जयपुर	जयपुर
21.	इलाहाबाद	इलाहाबाद और लखनऊ
22.	देहरादून	देहरादून
23.	कानपुर	कानपुर
24.	पूना	पूना और धूलिया
25.	कलकत्ता	कलकत्ता
26.	अकोला	अकोला

2. यह अधिसूचना 2 जुलाई, 1973 से प्रवृत्त होगी ।

[सं० 33/1973/फा०सं० 301/90/72-संपदा-शुल्क]

एस० बापु, अवर सचिव

S.O. 2411.—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 4 of the Estate Duty Act, 1953 (34 of 1953) and in supersession of all previous notifications on the subject, the Central Board of Direct Taxes direct that Assistant Commissioners of Income-tax appointed to be Deputy Controllers of Estate Duty with headquarters as specified in column 2 of the Table below shall perform the functions of Deputy Controllers of Estate Duty in respect of cases arising in the Estate Duty Circles specified in Column 3 of the Table below to the exclusion of all other Deputy Controllers of Estate Duty :—

TABLE

Sl. No.	Deputy Controller of Estate Duty	Estate Duty/Estate Duty-*cum*-Income-tax Circles
1	2	3
1.	Hyderabad	Hyderabad, Kakinada and Guntur.
2.	Dibrugarh	Dibrugarh
3.	Patna	Patna
4.	Ranchi	Ranchi
5.	Bombay	Bombay
6.	Delhi	Delhi
7.	Ahmedabad	Ahmedabad
8.	Baroda	Baroda
9.	Rajkot	Rajkot
10.	Ernakulam	Ernakulam and Calicut
11.	Indore	Indore
12.	Jabalpur	Jabalpur
13.	Madras	Madras, Madurai, Coimbatore and Thanjavur.
14.	Bangalore	Bangalore, Mangalore and Hubli.
15.	Cuttack	Cuttack
16.	Patiala	Patiala
17.	Rohtak	Gurgaon
18.	Jullundur	Jullundur
19.	Jammu	Srinagar
20.	Jaipur	Jaipur
21.	Allahabad	Allahabad and Lucknow
22.	Dehradun	Dehradun
23.	Kanpur	Kanpur
24.	Poona	Poona and Dhulia
25.	Calcutta	Calcutta
26.	Akola	Akola

2. This notification shall come into force with effect from 2nd July, 1973.

[No. 33/1973/F. No.301/90/72-E.D.]

S. BAPU, Under Secy.

वाणिज्य मंत्रालय

नई दिल्ली, 18 अगस्त, 1973

का०आ० 2412—आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का 10) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार ऊनी वस्त्र (उत्पादन और वितरण नियंत्रण) आदेश, 1962 में और संशोधन करने के लिये निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थात् :—

1 (1) इस आदेश का नाम ऊनी वस्त्र (उत्पादन और वितरण, नियंत्रण) संशोधन आदेश, 1973 है ।

(2) यह राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगा ।

2 ऊनी वस्त्र (उत्पादन और वितरण नियंत्रण) आदेश, 1962 के खण्ड 3 में, उप-नियम (3) के पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक और उप-नियम जोड़ा जायेगा, अर्थात् :—

"परन्तु उप-खण्ड (1) से (3) तक की कोई बात, उसमें निर्दिष्ट किसी मशीनरी के, उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951

(1951 का 65) के उपबन्धों के अधीन जारी की गई अनुज्ञप्ति के अनुसरण में अर्जन या लगाये जाने को लागू नहीं होगी ।

(ii) यदि वस्त्र-आयुक्त का, उसे इस निमित्त किये गये निर्देश पर या अन्यथा, समाधान हो जाये कि किसी व्यक्ति ने, जिसे उपखण्ड (1), (2) या (3) के अधीन अनुज्ञा प्रदान की गई है, ऐसी अनुज्ञा अभिप्राप्त करने के प्रयोजन के लिये गलत सूचना दी थी, तो वह, संबंधित व्यक्ति को स्पष्टीकरण देने का अवसर देने के पश्चात् तथा किसी अन्य ऐसी कार्रवाई पर, जो ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध की जा सके, प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसी अनुज्ञा को प्रतिसंहृत कर सकेगा और वह उसे प्रतिसंहरण—आदेश की एक प्रति भेजेगा । इस उपखंड के अधीन अनुज्ञा के प्रतिसंहरण पर, उन मशीनों पर काम नहीं किया जायेगा जिनसे अनुज्ञा संबंधित है।"

[फाईल सं० 12(11)/71-ई०आई०डब्ल्यू० टी०]

मणि नारायण स्वामी, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF COMMERCE

New Delhi, the 18th August, 1973

S.O. 2412.—In exercise of the powers conferred by section 3 of the Essential Commodities Act, 1955 (10 of 1955), the Central Government hereby makes the following Order further to amend the Woollen Textiles (Production and Distribution Control) Order, 1962, namely :—

1. (1) This Order may be called the Woollen Textiles (Production and Distribution Control) Amendment Order, 1973.

(2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

2. In clause 3 of the Woollen Textiles (Production and Distribution Control) Order, 1962, after sub-rule (3), the following proviso and sub-rule shall be added, namely :—

"Provided that nothing in sub-clauses (1) to (3) shall apply to the acquisition or installation of any machinery referred to therein in pursuance of a licence issued under the provisions of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951).

(4) If the Textile Commissioner is satisfied, either on a reference made to him in this behalf or otherwise, that any person, to whom a permission has been granted under sub-caluses (1), (2) or (3), had supplied incorrect information for the purpose of obtaining such permission, he may, after giving the person concerned an opportunity to explain, and without prejudice to any other action that may be taken against such person, revoke such permission and shall furnish him with a copy of the order of revocation. On the revocation of a permission under this sub-clause, the machines to which the permission relates shall not be worked".

[No. 12(11)/71/EI-WT.]

MANI NARAYANSWAMI, Joint Secy.

मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात का कार्यालय

आदेश

नई दिल्ली, 9 अगस्त, 1973

का०आ० 2413:—सर्वश्री दैनिक मध्यदेश, मध्यमार्ग, कायस्थपुरा, भोपाल 1 को फिनलैंड/स्वीडन/नार्वे से 59.79 मी० टन अखबारी कागज के आयात के लिये 81,015 रु० का एक आयात लाइसेंस पी/ए/1373553/सी/एक्स/एक्स/44/एच/35-36 दिनांक 31-7-72 स्वीकृत किया गया था । उन्होंने अब लाइसेंस की अनुलिपि प्रति के लिये इस आधार पर आवेदन किया है कि मूल लाइसेंस किसी भी सीमा शुल्क प्राधिकारी के पास पंजीकृत कराये बिना और उसका बिल्कुल उपयोग किये बिना ही खो गया है ।

2. अपने तर्क के समर्थन में आवेदक ने एक शपथ पत्र भेजा है । मैं संतुष्ट हूं कि मूल लाइसेंस सं० पी/ए/1373553/सी/एक्स/एक्स/दिनांक 31-7-72 खो गया है और आवेदक को उपर्युक्त लाइसेंस की अनुलिपि प्रति जारी की जाये । मूल लाइसेंस रद्द किया जाता है ।

3. आयात लाइसेंस की अनुलिपि प्रति अलग से जारी की जा रही है।

[संख्या 44-5/बी/पी/198/72-73/एन०पी०सी०आई०बी०/410]

सरदूल सिंह, उप-मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात,
कृते मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात

Office of the Chief Controller of Imports and Exports,

ORDER

New Delhi, the 9th August, 1973

S.O. 2413.—M/s. Dainik Madhyadesh, Madhya Marg, Kayasthpura, BHOPAL-1. Where granted licence No. P/A/1373553/C/XX/44/H/35-36 dated 31-7-72 for the import of 59.79 M. Tonnes newsprint for Rs. 81,015 from Finland/Sweden/Norway. They have now requested for the issue of Duplicate Copy of import licence on the gound that the original import licence has been lost by them without having been registered with any customs authority and utilised at all.

2. In support of their contention the applicant have furnished an affidavit. I am satisfied that the original licence No. P/A/1373553/C/XX/dated 31-7-72 has been lost and a duplicate copy of the said licence may be issued to the applicant. The original licence is cancelled.

3. The duplicate copy of Import licence is being issued separately.

[F. No. 44.V/BP-198/72-73/NPCIB/410.]

SARDUL SINGH,
Dy. Chief Controller of Imports and Exports,
for Chief Controller of Imports and Exports.

संयुक्त मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात का कार्यालय (केन्द्रीय लाईसेंस क्षेत्र)

नई दिल्ली

का०आ० 2414:—सर्वश्री सिंहसंस इन्डस्ट्रीयल कार्पोरेशन, यू०पी० बार्डर, पी० ओ० चिकम्बरपुर, गाजियाबाद को 28002 रु० का एक आयात लाइसेंस संख्या पी/यू/2623243/सी/एक्स/एक्स/42/डी/33-34, दिनांक 21-12-71 स्वीकृत किया गया था । उन्होंने अनुलिपि लाइसेंस (मुद्रा विनिमय नियंत्रण प्रति) के लिये इस आधार पर आवेदन किया है कि लाइसेंस की मूल प्रति बम्बई पत्तन पर पंजीकृत कराने के बाद और 23137 रु० के लिये उपयोग कर लेने के बाद खो गई है ।

2 उपर्युक्त तर्क के समर्थन में आवेदक ने एक शपथ पत्र दाखिल किया है । मैं संतुष्ट हूं कि लाइसेंस की मूल मुद्रा विनिमय नियंत्रण प्रति खो गई/अस्थानस्थ हो गई है ।

3. अद्यतन यथा संशोधित, आयात व्यापार नियंत्रण आदेश, 1955 दिनांक 7-12-55 की धारा 9(सी) के अन्तर्गत मेरे लिये प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग कर उपर्युक्त लाइसेंस संख्या पी/यू/2623243/सी/एक्स/एक्स/42/डी/33-34, दिनांक 21-12-1971 मूल्य 28002 रु० मात्र । (मुद्रा विनिमय नियंत्रण प्रति) को एतद्द्वारा रद्द किया जाता है ।

आवेदक को अब शेष मूल्य अर्थात् 4865 रु० मात्र को पूरा करने के लिये वैध उपर्युक्त लाइसेंस की अनुलिपि मुद्रा विनिमय नियंत्रण प्रति अलग से जारी की जा रही है ।

[सं० ई जी. 141/जे एस 71/एस सी-1/सी एल ए]

ए०एल०भल्ला,
उप-मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात,
कृते संयुक्त मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात

Office of the Jt. Chief Controller of Imports and Exports (Central Licensing Area), New Delhi.

CANCELLATION ORDER

S.O. 2414.—M/s. Singhsons Industrial Corporation, U.P. Border P. O. Chickamberpur, Ghaziabad were granted import licence No. P/U/2623243/C/XX/42/D/33.34 dated 21-12-1971 for Rs. 28002. They have applied for duplicate licence (Exchange Control Purposes) on the ground that original copy thereof has been lost after having been registered at Bombay Port and utilised upto Rs. 23137.

2. In support of this contention the applicant has filed an affidavit. I am satisfied that the original Exchange Control copy has been lost/misplaced.

3. In exercise of powers conferred on me under subject Clause 9(C) in the Import Trade Control order 1955 dated 7-12-1955 as amended up to date, the said licence No. P/U/2623243/C/XX/42/D/33.34 dated 21-12-1971 for Rs. 28002 only (Exchange Control copy) is hereby Cancelled.

The applicant is now being issued a duplicate of Exchange Control copy of this licence which is valid to cover the Balance of Rs. 4865 only.

[No. Engg. 141/JC.71/SC.I/CLA]

A. L. BHALLA,
Dy. Chief Controller of Imports & Exports,
for Jt. Chief Controller of Imports & Exports.

संयुक्त-मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात का कार्यालय

आदेश

बम्बई, 1 जून, 1973

विषय : सर्वश्री एक्सप्रेस इन्डस्ट्रीज, पोवई, उल्लासनगर-3 को जारी किए गए लाइसेंस संख्या पी०/यू०/2643093, दिनांक 21-12-71 (सीमा-शुल्क प्रति) को रद्द करना ।

का० आ० 2415.—सर्वश्री एक्सप्रेस इन्डस्ट्रीज, उल्लासनगर-3 महाराष्ट्र को (1) 10 प्रतिशत तक 44 गेज से फाइनर कापर एनेमेल्ड वायर, (2) रेसिसटेंस वायर, (3) प्रेसफान पेपर (4) लेदरायड पेपर, (5) केवल 10 प्रति शत तक थरमोस्टेट इलेक्ट्रिक कन्ट्रोल, (6) इलेक्ट्रिकल इन्सूलेशन के लिए एसबेस्टोस पर आधारित उत्पाद तथा उनके उत्पाद जो अन्यथा विशिष्टि-कृत नहीं है । केवल 10 प्रतिशत तक (7) अनुमेय किस्म की तापीय सामग्री के आयात के लिए 22776 रुपये के लिए आयात लाइसेंस संख्या : पी/यू/2643093, दिनांक 21-12-71 प्रदान किया गया है । उन्होंने उक्त लाइसेंस की सीमाशुल्क नियंत्रण प्रति की अनुलिपि के लिए इस आधार पर आवेदन किया है कि मूल खो गया है और उसका 14,411 रुपये तक आंशिक उपयोग कर लिया गया है । अपने दावे के समर्थन में आवेदक ने प्रेसीडेन्सी मैजिट्रेस्ट, एस्प्लानेड कोर्ट, बम्बई के सम्मुख विधिवत शपथ लेकर एक शपथ-पत्र दाखिल किया है ।

2 मैं संतुष्ट हूं कि लाइसेंस संख्या : पी/यू/2643093, दिनांक 21-12-71 की सीमा शुल्क प्रयोजन प्रति की मूल प्रति खो गई है और निदेश देता हूं कि आवेदक को अनुलिपि प्रति जारी की जाए ।

3. लाइसेंस की सीमाशुल्क की मूल प्रति रद्द की जाती है ।

[सं० 281/5636/एजे०71/एल/इ पी एस सी 2 सी]

डी० डी, सूजा, उप-मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात,
कृते संयुक्त मुख्य नियंत्रक आयात-निर्यात

(Office of the Jt. Chief Controller of Imports and Exports)

Bombay, 1 June, 1973

ORDER

SUB :—Cancellation of Licence No. P/U/2643093 of 21-12-71 (Customs Copy) issued to M/s. Express Industries, Powai Chowk, Ullasnagar-3.

S.O. 2415.—M/s. Express Industries, Ullasnagar-3 Maharashtra have been granted Import licence No. P/U/2643093 of 21-12-71 for Rs. 22776 for import of "(1) Copper Enamelled wire liner than 44 gauges upto 10%. (2) Resistance wire, (3) Ptessphan paper (4) Leatheroid paper (5) Thermostat Electric Control upto 10% only. (6) Asbestos based products for electricals insulation and products thereof not otherwise specified upto 10% only (7) Heating elements permissible types only". They have applied for duplicate copy of Customs control copy of the said licence on the ground that the original has been lost and the same has been utilised partly for Rs. 14411. The duplicate copy now required is for Rs. 8365. In support of their claim, the applicants have filed an affidavit duly sworn in before the Presidency Magistrate, Esplanade Court, Bombay.

2. I am satisfied that the original copy of Customs purposes of the licence No. P/U/2643093 of 21-12-71 have been lost and direct that the duplicate copy of the licence be issued to the applicant.

3. The original of Customs copy of the licence is cancelled.

[Order No. 281/5636/AJ. 71/I./E.P.S.C. II. C.]

D D, SOUZA, Dy. Chief Controller of Imports & Exports,
for Jt. Chief Controller of Imports & Exports.

औद्योगिक विकास, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 9 अगस्त, 1973

का. आ. 2416.—/आई. डी. आर. ए./6/7/73 विकास परिषद् (प्रक्रिया संबंधी) नियम, 1952 के नियम 8 के साथ पठित उद्योग (विकास और विनिमय) अधिनियम 1951 (1951 का 65) की धारा 6 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार (1) चीनी निदेशक और उप-सचिव, पदेन, तमिलनाडु सरकार, उद्योग विभाग, मद्रास, के स्थान पर चीनी निदेशक और संयुक्त सचिव, पदेन, तमिलनाडु सरकार, उद्योग विभाग मद्रास को चीनी उद्योग विकास परिषद् का सदस्य, पदेन, और (2) श्री अब्दुल कयूम अन्सारी के स्थान पर श्री सीताराम केसरी संसद् सदस्य, ए बी-2, पंडारा रोड, नई दिल्ली को चीनी उद्योग विकास परिषद् का सदस्य, 26 नवम्बर, 1973 तक की, जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है, अवधि के लिए नियुक्त करती है और भारत सरकार के भूतपूर्व औद्योगिक विकास मंत्रालय की अधिसूचना सं. का. आ./5275/आई. डी. आर. ए./6/12/71, तारीख 27 नवम्बर, 1971 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त आदेश के पैरा 1 में, क्रम सं. 10 और 28 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

1. "10. चीनी निदेशक और संयुक्त सचिव, पदेन, तमिलनाडु, सरकार, उद्योग विभाग, मद्रास (पदेन)", और

2. "28. श्री सीताराम केसरी,
संसद सदस्य
एबी-2, पंडारा रोड,
नई दिल्ली
दानापुर छावनी,
पटना, बिहार ।"

[सं. 15(1)/71-एल. सी.]

आर. बी. माथुर, अवर सचिव

MINISTRY OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT, SCIENCE AND TECHNOLOGY

ORDER

New Delhi, the 9th August, 1973

S.O. 2416/IDRA/6/7/73.—In exercise of the powers conferred by section 6 of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), read with rule 8 of the Development Councils (Procedural) Rules, 1952, the Central Government hereby appoints (1) the Director of Sugar and Ex-officio Joint Secretary to the Government of Tamil Nadu Industries Department, Madras, vice the Director of Sugar and Ex-officio Deputy Secretary to the Government of Tamil Nadu, Industries Department, Madras, as an Ex-officio member of the Development Council for Sugar Industry, and (2) Shri Sita Ram Kesri, M.P., AB-2, Pandara Road, New Delhi vice Shri Abdul Quiyam, Ansari, to be members of the Development Council for Sugar Industry for a period upto and inclusive of the 26th November, 1973 and makes the following amendments in the notification of the Government of India in the late Ministry of Industrial Development No. S.O./5275/IDRA/6|12|71, dated the 27th November, 1971, namely :—

In the said order, in paragraph 1, for Serial Nos. 10 and 23 and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely :—

1. "10. The Director of Sugar and Ex-officio Joint Secretary to the Government of Tamil Nadu, Industries Department, Madras (Ex-officio)," and
2. "28. Shri Sita Ram Kesri, M.P., AB—2, Pandara Road, New Delhi, Danapur Cantonment, Patna, Bihar."

[No. 15(1)/71-LC]
R. B. MATHUR, Under Secy.

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय

नई दिल्ली, 10 अगस्त, 1973

का० आ० 2417.—यत: केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित मे यह आवश्यक है कि महाराष्ट्र राज्य में बर्मा-शैल रिफाइनरीज लि०, माहुल से महाराष्ट्र राज्य मे थाना बेलापुर क्षेत्र (जिला-थाना) के घनसोली नामक गांव मे स्थित नेशनल आर्गेनिक कैमिकल इंडस्ट्रीज लि० तक नेपथा तथा अन्य उत्पादों के परिवहन के लिये पाइपलाइन बम्बई के उपनगरीय जिलों के अनिक, बोरला, दयोनार, मंकहाई, माडेल नामक गांवों तथा थाना जिले के घनसोली, कोपरखेरने, पौन, खेरने, दरभी तथा वशी नामक गावों से होकर नेशनल आर्गेनिक कैमिकल इंडस्ट्रीज लिमिटेड, बम्बई द्वारा बिछाई जानी चाहिये और ऐसी पाइपलाइनों के बिछाने के प्रयोजन के लिये एतद्पाबद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है।

अत:, अब, पैट्रोलियम पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1965 का 50) की धारा 3 की उपधारा-(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उस मे उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्द्वारा घोषित किया है।

उक्त भूमि मे हितबद्ध कोई व्यक्ति, उस भूमि के नीचे पाइपलाइन बिछाने के लिये आक्षेप विशेष भूमि अर्जन अधिकारी (सक्षम अधिकारी) बम्बई, डी-5, दत्तागुरु कोआपरेटिव हाऊसिंग सोसाइटी लि०, दूर-संचार कारखाने के निकट, आफ सियोन-ट्राम्बे रोड, दयोनार, बम्बई-88 को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा। ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टत. यह भी कथन करेगा कि उसकी सुनवाई व्यक्तिश: हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत।

अनुसूची

राज्य : महाराष्ट्र

जिला . बम्बई उपनगर

तालुका	गांव	सर्वेक्षण संख्या	हिस्सा संख्या	क्षेत्र की निम्नलिखित में आवश्यकता है। एकड़	गुन्था	आना
1	2	3	4	5	6	7
कुरला	अनिक	11	—	0	17	12
		12	ए 1 भाग	0	9	8
		12	ए 2	0	5	0
		35	1	4	39	0
			2	0	4	0
		36	—	2	27	0
		37	1	0	14	0
		40	1	0	1	0
			2	0	31	0
			3	—	11	8
		41	1ए	2	24	4
		41	2	—	4	8
		43	ए 1	—	6	4
			2	—	12	12
			3	0	7	12
			4	—	23	0
		47	ए 1	—	5	0
			2	—	6	0
		57	—	2	37	8
		63	—	55587 वर्ग गज		
		64 भाग	—	12	23	8
		67	1	—	3	12
		74	—	5	10	2
		75	—	0	39	8
		12बी	—	21	32	4
		42भाग	—	0	1	8
		81	1 भाग	0	22	8
		43	—	10	10	12
		67	1 भाग	6	15	2
		67	7 भाग	2	28	14
		64 भाग	—	0	28	8
		81	2 भाग	0	22	8
		56बी	—	1	11	12
गाव	बोरला	67	1	0	4	0
			2	23	4	0
		68	—	20	12	0
गांव	दयोनार	35	1 भाग	6880 वर्ग गज		
		60	2	0	16	0
		62	—	2	25	0

1	2	3	4	5	6	7
गांव	वयोनार-जारी	67	—	32	12	0
		68	—	31	24	
		70 भाग	—	0	12	0
		71	1	1	13	0
			4	9	32	0
		72	—	27	0	0
			2	0	4	4
		79 ए	1	6	6	8
			4	0	15	4
		80	—	3	3	0
		81	1 भाग	1	11	12
			1 भाग	9	17	8
			1 भाग	1	15	14
		81 ए	—	4469 वर्ग गज		
		82 भाग	—	2	33	0
			भाग	0	15	0
		83 भाग	—	4	13	8
		83 भाग	—	7643 वर्ग गज		
		83 भाग	—	1	4	0
		83 भाग	—	0	26	12
		84	1 भाग	1	24	8
		84 ए	—	0	22	8
			1 भाग	1	2	0
		84	1 भाग	5	29	12
		84	1 भाग	0	23	0
		84	2	1	19	0
		101 भाग	—	0	8	4
		107	—	124	31	0
	मंकहूर्ड	18	ए 1	177 वर्ग गज		
			ए 2	71 वर्ग गज		
			ए 3	102 वर्ग गज		
			ए 4	75 वर्ग गज		
			ए 5	270 वर्ग गज		
		18 बी	—	0	7	12
		102 बी	एन०ए०	2	6	0
		104 बी	—	0	6	8
		150 भाग	—	16	24	14
		150 भाग	—	16	24	14
		1 विकास	—	58	34	14
		147	—	0	1	0
	गांव माडेले	11	1	2	2	4
		11	2	3	3	8
		89	1	78	31	12
		90	1	39	4	4
		91	1	27	29	0

अनुसूची

राज्य : महाराष्ट्र

जिला : थाना

तालुका	गांव	सर्वेक्षण संख्या	हिस्सा संख्या	क्षेत्र की निम्नलिखित में आवश्यकता है		
				एकड़	गुन्थ	आना
1	2	3	4	5	6	7
थाना	घनसोली	616	—	1	24	0
		617 भाग	—	0	31	0
थाना	घनसोली-जारी	617 भाग	—	1	5	0
		617 भाग	—	1	23	12
		617 भाग	—	2	38	0
		617 भाग	—	1	13	0
		618	—	0	29	0
		619	—	1	12	0
		620	—	3	32	4
		621	—	0	14	8
		622	—		14	8
		623	भाग	0	1	8
		623	भाग	0	25	8
		623	भाग	1	26	0
		623	भाग	0	36	4
		623	भाग	0	16	8
		624	भाग	1	19	12
		625 भाग	—	0	7	0
		625 भाग	—	0	4	4
		626 भाग	—	0	32	12
		626 भाग	—	0	16	12
		628	—	1	39	12
		629	—	0	11	4
		325	—	0	5	12
		326 भाग	—	0	12	4
		326 भाग	—	0	17	0
		327	—	1	26	12
		341 भाग	—	0	32	8
		341 भाग	—	1	16	0
		341 भाग	—	2	6	4
		345 भाग	—	0	32	4
		345 भाग	—	0	1	0
		346	—	0	11	0
		347	—	0	18	12
		348	—	4	27	4
		355 भाग	—	0	32	4
		355 भाग	—	2	0	0
		355 भाग	—	0	30	12
		356 भाग	—	0	12	8
		356 भाग	—	0	1	12
		356 भाग	—	3	7	8
		363 भाग	—	0	25	0
		363 भाग	—	0	5	4
		364	—	7	35	0
		366 भाग	—	0	3	9
		366 भाग	—	0	17	0
		367	—	0	26	0
		368	—	1	34	0
		369	—	3	9	0
		433 भाग	—	1	9	8
		433 भाग	—	1	19	4
		433 भाग	—	0	22	0
		434 भाग	—	1	12	4

1	2	3	4	5	6	7
थाना	घनसोली—जारी	434 भाग	—	0	5	0
		434 भाग	—	0	8	0
		434 भाग	—	0	7	0
		434 भाग	—	0	31	8
		435	—	0	20	4
		443	—	0	9	4
		444	—	0	5	8
		445 भाग	—	0	12	0
		445 भाग	—	0	21	0
		446	—	0	11	8
		447	—	2	25	12
		448	—	0	30	4
		449	—	1	5	12
		450	—	0	19	12
		451	—	0	8	4
		452 भाग	—	0	4	4
		452 भाग	—	0	7	0
		452 भाग	—	0	27	0
		453 भाग	—	0	6	4
		453 भाग	—	0	2	4
		454	—	1	7	0
		455	—	0	23	4
		456	—	0	9	8
		457 भाग	—	0	12	0
		457 भाग	—	0	10	0
		457 भाग	—	0	10	0
		457 भाग	—	0	17	12
		457 भाग	—	0	32	0
		457 भाग	—	0	7	0
		457 भाग	—	0	19	0
		458 भाग	—	0	11	4
		458 भाग	—	0	8	4
		460	—	0	10	8
		461	—	0	5	4
		462	—	1	6	8
		463	—	0	4	12
		464	—	0	6	8
		469	—	0	22	8
		470 भाग	—	7	31	4
		471	—	0	10	0
		472	—	10	29	8
		473	—	0	8	0
		474	—	3	22	0
		476	—	0	7	4
		477	—	2	33	0
		479	—	0	15	12
		480	—	3	36	12
		481	—	2	31	6
		482 भाग	—	1	33	4
		482 भाग	—	0	19	4
		608 भाग	—	1	25	12
		608 भाग	—	2	25	0
		609	—	0	17	0
		610 भाग	—	0	2	4
		610 भाग	—	0	3	4
		611 भाग	—	0	27	12
		342	—	1	0	0
		343	—	2	19	0

अनुसूची

राज्य : महाराष्ट्र

जिला : थाना

तालुका	गांव	सर्वेक्षण संख्या	हिस्सा संख्या	क्षेत्र की निम्नलिखित में आवश्यकता है		
				एकड़	गुन्था	आना
1	2	3	4	5	6	7
थाना	सावली	109	1	0	23	0
		109	2	0	2	0
		109	—	0	12	0
		109	4	0	1	0
		110 ए	1	0	15	12
		110 ए	2	9	30	0
		111	1	4	36	0
		111	2	7	25	0
		111	3	0	31	0
		112	1	4	22	0
		112	2	0	33	0
		113	1	0	12	4
		113	2	0	7	8
		113	3	1	33	8
		114	—	6	24	0
		115	1	2	5	4
		115	2	0	15	0
		115	3	0	3	4
		115	4	0	1	8
		115	5	0	5	12
		115	6	0	0	12
		115	7	0	0	4
		115	8	0	0	1
		115	9	0	3	8
		117	—	0	23	8
		29	—	0	16	8
		30	1 भाग	0	14	0
		30	1 भाग	1	0	0
		30	2	0	5	0
		30	3	0	5	12
		31	4	0	2	4
		31	1	1	7	12
		31	2	0	1	12
		31	3	0	4	0
		31	4	0	12	4

1	2	3	4	5	6	7
थाना	सावली-जारी	31	5	0	2	8
		32	—	0	17	12
		33	1	0	6	0
		33	2	0	4	12
		33	3	0	9	12
		33	4	0	14	8
		132	—	2	21	0
		48 भाग	—	0	16	4
		48 भाग	—	0	15	4
		49 भाग	—	0	5	0
		49 भाग	—	0	20	0
		133	—	0	13	0
		47 भाग	—	0	13	4
		47 भाग	—	0	26	0
		134	—	0	13	0
		135	—	0	9	0
		138	—	0	25	0
		53	—	0	7	4
		54	—	0	20	4
		81	—	4	20	0
		82	—	0	34	0
		88	½	0	22	4
		88	1	0	20	4
		88	2	0	31	4
		89	—	0	22	8
		144	—	0	2	4
		91	—	0	25	4
		97	—	1	1	12
		148	—	0	2	0
		144	1	0	3	0
		144	2	0	9	8
		144	3	0	16	0
		144	4	0	9	12
		116	—	0	2	12
		129 ए	1	0	14	8
		129 ए	2	0	3	0
		129 ए	4	0	1	0
		129 सी	1	0	3	0
		129 सी	2	0	0	12
		129 सी	3	0	0	8
		128	1	0	1	0
		128	2	0	11	0
		128	3	0	8	0
		128	4	0	8	0
		128	5	0	13	0
		34	—	0	21	0
		35	—	0	15	4
		36	—	0	26	12
		38	—	0	32	12
		39	1	0	0	4
		39	2	0	4	12
		39	3	0	0	8
		39	4	0	7	8
		39	5	0	3	0
		39	6	0	5	0
		40	1	0	12	0
		40	2	0	0	8
		41	1	4	29	8
		41	2	0	5	12
		41	3	1	16	4
		41	4	0	0	8
		41	5	0	1	0
		41	6	0	8	8
		41	7	0	4	8
		42	1	1	16	8
		42	2	0	3	8
		43	3	0	4	0
		44	1	2	37	8
		44	2	0	38	12
		45	—	0	29	4
		46	1	1	31	0
		46	2	0	1	0
		55	—	0	12	12
		56	1	0	4	4
		57	—	0	3	0
		58	—	2	18	0
		59	1	1	14	12
		59	2	0	19	4
		59	3	0	36	12
		59	4	0	1	12
		59	5	0	1	8
		59	6	0	6	0
		126	—	0	34	0
		127	1	2	17	0
		127	2	0	14	0
		76	—	0	11	4
		77	1	1	3	0
		77	2	1	18	0
		78	—	2	17	0
		79	1	0	4	8
		79	2	2	30	8
		79	3	0	0	12
		79	4	0	6	4
		80	—	0	39	12
		125	—	0	10	0
		92	—	0	15	0
		95	1	0	3	8
		95	2	0	7	12
		95	2	0	11	0
		95	4	0	16	0
		95	5	0	1	8
		95	6	0	3	4

1	2	3	4	5	6	7
थाना	सावली—समाप्त	96	—	0	3	8
		99	1	1	27	0
		99	2/1	0	15	0
		99	2/2	0	11	0
		99	2/3	0	14	12
		99	2/4	0	13	12
		99	2/5	0	8	0
		99	3 भाग	0	27	8
		99	3 भाग	0	23	0
		99	4	0	10	0
		147	—	0	1	8
		37	1	0	7	4
		37	2	0	7	12
		37	3	0	1	0
		37	4	0	11	4
		28	1	0	14	4
		28	2	0	0	12
		134	—	0	13	0
		142	—	0	12	0
गांव	वशी	3	1 भाग	9	4	4
		3	1 भाग	2	10	8
		3	2	0	27	0
		4	—	12	11	0
		6	1	1	39	0
		6	2 भाग	1	28	0
		6	3	0	12	0
		6	4 भाग	3	10	0
		6	5 भाग	2	32	8
		6	6	0	11	12
		6	7	3	5	0
		6	8 भाग	2	30	8
		6	9	4	25	12
		6	10	4	9	12
		6	11	2	9	0
		6	12	7	5	12
		6	13	7	16	12
		6	14	6	35	4
		6	15 भाग	3	1	8
		6	16	1	32	0
		8 भाग	—	0	3	8
गांव	कोपर खैरेन					
		200	—	0	28	12
		201	—	1	39	4
		202	—	0	15	4
		203	—	0	6	8
		204	—	0	16	12
		205	—	0	14	0
		206	—	1	17	12
		207	—	0	21	0
		208	—	0	6	12
		210	—	0	31	8

1	2	3	4	5	6	7
गांव	कोपर खैरेन-जारी	211/1	—	0	12	4
		211/2	—	0	12	4
		212	—	1	29	0
		214	—	1	20	12
		215	—	0	32	8
		216	—	0	12	8
		217	—	9	24	0
		219	—	0	16	8
		220	—	0	2	4
		214 भाग	—	0	2	0
		215 भाग	—	0	9	0
		216 भाग	—	0	12	0
		217 भाग		4	19	0
		219 भाग	—	0	2	0
		216	—	0	0	8
		223	—	1	39	8
		224	—	0	22	0
		225	—	0	26	0
		226	—	0	5	0
		227	—	0	22	8
		228	—	1	3	0
		229	—	0	6	8
		230 भाग	—	0	24	4
		231	—	0	34	8
		233/1	—	0	4	0
		233/2	—	2	18	12
		234	—	2	1	0
		235	—	2	12	0
		236/1	—	1	28	0
		236/2	—	1	32	0
		237	—	4	6	0
		240/1	—	1	13	0
		240/2	—	9	12	4
		252	—	1	10	4
		230 भाग	—	0	13	0
		198	—	0	14	4
		119	—	1	15	8
		197 भाग	—	0	10	0
		517	—	0	3	0
		518	—	0	7	0
गांव	पावने	107	—	0	12	0
		169	—	0	20	0
		26	1	0	9	12
		26	2	0	3	12
		26	3	0	12	4
		26	4	0	5	4
		26	5	0	6	6
		26	6	0	3	0
		26	7	0	15	8
		26	8	0	5	8

1	2	3	4	5	6	7
गांव	पावने—जारी	20	1	0	6	4
		20	2	0	5	0
		20	3	0	32	0
		20	4	0	22	12
		20	5	0	2	4
		20	6	0	35	12
		20	7	0	13	12
		20	8	0	9	4
		22	1	0	23	4
		22	2	1	0	12
		22	3	0	27	12
		22	6	0	4	0
		22	8	0	0	8
		23	—	1	39	4
		24	2	1	10	8
		24	1/1	0	31	8
		25	1	1	12	12
		25	2	0	18	0
		25	2	0	18	0
		25	3	0	3	0
		25	4	0	0	12
		25	5	0	9	8
		25	6	0	1	0
		25	7	0	2	4
		25	8	0	3	8
		25	9	0	8	4
		25	10	0	1	0
		142	—	2	19	12
		144 भाग	—	2	23	0
		144 भाग	—	3	3	4
		141	—	75	2	0
		143	1	0	24	0
		143	2	0	17	0
		143	3 भाग	2	33	4
		143	3 भाग	2	33	4
		143	4	0	3	0
		15 ए	—	0	17	0
		164	—	0	14	0
		171	—	0	0	1
		167	—	0	0	4
		27	1	0	3	12
		27	2	0	6	0
		27	3	0	9	8
		27	4	1	21	8
		27	5	0	2	4
		27	6	0	0	1
		27	7	0	5	8
		27	8	0	3	8
		108	—	1	17	0
		157	1	2	38	0
		157	2	0	6	0

1	2	3	4	5	6	7
गांव	पावने—जारी	2	1	1	10	12
		2	2	0	1	4
		2	3	0	1	4
		2	4	0	0	8
		2	5	0	0	12
		2	6	0	4	0
		2	7	0	1	0
		2	8	0	5	12
		2	9	0	5	0
		2	10	0	0	8
		2	11	0	2	5
		3	—	0	6	8
		4	1	0	16	0
		4	2	0	2	0
		4	3	0	0	12
		4	4	0	0	4
		161	—	0	12	0
		166	1	0	1	4
		166	2	0	9	0
		166	3	1	8	4
		166	4	0	26	0
		105	—	17	19	0
		152	—	0	6	0
		131	—	24	30	0
		106	1	0	10	0
		106	2	0	5	0
		21	1	0	0	12
		21	2	0	3	4
		21	3	0	35	0
		133	—	1	13	0
		134	1	0	25	0
		134	2	0	6	0
		135	—	0	13	0
		136	1	0	19	0
		136	2	0	10	0
		138	—	0	12	0
		140	—	0	5	0
		132	—	2	15	0
		6	1	1	2	12
		6	2	0	22	8
		6	3	0	9	8
		6	4	1	5	8
		7	—	0	23	4
		9	1	0	5	0
		9	2	0	2	0
		9	3	0	34	12
		9	4	0	3	0
		9	5	0	0	8
		9	6	0	0	3
		9	7	0	14	12
		9	8	0	1	8

1	2	3	4	5	6	7
गांव	पावने —समाप्त	9	9	0	4	12
		9	10	0	4	0
		9	11	0	3	0
		9	12	0	2	1
		9	13	1	2	0
		9	14	0	2	0
		9	15	0	12	0
		9	16	0	6	0
		9	17	0	1	0
		9	18	0	3	0
		9	19	0	1	8
		11	1	0	7	12
		11	2	0	7	8
		11	3	0	11	12
		11	4	0	3	12
		12	—	2	28	12
		16	1	0	2	1
		16	2	0	21	0
		17	1	0	4	0
		17	2	0	21	4
		17	3	0	4	12
		17	4	0	3	12
		17	5	0	4	0
		18	1	0	5	0
		18	2	0	27	4
		18	3	0	8	0
		18	4	0	3	0
		18	5	0	0	12
		19	1	0	31	12
		19	2	0	23	0
		19	3	0	2	4
		19	4	0	0	8
		19	5	0	9	12
		13	1	0	10	0
		13	2	0	19	12
		13	3	1	15	4
		13	4	0	3	12
		13	5	0	3	4
		14	—	0	13	8
		65	—	0	2	0
		66	—	0	1	0
		165	—	0	14	0
		151	—	0	3	0
गांव :	खैरेन	16	—	0	14	0
		41	1	0	13	4
			2	0	16	4
			3	0	11	8
			4 भाग	0	1	8
			5 भाग	0	11	12
			6 भाग	0	21	8
			7	0	0	4

1	2	3	4	5	6	7
गांव	खैरेन—जारी	41	8	0	1	8
			9	0	3	8
		42	1	0	11	8
			2	0	8	8
			3	0	16	0
			4	0	16	0
			5	0	4	0
			6	0	4	8
		39	4 भाग	0	4	0
		38	1	0	1	4
			4	1	8	4
			5	1	2	0
			6	0	11	8
			7	1	15	4
		44	1	0	11	12
			2	0	23	12
			3	0	6	08
		45	—	0	25	8
		46	1	0	3	0
			2	0	20	12
			3	0	0	12
			4	0	8	0
			5	0	22	0
			6	0	17	4
			7	0	10	8
			8	0	11	4
			9	0	16	0
			10	0	34	12
			11	0	1	4
			12	0	4	4
			13	0	0	8
		47	—	0	37	0
		48	—	0	7	12
		49	1	0	26	4
			2	0	9	8
			3	0	20	12
			4	0	0	12
			5	0	0	12
			6	0	1	0
			7	0	14	12
			8	0	17	8
		49	9	0	5	8
			10	0	7	4
			11	0	9	4
		50	1	0	22	12
			2	0	20	12
			3	0	4	12
			4	0	10	12
			5	0	8	0
			6	0	11	0
			7	0	3	12
			8	0	7	4

1	2	3	4	5	6	7
गांव : खेरेन—जारी		51	--	0	21	12
		53	1	0	1	4
			2	0	35	0
		54	--	0	33	0
		59	1	0	13	8
			2	0	13	0
			4 भाग	0	7	0
			5	0	6	0
		81	1	1	33	8
		81	2	0	20	8
		83	1	0	37	8
			2	0	3	12
		104	1 भाग	2	18	12
			2	2	6	12
			3	0	4	8
		110	1	0	16	12
			2 भाग	0	38	4
			3	0	3	0
			4	0	1	12
			5	0	19	8
			6	0	1	4
			7	0	3	0
			8	0	1	0
			9	0	2	8
		106	1	0	28	12
			2	0	35	0
			3	0	5	0
			4	0	2	4
		108	1	0	18	0
			2	1	2	12
		114	1	0	10	8
			2	0	3	8
			3	0	29	0
			4	0	25	8
			5	0	5	0
			6	0	7	4
		115	5	0	36	8
		115	1	3	1	12
			2	0	7	0
			3	0	9	0
			4	0	10	8
		121	1	0	2	4
			2	0	3	12
			3	0	2	8
			4	0	2	8
			5	0	19	8
			7	0	27	0
			10	0	4	0
			11	0	12	8
			12	0	3	12
			13	0	4	8
			15	0	22	0
गांव : खेरेन—जारी		121	17	0	0	1
			18	0	2	8
			19	0	24	0
		121	—	0	10	12
		111	1/1	1	26	4
			½	0	6	0
			2	0	1	8
			3	0	2	4
		116	1	1	11	0
			2	0	5	0
			3	0	22	8
		116	5	0	0	4
		122	1	1	21	0
		122	2	0	6	12
			3	0	3	8
			4	0	6	8
			5	0	3	12
			6	0	5	0
			7	0	4	0
			8	0	2	8
			9	1	23	12
		120	1	0	20	12
			2	0	11	12
			3	0	6	12
			4	0	16	12
			5	0	5	12
			6	0	3	12
			7	0	2	12
			8	0	14	8
		156	—	0	5	4
		169	ए	0	2	8
			सी	0	2	8
		182	1	0	19	0
			2	0	35	0
			3	0	18	0
			4	0	10	0
			5	0	10	0
			6	0	5	0
			7	0	24	0
			8	0	34	0
			9	0	9	0
		183	1	0	21	0
			2	0	17	0
		186	—	0	6	0
		184	1	0	12	0
			2	0	13	0
		185	—	0	10	0
		263	1	0	35	4
			2	0	6	4
			3	0	6	8
		230	--	0	6	0
		200	1	8	1	0

1	2	3	4	5	6	7
गांव : खेरेन—समाप्त		200	2	3	19	0
			3/2	0	21	0
			3/1	1	4	0
			4	2	6	0
			5	5	35	0
			6	0	19	0
			7	1	22	0
			8	0	6	0
		202	—	15	32	0
		204 भाग	—	0	32	0
		205	1	2	25	0
			2 भाग	0	37	0
			3	0	10	0
		266	—	0	7	0
		204 भाग	1	0	12	0
		205	2 भाग	8	8	8
		238	1	0	3	12
			2	0	2	12
			3	0	11	8
		223	1	0	16	12
		223	2	0	8	4
		223	बी	0	1	0
		218	—	0	8	0
		240	—	0	4	0
		210	—	1	4	0
		211	1	0	2	0
			3	0	1	0
			4	0	3	0
			5	0	29	0
			6	0	6	0
			7	0	3	0
			8	0	2	0
			9	0	12	0
			10	0	8	0
			11	0	11	0
			12	0	3	0
			13	0	2	0
			14	0	5	0
			15	0	3	0
			16	0	3	0
			17	0	4	0
			18	0	1	0
गांव : तुरमभी		301 भाग		0	11	0
		301 भाग		0	15	0
		302 भाग		0	14	0
		302 भाग		1	27	4
		304 भाग		0	28	4
		304 भाग		0	33	12
		305		0	6	0
		306	—	0	9	0
		307	—	0	4	8

1	2	3	4	5	6	7
गांव . तुरमभी—जारी		308	—	0	7	12
		309	—	0	38	0
		311	—	0	22	4
		312 भाग	—	1	17	4
		312 भाग	—	0	17	12
		312 भाग	—	4	32	12
		312 भाग	—	4	25	12
		312 भाग	—	4	9	0
		312 भाग	—	1	18	8
		313	—	6	27	12
		314	—	0	17	12
		316	—	0	27	4
		315	—	0	13	0
		317	—	1	7	0
		318	—	0	3	0
		319	—	1	5	0
		320	—	0	2	0
		321	—	0	1	4
		322 भाग	—	1	13	0
		322 भाग	—	1	11	0
		322 भाग	—	0	7	8
		322 भाग	—	0	14	8
		322 भाग	—	0	16	12
		322 भाग	—	0	25	12
		322 भाग	—	0	5	12
		323	—	0	1	4
		324	—	0	5	8
		325	—	0	6	0
		326	—	0	15	0
		327	—	0	7	0
		328 भाग	—	0	26	12
		329 भाग	—	0	23	0
		329 भाग	—	0	6	12
		329 भाग	—	0	17	12
		329 भाग	—	0	6	8
		331 भाग	—	0	19	0
		331 भाग	—	0	9	0
		336	—	0	20	12
		337	—	0	5	0
		338	—	1	6	8
		339	—	0	37	0
		340	—	0	39	0
		341	—	0	27	12
		342 भाग	—	1	34	12
		342 भाग	—	1	6	0
		342 भाग	—	0	0	8
		343	—	0	20	4
		344	—	0	15	0
		364	—	1	28	0

1	2	3	4	5	6	7
गांव : तुरमभी—जारी		365	—	0	31	4
		366	—	0	7	0
		367	—	0	11	8
		369 भाग	—	0	1	8
		369 भाग	—	1	24	4
		369 भाग	—	0	1	4
		369 भाग	—	0	4	8
		369 भाग	—	0	5	4
		369 भाग	—	0	6	0
		369 भाग	—	0	27	4
		369 भाग	—	1	17	0
		369 भाग	—	0	12	8
		370 भाग	—	0	17	12
		370 भाग	—	0	10	12
		371 भाग	—	0	5	0
		371 भाग	—	0	8	4
		371 भाग	—	0	8	12
		372	—	0	4	0
		373 भाग	—	1	6	0
		373 भाग	—	0	8	0
		530 भाग	—	0	3	8
		530 भाग	—	0	24	4
		531	—	0	14	8
		532	—	0	15	12
		533 भाग	—	0	21	8
		533 भाग	—	0	1	8
		533 भाग	—	0	9	12
		534 भाग	—	1	32	12
		534 भाग	—	0	14	4
		535 भाग	—	0	30	4
		535 भाग	—	0	4	0
		535 भाग	—	0	7	4
		569	—	0	15	0
		570	—	0	9	8
		606 भाग	—	0	14	8
		608	—	0	6	8
		609	—	0	2	4
		615 भाग	—	0	29	12
		615 भाग	—	0	6	4
		616	—	0	23	12
		617 भाग	—	0	23	4
		617 भाग	—	0	23	4
		617 भाग	—	0	2	0
		617 भाग	—	0	8	12
		618	—	0	30	12
		619	—	0	4	0
		621	—	0	5	0
		624 भाग	—	0	17	8
		626	—	0	19	8
		627 भाग	—	0	27	0
		627 भाग	—	0	10	4

1	2	3	4	5	6	7
गांव : तुरमभी—जारी		628	—	0	8	0
		630 भाग	—	0	26	4
		630 भाग	—	0	20	4
		631 भाग	—	0	3	0
		631 भाग	—	0	15	8
		631 भाग	—	0	7	12
		631 भाग	—	0	3	4
		632	—	0	14	8
		633	—	0	25	8
		634 भाग	—	2587 3/4 वर्ग गज		
		631 भाग	—	2900 वर्ग गज		
		636	—	0	20	0
		637	—	0	7	12
		638 भाग	—	0	19	12
		638 भाग	—	0	8	0
		639 भाग	—	0	16	12
		639 भाग	—	0	1	12
		640 भाग	—	0	9	0
		640 भाग	—	0	31	0
		641	—	0	35	0
		642 भाग	—	0	5	8
		642 भाग	—	0	16	8
		643 भाग	—	1	3	0
		643 भाग	—	0	14	0
		645	—	0	33	12
		647	—	0	10	4
		648	—	0	38	4
		649 भाग	—	0	20	0
		649 भाग	—	897.53 वर्ग गज		
		649 भाग	—	893.66 वर्ग गज		
		650 भाग	—	0	18	0
		650 भाग	—	0	7	8
		650 भाग	—	0	10	0
		650 भाग	—	0	3	0
		651	—	0	4	0
		652	—	0	9	0
		654 भाग	—	0	12	12
		654 भाग	—	0	11	4
		656 भाग	—	0	30	0
		656 भाग	—	0	8	0
		656 भाग	—	0	2	0
		656 भाग	—	0	9	8
		656 भाग	—	0	4	0
		657	—	0	12	4
		658	—	1	3	0
		661	—	0	4	4
		662	—	0	8	4
		667 भाग	—	0	4	8
		667 भाग	—	0	11	4
		667 भाग	—	0	5	4
		667 भाग	—	0	7	0

1	2	3	4	5	6	7
गांव : तुरमभी—जारी		668 भाग	—	0	0	8
		669 भाग	—	0	2	12
		670 भाग	—	0	0	8
		670 भाग	—	0	5	0
		671	—	0	9	12
		672 भाग	—	0	21	4
		673 भाग	—	0	9	4
		675 भाग	—	0	5	12
		675 भाग	—	0	6	12
		677 भाग	—	0	8	0
				एण्ड 72 वर्ग गज		
		677 भाग	—	0	5	0
				11 वर्ग गज		
		677 भाग	—	0	6	0
				36 वर्ग गज		
		677 भाग	—	0	8	0
				52 वर्ग गज		
		677 भाग	—	0	5	0
				71 वर्ग गज		
		678	—	0	8	8
		679	—	0	11	2
		680	—	0	28	8
		681	—	0	32	12
		682	—	0	6	12
		683	—	0	15	0
		684	—	0	14	12
		685	—	0	9	0
		686 भाग	—	0	7	4
		687	—	0	6	0
		688 भाग	—	0	10	12
		688 भाग	—	0	1	12
		689	—	0	13	0
		690	—	1	5	0
		691 भाग	—	0	2	4
		691 भाग	—	0	5	0
		692 भाग	—	0	2	12
		692 भाग	—	0	4	0
		693 भाग	—	0	4	8
		693 भाग	—	0	2	0
		694	—	0	13	0
		695	—	0	6	0
गांव : तुरमभी—जारी		696	—	0	4	8
		697	—	0	5	4
		699 भाग	—	0	5	0
		699 भाग	—	0	3	12
		700 भाग	—	0	8	8
		120 भाग	—	0	15	12
		120 भाग	—	0	6	8
		120 भाग	—	0	9	12
		121	—	0	7	8
		122 भाग	—	0	3	4
		122 भाग	—	0	26	12
		123	—	0	6	4
		124 भाग	—	0	31	12
		124 भाग	—	1	4	8
		125	—	0	23	4
		126	—	0	25	4
		127	—	0	2	12
		128 भाग	—	0	32	4
		128 भाग	—	0	1	8
		128 भाग	—	0	3	12
		129	—	0	14	0
		130 भाग	—	0	18	0
		130 भाग	—	1	3	4
		130 भाग	—	0	14	0
		264 भाग	—	0	26	0
		264 भाग	—	1	0	0
		265	—	0	3	0
		266 भाग	—	0	36	0
		266 भाग	—	0	8	0
		266 भाग	—	1	5	0
		267	—	0	7	8
		268	—	0	8	8
		270 भाग	—	0	24	12
		271 भाग	—	0	7	12
		271 भाग	—	0	17	8
		272 भाग	—	0	4	12
		272 भाग	—	0	9	4
		273 भाग	—	0	0	8
		273 भाग	—	0	3	8
		273 भाग	—	0	1	0
		273 भाग	—	0	2	3
		273 भाग	—	0	2	8
		274	—	0	5	0
		275	—	0	3	4

1	2	3	4	5	6	7
गांव : तुरमभी—जारी		276 भाग	—	950 वर्ग गज		
		276 भाग	—	350 वर्ग गज		
		277	—	2	11	12
		278	—	0	13	0
		279	—	0	20	4
		280	—	0	15	8
		281	—	0	19	4
		282 भाग	—	0	22	0
		282 भाग	—	0	36	8
		283 भाग	—	0	10	8
		283 भाग	—	0	10	8
		284	—	0	10	8
		285	—	0	9	12
		286 भाग	—	0	2	12
		286 भाग	—	0	4	12
		286 भाग	—	0	2	0
		286 भाग	—	0	1	8
		286 भाग	—	0	24	8
		287	—	0	12	12
		288 भाग	—	0	19	4
		288 भाग	—	0	15	0
		288 भाग	—	0	21	12
		291	—	0	22	8
		292	—	0	17	8
		293	—	2	4	4
		294	—	0	26	4
		295	—	0	21	0
		296	—	0	10	4
		297	—	6	21	4
		298	—	0	10	0
		299	—	0	13	0
		300	—	1	12	0
		31	—	0	17	4
		32	—	0	11	0
		33	—	0	15	4
		34 भाग	—	0	8	0
		35 भाग	—	0	3	12
		36 भाग	—	0	18	12
		37	—	0	5	0
		38	—	0	12	0
		39	—	0	15	12
		41 भाग	—	2	33	0
		41 भाग	—	0	14	0
		41 भाग	—	0	13	8
		42 भाग	—	0	14	4
		42 भाग	—	0	15	4
		42 भाग	—	0	17	0
		43	—	0	10	0
		44 भाग	—	0	16	8
		44 भाग	—	0	1	0
		44 भाग	—	0	4	0
गांव : तुरमभी—जारी		44 भाग	—	0	3	4
		45	—	0	14	12
		46	—	0	7	4
		47	—	0	35	8
		48 भाग	—	1	16	12
		48 भाग	—	0	2	0
		151	—	0	7	4
		152	—	1	7	8
		154	—	1	23	4
		155	—	0	22	12
		156	—	2	9	0
		182 भाग	—	1	7	0
		182 भाग	—	0	4	0
		183 भाग	—	0	34	0
		183 भाग	—	0	25	12
		183 भाग	—	1270 वर्ग गज		
		184	—	0	32	0
		185	—	0	16	12
		186	—	0	10	0
		187	—	0	7	8
		188 भाग	—	0	14	8
		188 भाग	—	0	17	8
		190 भाग	—	1	37	8
		191 भाग	—	0	22	8
		191 भाग	—	0	15	4
		192	—	0	37	0
		193	—	0	8	8
		223 भाग	—	0	32	4
		223 भाग	—	0	7	0
		224 भाग	—	0	26	0
		224 भाग	—	0	13	0
		224 भाग	—	0	6	0
		225 भाग	—	3370 वर्ग गज		
		226	—	1	12	4
		227	—	0	15	4
		228	—	0	8	8
		229 भाग	—	17253 वर्ग गज		
		229 भाग	—	0	7	0
		229 भाग	—	0	1	4
		229 भाग	—	0	17	0
		230	—	0	24	4
		701 भाग	—	0	27	0
		702 भाग	—	0	3	4
		702 भाग	—	0	15	12
		703 भाग	—	0	3	0
		704	—	0	11	12
		705	—	0	4	0
		706	—	0	7	8
		707 भाग	—	0	16	0
		707 भाग	—	0	2	0
		708	—	0	8	0

1	2	3	4	5	6	7
गांव : तुरभी—समाप्त		709	—	0	12	12
		710	—	0	9	4
		713	—	0	9	12
		714	—	0	24	4
		715	—	0	26	12
		716 भाग	—	0	28	8
		717 भाग	—	0	24	12
		719 भाग	—	0	11	0
		720 भाग	—	0	24	0
		721	—	0	36	8
		722	—	1	14	0
		723	—	0	14	4
		724 भाग	—	1	20	4
		724 भाग	—	0	5	0
		725	—	0	6	12
		726 भाग	—	1	25	4
		726 भाग	—	0	5	12
		747	—	0	2	4
		727	—	0	1	4
		731	—	0	22	12
		732	—	3	0	8
		733 भाग	—	0	17	8
		739 भाग	—	0	4	12
		739 भाग	—	0	3	12
		739 भाग	—	0	2	8
		739 भाग	—	0	31	8
		739 भाग	—	0	4	8
		739 भाग	—	6	32	8
		740 भाग	—	0	18	4
		740 भाग	—	0	15	8
		741	—	0	15	12
		742 भाग	—	0	4	0
		742 भाग	—	0	22	8
		743 भाग	—	0	27	12
		744	—	0	17	8
		745	—	0	6	0
		746	—	0	30	0
		743 भाग	—	0	11	0
		739 भाग	—	0	7	12
		743 भाग	—	0	11	0
		739 भाग	—	0	7	0
				847 वर्ग गज		
		739 भाग	—	0	7	0
				847 वर्ग गज		

[सं० एफ० 12/11/71-केमिकल-1]

जे० ए० चौधरी, अवर सचिव

विशेष भूमि अर्जन अधिकारी एवं

सक्षम प्राधिकारी (एम०ओ०सी०आई०एल०)

MINISTRY OF PETROLEUM AND CHEMICALS

New Delhi, the 10th August, 1973

S.O. 2417.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for transportation of NAPHTHA and other products from Burmah-Shell Refineries Limited, Mahul, in Maharashtra State to National Organic Chemical Industries Limited, situated at village Ghansoli in the Thana-Belapur Area (District-Thana), in Maharashtra State, pipelines should be laid by the National Organic Chemical Industries Limited, Bombay through villages of Anik, Borla, Deonar, Mankhurd, Mandale of Bombay Suburban Districts and Ghansoli, Koparkhairne, Pawne, Khairne, Turbhe and Vashi in Thana district, and that for the purpose of laying such pipelines it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto;

Now, therefore in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the Petroleum Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein.

Any person interested in the said land may, within 21 days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, object to the laying of the pipelines under the said land, to the Special Land Acquisition Officer, Bombay, (the competent authority) at D-5, Dattaguru Co-operative Housing Society Limited, near Telecommunication Factory, off Sion-Trombay Road, Deonar, Bombay-88. Every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by a legal practitioner.

SCHEDULE

STATE :—Maharashtra

DISTRICT :—Bombay Suburban

Taluka	Village	Survey Number	Hissa Number	Area required in		
				Acre	Guntha	Ana
1	2	3	4	5	6	7
Kurla	Anik	11	—	0	17	12
		12	A 1pt	0	9	8
		12	A 2	0	5	0
		35	1	4	39	0
			2	0	4	0
		36	—	2	27	0
		37	1	0	14	0
		40	1	0	1	0
			2	0	31	0
			3	—	11	8
		41	1A	2	24	4
		41	2	—	4	8
		43	A 1	—	6	4
			2	—	12	12
			3	0	7	12
			4	—	23	0
		47	A 1	—	5	0
			2	—	6	0
		57	—	2	37	8
		63	—	55587 Sq. yds.		
		64pt.	—	12	23	8
		67	1	—	3	12
		74	—	5	10	12
		75	—	0	39	8
		12 B	—	21	32	4
		42 pt	—	0	1	8
		81	1 pt	0	22	8
		43	—	10	10	12
		67	1 pt	6	15	2
		67	7 pt	2	28	14
		64 pt	—	0	28	8
		81	2 pt	0	22	8
		56 B	—	1	11	12
	Borla					
		67	1	0	4	0
			2	23	4	0
		68	—	20	12	0
	Deonar					
		35	1 pt	6880 sq. yards.		
		60	2	0	16	0
		62	—	2	25	0
		67	—	32	12	0
		68	—	31	24	
		70 pt	—	0	12	0
		71	1	1	13	0
			4	9	32	0
		72	—	27	0	0
			5	0	10	0
			2	0	4	4

1	2	3	4	5	6	7
		79 A	1	6	6	8
			4	0	15	4
		80	—	3	3	0
		81	1 pt	1	11	12
			1 pt	9	17	8
			1 pt	1	15	14
		81 A	—	4469 sq. yards		
		82 pt	—	2	33	0
			pt	0	15	0
		83 pt	—	4	13	8
		83 pt	—	7643 sq yards		
		83 pt	—	1	4	0
		83 pt	—	0	26	12
		84	1 pt	1	24	8
		84 A	—	0	22	8
			1 pt	1	2	0
		84	1 pt	5	29	12
		84	1 pt	0	23	0
		84	2	1	19	0
		101 pt	—	0	8	4
		107	—	124	31	0
Village: Mankhurd						
		18	A 1	177 sq yards		
			A 2	71 sq yards		
			A 3	102 sq. yards		
			A 4	75 sq. yards		
			A 5	270 sq. yards		
		18 B	—	0	7	12
		102 B	N A.	2	6	0
		104 B	—	0	6	8
		150 pt	—	16	24	14
		150 pt	—	16	24	14
		I. Develop	—	58	34	14
		147	—	0	1	0
Village: Mandale						
		11	1	2	2	4
		11	2	3	3	8
		89	1	78	31	12
		90	1	39	4	4
		91	1	27	29	0

STATE :—Maharashtra

DISTRICT :—Thana

Taluka	Village	Survey Number	Hissa Number	Area required in		
				Acre	Gun-tha	Ana
1	2	3	4	5	6	7
Thana	Ghan-soli	616	—	1	24	0
		617 pt	—	0	31	0
		617 pt	—	1	5	0
		617 pt	—	1	23	12
		617 pt	—	2	38	0
		617 pt	—	1	13	0
		618	—	0	29	0
		619	—	1	12	0
		620	—	3	32	4
		621	—	0	14	8
		622	—		14	8
		623	pt	0	1	8
		623	,,	0	25	8
		623	,,	1	26	0
		623	,,	0	36	4
		623	,,	0	16	8
		624	,,	1	19	12
		625 pt	—	0	7	0
		625 pt	—	0	4	4
		626 pt	—	0	32	12
		626 pt	—	0	16	12
		628	—	1	39	12
		629	—	0	11	4
		325	—	0	5	12
		326 pt	—	0	12	4
		326 pt	—	0	17	0
		327	—	1	26	12
		341 pt	—	0	32	8
		341 pt	—	1	16	0
		341 pt	—	2	6	4
		345 pt	—	0	32	4
		345 pt	—	0	1	0
		346	—	0	11	0
		347	—	0	18	12
		348	—	4	27	4
		355 pt	—	0	32	4
		355 pt	—	2	0	0
		355 pt	—	0	30	12
		356 pt	—	0	12	8
		356 pt	—	0	1	12
		356 pt	—	3	7	8
		363 pt	—	0	25	0
		363 pt	—	0	5	4
		364	—	7	35	0
		366 pt	—	0	3	8
		366 pt	—	0	17	0
		367	—	0	26	0
		368	—	1	34	0
		369	—	3	9	0
		433 pt	—	1	9	8
		433 pt	—	1	19	4
		433 pt	—	0	22	0
		434 pt	—	1	12	4
		434 pt	—	0	5	0
		434 pt	—	0	8	0
		434 pt	—	0	7	0
		434 pt	—	0	31	8
		435	—	0	20	4
		443	—	0	9	4
		444	—	0	5	8
		445 pt	—	0	12	0
		445 pt	—	0	21	0
		446	—	0	11	8
		447	—	2	25	12
		448	—	0	30	4
		449	—	1	5	12
		450	—	0	19	12
		451	—	0	8	4
		452 pt	—	0	4	4
		452 pt	—	0	7	0
		452 pt	—	0	27	0
		453 pt	—	0	6	4
		453 pt	—	0	2	4
		454	—	1	7	0
		455	—	0	23	4
		456	—	0	9	8
		457 pt	—	0	12	0
		457 pt	—	0	10	0
		457 pt	—	0	10	0
		457 pt	—	0	17	12
		457 pt	—	0	32	0
		457 pt	—	0	7	0
		457 pt	—	0	19	0
		458 pt	—	0	11	4
		458 pt	—	0	8	4
		460	—	0	10	8
		461	—	0	5	4
		462	—	1	6	8
		463	—	0	4	12
		464	—	0	6	8
		469	—	0	22	8
		470 pt	—	7	31	4
		471	—	0	10	0
		472	—	10	29	8
		473	—	0	8	0
		474	—	3	22	0
		476	—	0	7	4
		477	—	2	33	0
		479	—	0	15	12
		480	—	3	36	12
		481	—	2	31	6
		482 pt	—	1	33	4
		482 pt	—	0	19	4
		608 pt	—	1	25	12
		608 pt	—	2	25	0
		609	—	0	17	0
		610	—	0	2	4
		610	—	0	3	4
		611	—	0	27	12
		342	—	1	0	0
		343	—	2	19	0

State :—Maharashtra
District : Thana

Taluka	Village	Survey Number	Hissa Number	Area required in Acre	Gun-tha	Ana
1	2	3	4	5	6	7
Thana	Savli	109	1	0	23	0
		109	2	0	2	0
		109	3	0	12	0
		109	4	0	1	0
		110A	1	0	15	12
		110A	2	9	30	0
		111	1	4	36	0
		111	2	7	25	0
		111	3	0	31	0
		112	1	4	22	0
		112	2	0	33	0
		113	1	0	12	4
		113	2	0	7	8
		113	3	1	33	8
		114	—	6	24	0
		115	1	2	5	4
		115	2	0	15	0
		115	3	0	3	4
		115	4	0	1	8
		115	5	0	5	12
		115	6	0	0	12
		115	7	0	0	4
		115	8	0	0	1
		115	9	0	3	8
		117	—	0	23	8
		29	—	0	16	8
		30	1 pt	0	14	0
		30	1 pt	1	0	0
		30	2	0	5	0
		30	3	0	5	12
		31	4	0	2	4
		31	1	1	7	12
		31	2	0	1	12
		31	3	0	4	0
		31	4	0	12	4
		31	5	0	2	8
		32	—	0	17	12
		33	1	0	6	0
		33	2	0	4	12
		33	3	0	9	12
		33	4	0	14	8
		132	—	2	21	0
		48 pt	—	0	16	4
		48 pt	—	0	15	4
		49 pt	—	0	5	0
		49 pt	—	0	20	0
		133	—	0	13	0
		47 pt	—	0	13	4
		47 pt	—	0	26	0
		134	—	0	13	0
		135	—	0	9	0
		138	—	0	25	0
		53	—	0	7	4
		54	—	0	20	4
		81	—	4	20	0
		82	—	0	34	0
		88	1/2	0	22	4
		88	1	0	20	4
		88	2	0	31	4
		89	—	0	22	8
		144	—	0	2	4
		97	—	0	25	4
		91	—	1	1	12
		148	—	0	2	0
		144	1	0	3	0
		144	2	0	9	8
		144	3	0	16	0
		144	4	0	9	12
		146	—	0	2	12
		129A	1	0	14	8
		129A	2	0	3	0
		129A	4	0	1	0
		129C	1	0	3	0
		129C	2	0	0	12
		129C	3	0	0	8
		128	1	0	1	0
		128	2	0	11	0
		128	3	0	8	0
		128	4	0	8	
		128	5	0	13	0
		34	—	0	21	
		35	—	0	15	
		36	—	0	26	12
		38	—	0	32	12
		39	1	0	0	4
		39	2	0	4	12
		39	3	0	0	8
		39	4	0	7	8
		39	5	0	3	0
		39	6	0	5	0
		40	1	0	12	0
		40	2	0	0	8
		41	1	4	29	8
		41	2	0	5	12
		41	3	1	16	4
		41	4	0	0	8
		41	5	0	1	0
		41	6	0	8	8
		41	7	0	4	8
		42	1	1	16	8
		42	2	0	3	8
		43	3	0	4	0
		44	1	2	37	8
		44	2	0	38	12
		45	—	0	29	4
		46	1	1	31	0
		46	2	0	1	0
		55	—	0	12	12
		56	1	0	4	4
		57	—	0	3	0
		58	—	2	18	0
		59	1	1	14	12
		59	2	0	19	4
		59	3	0	36	12
		59	4	0	1	12
		59	5	0	1	8
		59	6	0	6	0
		126	—	0	34	0
		127	1	2	17	0
		127	2	0	14	0
		76	—	0	11	4
		77	1	1	3	0
		77	2	1	18	0
		78	—	2	17	0
		79	1	0	4	8
		79	2	2	30	8
		79	3	0	0	12
		79	4	0	6	4
		80	—	0	39	12
		125	—	0	10	0
		92	—	0	15	0
		95	1	0	3	8
		95	2	0	7	12
		95	2	0	11	0
		95	4	0	16	0
		95	5	0	1	8
		95	6	0	3	4
		96	—	0	3	8
		99	1	1	27	0
		99	2/1	0	15	0
		99	2/2	0	11	0
		99	2/3	0	14	12
		99	2/4	0	13	12
		99	2/5	0	8	0
		99	3 pt	0	27	8
		99	3 pt	0	23	0
		99	4	0	10	0
		147	—	0	1	8
		37	4	0	7	4
		37	2	0	7	12
		37	3	0	1	0
		37	4	0	11	4
		28	1	0	14	4
		28	2	0	0	12
		134	—	0	13	0
		142	—	0	12	0
Village : Vashi						
		3	1 pt	9	4	
		3	1 pt	2	10	
		3	2	0	27	
		4	—	12	11	
		6	1	1	39	

1	2	3	4	5	6	7
Villlage : Vashi—Contd.		6	2 pt	1	28	0
		6	3	0	12	0
		6	4 pt	3	10	0
		6	5 pt	2	32	8
		6	6	0	11	12
		6	7	3	5	0
		6	8 pt	0	30	12
		6	9	4	25	12
		6	10	4	9	12
		6	11	2	9	0
		6	12	7	5	12
		6	13	7	16	12
		6	14	6	35	4
		6	15 pt	3	1	8
		6	16	1	32	0
		8 pt	—	0	3	8
Village : Kopar Khairane						
		200	—	0	28	12
		201	—	1	39	4
		202	—	0	15	4
		203	—	0	6	8
		204	—	0	16	12
		205	—	0	14	0
		206	—	1	17	12
		207	—	0	21	0
		208	—	0	6	12
		210	—	0	31	8
		211/1	—	0	12	4
		211/2	—	0	12	4
		212	—	1	29	0
		214	—	1	20	12
		215	—	0	32	8
		216	—	0	12	8
		217	—	9	24	0
		219	—	0	16	8
		220	—	0	2	4
		214 pt	—	0	2	0
		215 pt	—	0	9	0
		216 pt	—	0	12	0
		217 pt	—	4	19	0
		219 pt	—	0	2	0
		216	—	0	0	8
		223	—	1	39	8
		224	—	0	22	0
		225	—	0	26	0
		226	—	0	5	0
		227	—	0	22	8
		228	—	1	3	0
		229	—	0	6	8
		230 pt	—	0	24	4
		231	—	0	34	8
		233/1	—	0	4	0
		233/2	—	2	18	12
		234	—	2	1	0
		235	—	2	12	0
		236/1	—	1	28	0
		236/2	—	1	32	0
		237	—	4	6	0
		240/1	—	1	13	0
		240/2	—	9	12	4
		252	—	1	10	4
		230 pt	—	0	13	0
		198	—	0	14	4
		119	—	1	15	8
		197 pt	—	0	10	0
		517	—	0	3	0
		518	—	0	7	0
Village : Pavne						
		107	—	0	12	0
		169	—	0	20	0
		26	1	0	9	12
		26	2	0	3	12
		26	3	0	12	4
		26	4	0	5	4
		26	5	0	6	6
		26	6	0	3	0
		26	7	0	15	8
		26	8	0	5	8
		20	1	0	6	4
		20	2	0	5	0
		20	3	0	32	0
		20	4	0	22	12
		20	5	0	2	4
		20	6	0	35	12
		20	7	0	13	12
		20	8	0	9	4
		22	1	0	23	4
		22	2	1	0	12
		22	3	0	27	12
		22	6	0	4	0
		22	8	0	0	8
		23	—	1	39	4
		24	2	1	10	8
		24	1/1	0	31	8
		25	1	1	12	12
		25	2	0	18	0
		25	2	0	18	0
		25	3	0	3	0
		25	4	0	0	12
		25	5	0	9	8
		25	6	0	1	0
		25	7	0	2	4
		25	8	0	3	8
		25	9	0	8	4
		25	10	0	1	0
		142	—	2	19	12
		144 pt	—	2	23	0
		144 pt	—	3	3	4
		141	—	75	2	0
		143	1	0	24	0
		143	2	0	17	0
		143	3 pt	2	33	4
		143	3 pt	2	33	4
		143	4	0	3	0
		15 A	—	0	17	0
		164	—	0	14	0
		171	—	0	0	1
		167	—	0	0	4
		27	1	0	3	12
		27	2	0	6	0
		27	3	0	9	8
		27	4	1	21	8
		27	5	0	2	4
		27	6	0	0	1
		27	7	0	5	8
		27	8	0	3	8
		108	—	1	17	0
		157	1	2	38	0
		157	2	0	6	0
		2	1	1	10	12
		2	2	0	1	4
		2	3	0	1	4
		2	4	0	0	8
		2	5	0	0	12
		2	6	0	4	0
		2	7	0	1	0
		2	8	0	5	12
		2	9	0	5	0
		2	10	0	0	8
		2	11	0	2	5
		3	—	0	6	8
		4	1	0	16	0
		4	2	0	2	0
		4	3	0	0	12
		4	4	0	0	4
		161	—	0	12	0
		166	1	0	1	4
		166	2	0	9	0
		166	3	1	8	4
		166	4	0	26	0
		105	—	17	19	0
		152	—	0	6	0
		131	—	24	30	0
		106	1	0	10	0
		106	2	0	5	0
		21	1	0	0	12
		21	2	0	3	4
		21	3	0	35	0
		133	—	1	13	0
		134	1	0	25	0
		134	2	0	6	0
		135	—	0	13	0
		136	1	0	19	0
		136	2	0	10	0
		138	—	0	12	0
		140	—	5	5	0
		132	—	2	15	0
		6	1	1	2	12

1	2	3	4	5	6	7
Village: Pavne—Contd.		6	2	0	22	8
		6	3	0	9	8
		6	4	1	5	8
		7	—	0	23	4
		9	1	0	5	0
		9	2	0	2	0
		9	3	0	34	12
		9	4	0	3	0
		9	5	0	0	8
		9	6	0	3	0
		9	7	0	14	12
		9	8	0	1	8
		9	9	0	4	12
		9	10	0	4	0
		9	11	0	3	0
		9	12	0	2	4
		9	13	1	2	0
		9	14	0	2	0
		9	15	0	12	0
		9	16	0	6	0
		9	17	0	1	0
		9	18	0	3	0
		9	19	0	1	8
		11	1	0	7	12
		11	2	0	7	8
		11	3	0	11	12
		11	4	0	3	12
		12	—	2	28	12
		16	1	0	2	4
		16	2	0	21	0
		17	1	0	4	0
		17	2	0	21	4
		17	3	0	4	12
		17	4	0	3	12
		17	5	0	4	0
		18	1	0	5	0
		18	2	0	27	4
		18	3	0	8	0
		18	4	0	3	0
		18	5	0	0	12
		19	1	0	31	12
		19	2	0	23	0
		19	3	0	2	4
		19	4	0	0	8
		19	5	0	9	12
		13	1	0	10	0
		13	2	0	19	12
		13	3	1	15	4
		13	4	0	3	12
		13	5	0	3	4
		14	—	0	13	8
		65	—	0	2	0
		66	—	0	1	0
		165	—	0	14	0
		151	—	0	3	0
Village: Khairane		16	—	0	14	0
		41	1	0	13	4
			2	0	16	4
			3	0	11	8
			4 Pt	0	1	8
			5 Pt	0	11	12
			6 Pt	0	21	8
			7	0	0	4
			8	0	1	8
			9	0	3	8
		42	1	0	11	8
			2	0	8	8
			3	0	16	0
			4	0	16	0
			5	0	4	0
			6	0	4	8
		39	4 Pt	0	4	0
		38	1	0	1	4
			4	1	8	4
			5	1	2	0
			6	0	11	8
			7	1	15	4
		44	1	0	11	12
			2	0	23	12
			3	0	6	8
		45	—	0	25	0
		46	1	0	3	0
			2	0	20	12
			3	0	0	12
			4	0	8	0
Village : Khairane—Contd.			5	0	22	0
			6	0	17	4
			7	0	10	8
			8	0	14	4
			9	0	16	0
			10	0	34	12
			11	0	1	4
			12	0	4	4
			13	0	0	8
		47	—	0	37	0
		48	—	0	7	12
		49	1	0	26	4
			2	0	9	8
			3	0	20	12
			4	0	0	12
			5	0	0	12
			6	0	1	0
			7	0	14	12
			8	0	17	8
		49	9	0	5	8
			10	0	7	4
			11	0	9	4
		50	1	0	22	12
			2	0	20	12
			3	0	4	12
			4	0	10	12
			5	0	8	0
			6	0	11	0
			7	0	3	12
			8	0	7	4
		51	—	0	21	12
		53	1	0	1	4
			2	0	35	0
		54	—	0	33	0
		39	1	0	13	8
			2	0	13	0
			4 Pt	0	7	0
			5	0	6	0
		81	1	1	33	8
			2	0	20	8
		83	1	0	37	8
			2	0	3	12
		104	1 Pt	2	18	12
			2	2	6	12
			3	0	4	8
		110	1	0	16	12
			2 Pt	0	38	4
			3	0	3	0
			4	0	1	12
			5	0	19	8
			6	0	1	4
			7	0	3	0
			8	0	1	0
			9	0	2	8
		106	1	0	28	12
			2	0	35	0
			3	0	5	0
			4	0	2	4
		108	1	0	18	0
			2	1	2	12
		114	1	0	10	8
			2	0	3	8
			3	0	29	0
			4	0	25	8
			5	0	5	0
			6	0	7	4
		115	5	0	36	8
			1	3	1	12
			2	0	7	0
			3	0	9	0
			4	0	10	8
		121	1	0	2	4
			2	0	3	12
			3	0	2	8
			4	0	2	8
			5	0	19	8
			7	0	27	0
			10	0	4	0
			11	0	12	8
			12	0	3	12
			13	0	4	8
			15	0	22	0
			17	0	0	1

1	2	3	4	5	6	7
Village . Khairane—Contd.			18	0	2	8
		121	19	0	24	0
		124	—	0	10	12
		111	1	1	26	4
			1/1			0
			1/2	0	6	0
			2	0	1	8
			3	0	2	4
		116	1	1	11	0
			2	0	5	0
			3	0	22	8
		116	5	0	0	4
		122	1	1	21	0
			2	0	6	12
			3	0	3	8
			4	0	6	8
			5	0	3	12
			6	0	5	0
			7	0	4	0
			8	0	2	8
			9	1	23	12
		120	1	0	20	12
			2	0	11	12
			3	0	6	12
			4	0	16	12
			5	0	5	12
			6	0	3	12
			7	0	2	12
			8	0	14	8
		156	—	0	5	4
		169	A	0	2	8
			C	0	2	8
		182	1	0	19	0
			2	0	35	0
			3	0	18	0
			4	0	10	0
		182	5	0	10	0
			6	0	5	0
			7	0	24	0
			8	0	34	0
			9	0	9	0
		183	1	0	21	0
			2	0	17	0
		186	—	0	6	0
		184	1	0	12	0
			2	0	13	0
		185	—	0	10	0
		263	1	0	35	4
			2	0	6	4
			3	0	6	8
		230	—	0	6	0
		200	1	8	1	0
			2	3	19	0
			3/2	0	21	0
			3/1	1	4	0
			4	2	6	0
			5	5	35	0
			6	0	19	0
			7	1	22	0
			8	0	6	0
		202	—	15	32	0
		204 pt	—	0	32	0
		205	1	2	25	0
			2 pt	0	37	0
			3	0	10	0
		266	—	0	7	0
		204 pt	—	0	12	0
		205	2 pt	8	8	8
		238	1	0	3	12
			2	0	2	12
			3	0	11	8
		223	1	0	16	12
			2	0	8	4
		223	B	0	1	0
		218	—	0	8	0
		240	—	0	4	0
		210	—	1	4	0
		211	1	0	2	0
			3	0	1	0
			4	0	3	0
			5	0	29	0
			6	0	6	0
			7	0	3	0
			8	0	2	0

1	2	3	4	5	6	7
Village : Khairane—Contd.			9	0	12	0
			10	0	8	0
			11	0	11	0
			12	0	3	0
			13	0	2	0
			14	0	5	0
			15	0	3	0
			16	0	3	0
			17	0	4	0
			18	0	1	0
Village . TURMBHE						
		301 pt	—	0	11	0
		301 pt	—	0	15	0
		302 pt	—	0	14	0
		302 pt	—	1	27	4
		304 pt	—	0	28	4
		304 pt	—	0	33	12
		305 pt	—	0	6	0
		306	—	0	9	0
		307	—	0	4	8
		308	—	0	7	12
		309	—	0	38	0
		311	—	0	22	4
		312 pt	—	1	17	4
		312 pt	—	0	17	12
		312 pt	—	4	32	12
		312 pt	—	4	25	12
		312 pt	—	4	9	0
		312 pt	—	1	18	8
		313	—	6	27	12
		314	—	0	17	12
		316	—	0	27	4
		315	—	0	13	0
		317	—	1	7	0
		318	—	0	3	0
		319	—	1	5	0
		320	—	0	2	0
		321	—	0	1	4
		322 pt	—	1	13	0
		322 pt	—	1	11	0
		322 pt	—	0	7	8
		322 pt	—	0	14	8
		322 pt	—	0	16	12
		322 pt	—	0	25	12
		322 pt	—	0	5	12
		323	—	0	1	4
		324	—	0	5	8
		325	—	0	6	0
		326	—	0	15	0
		327		0	7	0
		328 pt		0	26	12
		329 pt	—	0	23	0
		329 pt	—	0	6	12
		329 pt	—	0	17	12
		329 pt	—	0	6	8
		331 pt	—	0	19	0
		331 pt	—	0	9	0
		331 pt	—	0	30	0
		336	—	0	20	12
		337	—	0	5	0
		338	—	1	6	8
		339	—	0	37	0
		340	—	0	39	0
		341	—	0	27	12
		342 pt	—	1	34	12
		342 pt	—	1	6	0
		342 pt	—	0	0	8
		343	—	0	20	4
		344	—	0	15	0
		364	—	1	28	0
		365	—	0	31	4
		366	—	0	7	0
		367	—	0	11	8
		369 pt	—	0	1	8
		369 pt	—	1	24	4
		369 pt	—	0	1	4
		369 pt	—	0	4	8
		369 pt	—	0	5	4
		369 pt	—	0	6	0
		369 pt	—	0	27	4
		369 pt	—	1	17	0
		369 pt	—	0	12	8
		370 pt	—	0	17	12
		371 pt	—	0	10	12

1	2	3	4	5	6	7
Village : Turmbhe — Contd.		371 pt	—	0	5	0
		371 pt	—	0	8	4
		371 pt	—	0	8	12
		372	—	0	4	0
		373 pt	—	1	6	0
		373 pt	—	0	8	0
		530 pt	—	0	3	8
		530 pt	—	0	24	4
		531	—	0	14	8
		532	—	0	15	12
		533 pt	—	0	21	8
		533 pt	—	0	1	8
		533 pt	—	0	9	12
		534 pt	—	1	32	12
		534 pt	—	0	14	4
		535 pt	—	0	30	4
		535 pt	—	0	4	0
		535 pt	—	0	7	4
		569	—	0	15	0
		570	—	0	9	8
		606 pt	—	0	14	8
		608 pt	—	0	6	8
		609 pt	—	0	2	4
		615 pt	—	0	29	12
		615 pt	—	0	6	4
		616	—	0	23	12
		617 pt	—	0	23	4
		617 pt	—	0	23	4
		617 pt	—	0	2	0
		617 pt	—	0	8	12
		618	—	0	30	12
		619	—	0	4	0
		621	—	0	5	0
		624 pt	—	0	17	8
		626	—	0	19	8
		627 pt	—	0	27	0
		627 pt	—	0	10	4
		628	—	0	8	0
		630 pt	—	0	26	4
		630 pt	—	0	20	4
		631 pt	—	0	3	0
		631 pt	—	0	15	8
		631 pt	—	0	7	12
		631 pt	—	0	3	4
		632	—	0	14	8
		633	—	0	25	8
		634 pt	—	2587	½ sq	yards
		634 pt	—	2900	sq.	yards
		636	—	0	20	0
		637	—	0	7	12
		638 pt	—	0	19	12
		638 pt	—	0	8	0
		639 pt	—	0	16	12
		639 pt	—	0	1	12
		640 pt	—	0	9	0
		640 pt	—	0	31	0
		641	—	0	35	0
		642 pt	—	0	5	8
		642 pt	—	0	16	8
		643 pt	—	1	3	0
		643 pt	—	0	14	0
		645	—	0	33	12
		647	—	0	10	4
		648	—	0	38	4
		649 pt	—	0	20	0
		649 pt	—	897.53		yards
		649 pt	—	893.66		yards
		650 pt	—	0	18	0
		650 pt	—	0	7	8
		650 pt	—	0	10	0
		650 pt	—	0	3	0
		651	—	0	4	0
		652	—	0	9	0
		654 pt	—	0	12	12
		654 pt	—	0	11	4
		656 pt	—	0	30	0
		656 pt	—	0	8	0
		656 pt	—	0	2	0
		656 pt	—	0	9	8
		656 pt	—	0	4	0
		657	—	0	12	4
		658	—	1	3	0
		661 pt	—	0	4	4
		662 pt	—	0	8	4
		667 pt	—	0	4	8
		667 pt	—	0	11	4
		667 pt	—	0	5	4
		667 pt	—	0	7	0
		668 pt	—	0	0	8
		669 pt	—	0	2	12
		670 pt	—	0	0	8
		670 pt	—	0	5	0
		671	—	0	9	12
		672 pt	—	0	21	4
		673 pt	—		9	4
		675 pt	—	0	5	12
		675 pt	—	0	6	12
		677 pt	—	0	8	0
				& 72 sq. yards.		
		677 pt	—	0	5	0
				11 sq. yards.		
		677 pt	—	0	6	0
				36 sq. yards.		
		677 pt	—	0	8	0
				52 sq. yards.		
		677 pt	—	0	5	0
				71 sq. yards.		
		678	—	0	8	8
		679	—	0	11	2
		680	—	0	28	8
		681	—	0	32	12
		682	—	0	6	12
		683	—	0	15	0
		684	—	0	14	12
		685	—	0	9	0
		686 pt	—	0	7	4
		687	—	0	6	0
		688 pt	—	0	10	12
		688 pt	—	0	1	12
		689	—	0	13	0
		690	—	1	5	0
		691 pt	—	0	2	4
		691 pt	—	0	5	0
		692 pt	—	0	2	12
		692 pt	—	0	4	0
		693 pt	—	0	4	8
		693 pt	—	0	2	0
		694	—	0	13	0
		695	—	0	6	0
		696	—	0	4	8
		697	—	0	5	4
		699 pt	—	0	5	0
		699 pt	—	0	3	12
		700 pt	—	0	8	8
		120 pt	—	0	15	12
		120 pt	—	0	6	8
		120 pt	—	0	9	12
		121	—	0	7	8
		122 pt	—	0	3	4
		122 pt	—	0	26	12
		123	—	0	6	4
		124 pt	—	0	31	12
		124 pt.	—	0	4	8
		125	—	0	23	4
		126	—	0	25	4
		127	—	0	2	12
		128 pt	—	0	32	4
		128 pt	—	0	1	8
		128 pt	—	0	3	12
		129	—	0	14	0
		130 pt	—	0	18	0
		130 pt	—	1	3	4
		130 pt	—	0	14	0
		264 pt	—	0	26	0
		264 pt	—	1	0	0
		265	—	0	3	0
		266 pt	—	0	36	0
		266 pt	—	0	8	0
		266 pt	—	1	5	0
		267	—	0	7	8
		268	—	0	8	8
		270 pt	—	0	24	12
		271 pt	—	0	7	12
		271 pt	—	0	17	8
		272 pt	—	0	4	12
		272 pt	—	0	9	4
		273 pt	—	0	0	8

1	2	3	4	5	6	7
Village : Turmbhe — Contd.		273 pt	—	0	3	8
		273 pt	—	0	1	0
		273 pt	—	0	2	3
		273 pt	—	0	2	8
		274	—	0	5	0
		275	—	0	3	4
		276 pt	—	950	sq.	yards
		276 pt	—	350	sq.	yards
		277	—	2	11	12
		278	—	0	13	0
		279	—	0	20	4
		280	—	0	15	8
		281	—	0	19	4
		282 pt	—	0	22	0
		282 pt	—	0	36	8
		283 pt	—	0	10	8
		283 pt	—	0	10	8
		284	—	0	10	8
		285	—	0	9	12
		286 pt	—	0	2	12
		286 pt	—	0	4	12
		286 pt	—	0	2	0
		286 pt	—	0	1	8
		286 pt	—	0	24	8
		287	—	0	12	12
		288 pt	—	0	19	4
		288 pt	—	0	15	0
		288 pt	—	0	21	12
		291	—	0	22	8
		292	—	0	17	8
		293	—	2	4	4
		294	—	0	26	4
		295	—	0	21	0
		296	—	0	10	4
		297	—	6	21	4
		298	—	0	10	0
		299	—	0	13	4
		300	—	1	12	0
		31	—	0	17	4
		32	—	0	11	0
		33	—	0	15	4
		34 pt	—	0	8	0
		35 pt	—	0	3	12
		36 pt	—	0	18	12
		37	—	0	5	0
		38	—	0	12	0
		39	—	0	15	12
		41 pt	—	2	33	0
		41 pt	—	0	14	0
		41 pt	—	0	13	8
		42 pt	—	0	14	4
		42 pt	—	0	15	4
		42 pt	—	0	17	0
		43	—	0	10	0
		44 pt	—	0	16	8
		44 pt	—	0	1	0
		44 pt	—	0	4	0
		44 pt	—	0	3	4
		45	—	0	14	12
		46	—	0	7	4
		47	—	0	35	8
		48 pt	—	1	16	12
		48 pt	—	0	2	0
		151	—	0	7	4
		152	—	1	7	8
		154	—	1	23	4
		155	—	0	22	12
		156	—	2	9	0
		182 pt	—	1	7	0
		182 pt	—	0	4	0
		183 pt	—	0	34	0
		183 pt	—	0	25	12
		183 pt	—	1270	sq.	yards
		184	—	0	32	0
		185	—	0	16	12
		186	—	0	10	0
		187	—	0	7	8
		188 pt	—	0	14	8
		188 pt	—	0	17	8
		190 pt	—	1	37	8
		191 pt	—	0	22	8
		191 pt	—	0	15	4
		192	—	0	37	0
		193	—	0	8	8
		223 pt	—	0	32	4
		223 pt	—	0	7	0
		224 pt	—	0	26	0
		224 pt	—	0	13	0
		224 pt	—	0	6	0
		225 pt	—	3370	sq.	yards
		226	—	1	12	4
		227	—	0	15	4
		228	—	0	8	8
		229 pt	—	17253	sq.	yards
		229 pt	—	0	7	0
		229 pt	—	0	1	4
		229 pt	—	0	17	0
		230	—	0	24	4
		701 pt	—	0	27	0
		702 pt	—	0	3	4
		702 pt	—	0	15	12
		703 pt	—	0	3	0
		704	—	0	11	12
		705	—	0	4	0
		706	—	0	7	8
		707 pt	—	0	16	0
		707 pt	—	0	2	0
		708	—	0	8	0
		709	—	0	12	12
		710	—	0	9	4
		713	—	0	9	12
		714	—	0	24	4
		715	—	0	26	12
		716 pt	—	0	28	8
		717 pt	—	0	24	12
		719 pt	—	0	11	0
		720 pt	—	0	24	0
		721	—	0	36	8
		722	—	1	14	0
		723	—	0	14	4
		724 pt	—	1	20	4
		724 pt	—	0	5	0
		725	—	0	6	12
		726 pt	—	1	25	4
		726 pt	—	0	5	12
		747	—	0	2	4
		727	—	0	1	4
		731	—	0	22	12
		732	—	3	0	8
		733 pt	—	0	17	8
		739 pt	—	0	4	12
		739 pt	—	0	3	12
		739 pt	—	0	2	8
		739 pt	—	0	31	8
		739 pt	—	0	4	8
		739 pt	—	6	32	8
		740 pt	—	0	18	4
		740 pt	—	0	15	8
		741	—	0	15	12
		742 pt	—	0	4	0
		742 pt	—	0	22	8
		743 pt	—	0	27	12
		744	—	0	17	8
		745	—	0	6	0
		746	—	0	30	0
		743 pt	—	0	11	0
		739 pt	—	0	7	12
		743 pt	—	0	11	0
		739 pt	—	0	7	0
				847	sq.	yards.
		739 pt	—	0	7	0
				847	sq.	yards.

[F. 12/11/71-ChI]

J. A. CHOWDHURY, Undor Secy.
Special Land Acquisition Officer and
Competent Authority (M.O.C.I.L.)

संचार विभाग

(डाक-तार बोर्ड)

नई दिल्ली, 18 अगस्त, 1973

का. आ. 2418.—स्थायी आदेश संख्या 627, दिनांक 8 मार्च, 1960 द्वारा लागू किए गए भारतीय तार नियम 1951 के नियम 434 के खण्ड 3 के पैरा (क) के अनुसार डाक-तार महानिदेशक ने अरुप्पुक्कोट्टै टेलीफोन केन्द्र में दिनांक 16-9-73 से प्रमाणित दर प्रणाली लागू करने का निश्चय किया है।

[सं. 5-18/73 पी. एच. बी.]

MINISTRY OF COMMUNICATIONS

(P. & T. Board)

New Delhi, the 18th August, 1973

S.O. 2418.—In pursuance of para (a) of Section III of Rule 434 of Indian Telegraph Rules, 1951, as introduced by S.O. No. 627 dated 8th March, 1960, the Director General, Posts and Telegraphs, hereby specifies the 16-9-1973 as the date on which the Measured Rate System will be introduced in ARUPPUKKOTTAI Telephone Exchange, Tamil Nadu Circle.

[No. 5-18/73-PHB.]

का. आ. 2419.—स्थायी आदेश संख्या 627, दिनांक 8 मार्च, 1960 द्वारा लागू किए गए भारतीय तार नियम 1951 के नियम 434 के खण्ड 3 के पैरा (क) के अनुसार डाक-तार महानिदेशक ने तिरुचेंनगोड टेलीफोन केन्द्र में दिनांक 1-10-73 से प्रमाणित दर प्रणाली लागू करने का निश्चय किया है।

[सं. 5-18/73 पी. एच. बी.]

पी. सी. गुप्ता, सहायक महा निदेशक, (पी. एच. बी.)

S.O. 2419.—In pursuance of para (a) of Section III of Rule 434 of Indian Telegraph Rules, 1951, as introduced by S.O. No. 627 dated 8th March, 1960, the Director General, Posts and Telegraphs, hereby specifies the 1-10-1973 as the date on which the Measured Rate System will be introduced in TIRUCHENGODE Telephone Exchange, Tamil Nadu Circle.

[No. 5-18/73-PHB.]

P. C. GUPTA,
Assistant Director General (PHB).

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय

(श्रम और रोजगार विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 23 जुलाई, 1973

का० आ० 2420.—यतः केन्द्रीय सरकार की राय है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट विषयों के बारे में श्री रामनारायण व्यास, ठेकेदार, करौली, जिला सवाई माधोपुर के स्वामित्व के अधीन प्रबन्धतंत्र से सम्बन्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच एक औद्योगिक विवाद विद्यमान है।

और यतः केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करना वांछनीय समझती है ;

अतः अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 10 की उप-धारा (1) के खण्ड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को उक्त अधिनियम की धारा 7-क के अधीन गठित केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, जबलपुर को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करती है।

अनुसूची

"क्या मैसर्स श्री रामनारायण व्यास, खान स्वामी और ठेकेदार की धनदुराइत सैंड स्टोन खान, करौली (जिला सवाई माधोपुर) के प्रबन्धतंत्र की श्री रामगोपाल शर्मा, मुंशी को 1-11-1972 से काम न करने देने की कारवाई न्यायोचित थी ? यदि नहीं तो कर्मकार किस अनुतोष का हकदार है ?"

[संख्या एल-29012(26)73-एल० आर०-4]

MINISTRY OF LABOUR AND REHABILITATION

(Department of Labour and Employment)

ORDER

New Delhi, the 23rd July, 1973

S.O. 2420.—Whereas the Central Government is of opinion that an industrial dispute exists between the employers in relation to the management owned by Shri Ram Narain Vyas, Contractor, Kapauli, District Sawaimadhopur and their workmen in respect of the matters specified in the Schedule hereto annexed;

And whereas the Central Government considers it desirable to refer the said dispute for adjudication;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (d) of sub-section (1) of section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby refers the said dispute for adjudication to the Central Government Industrial Tribunal, Jabalpur constituted under section 7A of the said Act

SCHEDULE

"Whether the action of the management of Dhanduraıt Sand Stone Mine of Shri Ram Narain Vyas, Mine Owner and Contractor, Karauli (District Sawaimadhopur) in stopping Shri Gopal Lal Sharma, Munshi from work with effect from 1-11-1972 was justified? If not, to what relief is the workman entitled?"

[No. L-29012(26)/73-LRIV]

आदेश

नई दिल्ली, 27 जुलाई, 1973

का० आ० 2421.—यतः केन्द्रीय सरकार की राय है कि इस से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट विषयों के बारे में, मैसर्स जी० सामोल्ता, अभ्रक खान स्वामी, डाकघर कोडरमा, जिला हजारीबाग, के प्रबन्धतंत्र से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच एक औद्योगिक विवाद विद्यमान है ;

और यतः केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करना वांछनीय समझती है ;

अतः, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 10 की उप-धारा (1) के खण्ड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को उक्त अधिनियम की धारा 7-क के अधीन गठित केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण (संख्या 2), धनबाद को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करती है।

अनुसूची

"क्या मैसर्स जी० सामोल्ता, अभ्रक खान स्वामी, डाकघर कोडरमा, जिला हजारीबाग द्वारा नियोजित कर्मकारों की, उनके द्वारा उपार्जित मजदूरी के 20 प्रतिशत की दर से 1968, 1969 और 1970 से प्रारंभ होने वाले लेखा वर्षों के लिए बोनस के भुगतान की मांग न्यायोचित है ? यदि नहीं, तो कर्मकार उपरोक्त तीन वर्षों में से प्रत्येक के लिए बोनस की किस मात्रा के हकदार हैं ?"

[संख्या एल-28011(2)/73-एल० आर०-4]

ORDER

New Delhi, the 27th July, 1973

S.O. 2421.—Whereas the Central Government is of opinion that an industrial dispute exists between the employers in relation to the management of Messrs G. Samonta, Mica Mine Owners, Post Office Kodarma, District Hazaribagh and their workmen in respect of the matters specified in the Schedule hereto annexed;

And whereas the Central Government considers it desirable to refer the said dispute for adjudication;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (d) of sub-section (1) of section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby refers the said dispute for adjudication to the Central Government Industrial Tribunal (No. 2), Dhanbad constituted under section 7A of the said Act.

SCHEDULE

Whether the demand of the workmen employed by Messrs G. Samonta, Mica Mine Owners, Post Office Kodarma, District Hazaribagh for payment of bonus at the rate of 20 per cent of the wages earned by them for the accounting years commencing in 1968, 1969 and 1970 is justified? If not, to what quantum of bonus are the workmen entitled for each of the above three years?

[No. L-28011/2/73-LR.IV.]

आदेश

नई दिल्ली, 28 जुलाई, 1973

का० आ० 2422.—यतः केन्द्रीय सरकार की राय है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट विषयों के बारे में मैसर्स सतना सीमेंट वर्क्स लि० की सगमानिया लाईम स्टोन क्वारी, डाकघर सगमानिया, जिला सतना के प्रबंधतंत्र से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच एक औद्योगिक विवाद विद्यमान है ;

और यतः केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णयन के लिए निदेशित करना वांछनीय समझती है ;

अतः, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को उक्त अधिनियम की धारा 7-क के अधीन गठित केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, जबलपुर को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करती है।

अनुसूची

"क्या मैसर्स सतना सीमेंट वर्क्स लि० की सगमानिया लाईमस्टोन 'क्वारी', डाकघर सगमानिया, जिला सतना के प्रबंधतंत्र की श्री बृजलाल, कैन्टीन ब्वॉय को 7 अगस्त, 1971 से सेवायें समाप्त करने की कार्रवाई न्यायोचित थी ? यदि नहीं, तो कर्मकार किस अनुतोष का हकदार है ?"

[संख्या एल-29012/28/72-एल० आर०-4]

ORDER

New Delhi, the 28th July, 1973

S.O. 2422.—Whereas the Central Government is of opinion that an industrial dispute exists between the employers in relation to the management of Sagmania Limestone Quarry of Messrs Satna Cement Works Limited, Post Office Sagmania, District Satna and their workmen in respect of the matters specified in the Schedule hereto annexed;

And whereas the Central Government considers it desirable to refer the said dispute for adjudication;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (d) of sub-section (1) of section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby refers the said dispute for adjudication to the Central Government Industrial Tribunal Jabalpur constituted under section 7A of the said Act.

SCHEDULE

Whether the action of the management of Sagmania Limestone Quarry of Messrs Satna Cement Works Limited. Post Office Sagmania. District Satna in terminating the services of Sri Brijlal, Canteen Boy with effect from 7th August, 1971 was justified? If not, to what relief is the workman entitled?

[No. L-29012/28/72-LR.IV.]

आदेश

नई दिल्ली, 3 अगस्त, 1973

का० आ० 2423.—यत. केन्द्रीय सरकार की राय है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची मे विनिर्दिष्ट विषयों के बारे में मैसर्स नन्द एण्ड सामोंत कम्पनी (प्राइवेट) लिमिटेड, अभ्रक खान स्वामी, डाकघर कोडरमा, जिला हजारीबाग के प्रबन्धतंत्र से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच एक औद्योगिक विवाद विद्यमान है ;

और यत', केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करना वांछनीय समझती है ,

अत., अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 10 की उपाधारा (1) के खण्ड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को उक्त अधिनियम की धारा 7-क के अधीन गठित केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, (संख्या 2), धनबाद को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करती है।

अनुसूची

"क्या मैसर्स नन्द एण्ड सामोंत कम्पनी (प्राइवेट) लिमिटेड, अभ्रक खान स्वामी, डाकघर कोडरमा, जिला हजारीबाग द्वारा नियोजित कर्मकारों की, उनके द्वारा 1968, 1969 और 1970 में आरंभ होने वाले लेखा वर्षों के लिए उपार्जित मजदूरी के 20 प्रतिशत की दर से बोनस के भुगतान की मांग न्यायोचित है ? यदि नहीं, तो कर्मकार उपरोक्त तीन वर्षों में से प्रत्येक के लिए बोनस की किस मात्रा के हकदार हैं ?"

[संख्या एल-28011/1/73-एल० आर०-4]

ORDER

New Delhi, the 3rd August, 1973

S.O. 2423.—Whereas the Central Government is of opinion that an industrial dispute exists between the employers in relation to the management of Messrs Nund and Samont Company (Private) Limited, Mica Mine Owners, Post Office Kodarma, District Hazaribagh and their workmen in respect of the matters specified in the Schedule hereto annexed;

And whereas the Central Government considers it desirable to refer the said dispute for adjudication;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (d) of sub-section (1) of section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby refers the said dispute for adjudication to the Central Government Industrial Tribunal (No. 2) Dhanbad constituted under section 7A of the said Act.

SCHEDULE

Whether the demand of the workmen employed by Messrs Nund and Samont Company (Private) Limited, Mica Mine Owners, Post Office Kodarma, District Hazaribagh for payment of bonus at the rate

of 20 per cent of the wages earned by them for the accounting years commencing in 1968, 1969 and 1970 is justified? If not, to what quantum of bonus are the workmen entitled for each of the above three years?

[No. L-28011/1/73-LR. IV]

New Delhi, the 13th August, 1973

S.O. 2424.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Arbitrator, in the indusrtial dispute between the management of Mysore Iron and Steel Limited, Bhadravati, District Shimoga, Mysore State and their workmen represented by Mysore Iron and Steel Limited Mines Employees' Association, which was received by the Central Government on the 31st July, 1973.

AWARD

IN THE MATTER OF ARBITRATION UNDER SECTION 10A OF THE INDUSTRIAL DISPUTES ACT, 1947 IN THE INDUSTRIAL DISPUTE BETWEEN THE MANAGEMENT OF MYSORE IRON & STEEL LIMITED, BHADRAVATHI (MYSORE STATE) AND THEIR WORKMEN REPRESENTED BY MYSORE IRON & STEEL LIMITED MINES EMPLOYEES' ASSOCIATION BHADRAVATHI REGARDING TERMINATION OF SERVICES OF SHRI M. S. NARAYANA RAO, ASSISTANT COOK, KEMMANGUNDI MINES

Present :

Shri M. R. Raju, Regional Labour Commissioner (Central) Hyderabad.

AND

ARBITRATOR

Representing the Management.—Mysore Iron & Steel Limited, Bhadravathi (Mysore State).

Representing the workmen.—Mysore Iron & Steel Ltd., Mines Employees Association, Bhadravathi, (Mysore State).

Represented by.—Shri R.A.S. Narayana Das, Mines Manager, Kemmangundi Mines Mysore Iron & Steel Ltd., Bhadravathi.

Represented by.—1. Shri H. N. Sham Rao, General Secretary.

2. Shri M. Selvarajan, Secretary.

By an agreement dated 24th April, 1973 the Divisional Manager (Personnel), Mysore Iron and Steel Limited, Bhadravati and the President, Mysore Iron and Steel Limited Mines Employees Association, Bhadravati agreed to refer the following issue for my arbitration under Section 10A of the I.D. Act, 1947:—

"Whether the action of the management of Mysore Iron and Steel Limited, Bhadravati in terminating the services of Shri M. S. Narayana Rao, Asstt. Cook, Kemmangundi Mines of M.I.S.L., Bhadravati with effect from 11th August, 1972 is justified? If not what relief the workman is entitled to?"

2. The parties further agreed that the decision of the Arbitrator shall be binding on them and that the Arbitrator shall make his award within a period of 3 months from the date on which this agreement is published in the Government of India Gazette or within such further time as is extended by mutual agreement between them in writing. It is also stipulated in the said agreement that if the award is not made within the period aforementioned, the reference to the arbitration shall stand automatically cancelled and the parties shall be free to negotiate for fresh arbitration. The Arbitration agreement was published vide Notification No. L-29012/17/73-LR. IV dated 15-5-1973. Both the parties were requested by this office to submit their statement of claims on 10-5-1973 and were reminded on 28-5-1973. The union by its letter dated 21-5-1973 and the management by its letter dated 7-6-1973 have submitted their detailed statement of claims. Hearing was held in the Office of the Assistant Labour Commissioner(C), Bangalore on 11-7-1973.

3. The relevant facts of the case are as under:—

Shri M. S. Narayana Rao, who was appointed on 18-7-1960, was working as Assistant Cook at the time of the termination of his services by the management. He had applied for leave upto 5-7-1972 and afterwards he had neither turned up for duty nor extended his leave even after 1-1/2 months. The management by their Memo. dated 11-8-1972 addressed to Shri Narayana Rao terminated his lien on appointment as per S.O. and leave rules of the Company. Shri Narayana Rao addressed a letter to the Minister for Industries, Mysore State on 12-9-1972 with a copy to management from Bangalore stating that he was taking treatment for chest-ache from 28-5-1972 and continued to be on leave till 28-6-1972 and when he reported to the factory, he was given to understand that his services were already terminated by the management. Shri Rao thereafter appears to have approached the management in the first week of January, 1973 for taking back on duty and produced a medical certificate from the District Surgeon stating that he was under his treatment from 1-7-1972 for "chronic amoebiasis with general debility". Shri Rao has also addressed a letter on 7-1-1973 to the Mines Manager with a copy to the Divisional Manager (Mines) requesting to take him back on duty. Thereafter the Secretary, Mysore Iron & Steel Limited, Mines Employees' Association raised an industrial dispute with the Assistant Labour Comissioner (Central) Bangalore and the issue was finally referred for my arbitration.

4. According to the written and oral statements made by the Union, the employee applied for leave from 28-5-1972 to 13-6-1972 and he was admitted in the Mysore Iron & Steel Ltd. Hospital, Bhadravati. As there was no improvement in his health he again applied for leave upto 5-7-1972 and thereafter took prolonged medical treatment in Mc. Gann Hospital, Shimoga, from 1st July to 31st December, 1972. Shri Narayana Rao could not apply for leave as he was very seriously laid up with sickness at Shimoga and when he approached the management after he was cured of illness with the Doctor's certificate, he was refused employment on the plea that his lien has already been terminated from 11-8-1972. The Mines' Standing Orders do not provide for loss of lien automatically and the action of the management under Standing Orders applicable to the factory or works is not legal and the employee also was not informed in writing by the management to report for duty before taking action. In view of the above, the Management's action in terminating the services of Shri Narayana Rao without holding proper enquiry as provided in the Mines Standing Orders according to them, was not proper. The Union's representative also cited the decision in the case of New Taj Mahal Cafe (P) Ltd. Vs. Workmen, 1966.

5. It was stated on behalf of the management that the statement of the union that the workman was not able to send his leave application due to serious illness is not correct as the employee had addressed a representation to the Minister for Industries, Mysore State from Bangalore and not from Shimoga, where he was supposed to have been laid up with serious illness and undergoing medical treatment. If Shri Narayana Rao was in a position to address a representation to the Minister he could have as well submitted a leave application. It also shows that the fact of his being seriously laid up and taking medical treatment continuously from 5-7-1972 upto December end was also doubtful.

6. Refuting the contention of the workman that the employee had come for attending duty on 28-6-1972 as stated in his representation dated 12-9-1972 to the Minister for Industries, Mysore State but he was informed that his lien was terminated, the Management argued that this statement was not correct as the Memo. removing his lien had been issued on 11-8-1972. It was further stated that the representation dated 12-9-72 to Minister for Industries and the representation dated 7-1-1973 addressed to the Mines Manager are contradictory in as much as there was no mention in the later representation that he called on the factory management for his job.

7. Adverting to the argument on behalf of the workman that the action of the management in terminating the services of Shri Rao under the Works Standing Orders, the Management argued that S.O. No. 24 of the Certified Standing Orders applicable to all employees of Mysore

Iron and Steel Ltd., automatically applied to employees of the Mines by virtue of S.O. No. 22 of Certified Standing Orders applicable to limestone and iron ore mines of Mysore Iron and Steel Works. As the leave privileges are common, the procedure is also applicable.

8. As already stated above, the facts of the case are that Shri Rao was absent from 5-7-1972 to 30-12-1972 without intimation or leave. The statement of the workman that he was laid up with serious illness during his period and could not send leave letter is also doubtful, as he had sent a representation on 12th September, 1972 to the Minister of Industries from Bangalore and the alleged illness as stated in his representation to the Minister for Industries, (i.e., Chest-ache) and disease mentioned in the Medical Certificate (i.e., chronic amoebiasis) are contradictory. There is no mention of the fact anywhere that he called on the factory management in the letter addressed to the Mines Management on 7-1-1973 as earlier stated in the representation dated 15-9-1972 addressed to the Industries Minister, Mysore State. It is therefore clear from the above that the employee was absent without information or leave. This misconduct is governed by S.O. 14(ii)(f) of the Certified Standing Orders for which action can be taken only after conducting a proper enquiry. The Mines Standing Orders do not provide for automatic termination of the lien on appointment. The Management's contention that all the clauses regarding procedure for obtaining leave in Works Standing Orders are applicable to the employee who enjoys the privileges connected with the leave under Works Standing Orders in mines also cannot be held to be valid. The Management would have been perfectly justified if action was taken under S.O. 14(ii)(f) of the Mines Standing Orders. The Management's action invoking provisions of Standing Orders applicable to Works and terminating the lien on appointment of employee is not legal and justified.

9. In the light of the facts and considerations set out in the proceeding paragraphs, I must conclude that the action of the management not being justified on the basis of having not given an opportunity to the workman before his services were terminated, the workman has to be reinstated in services. In view of the fact that the employee deserved some punishment for unauthorised absence which is established and as the Management has not taken the right action following disciplinary procedure, justice will be met with if the employee is reinstated in his original post with continuity of service but without any wages for the period of absence.

10. I hereby direct the management of Kemmangundi Mines to reinstate Shri M. S. Narayana Rao employee concerned as an Assistant Cook in the Mines Canteen, with immediate effect. The period of absence from the time of his losing lien on appointment till the date of reinstatement shall be treated as 'dies non" and without any wages and his services shall be treated as "continuous" for all purposes.

11. I, therefore, pass an award accordingly and submit to the Central Government under Section 10A(4) of the Industrial Disputes Act, 1947.

M. R. RAJU, Regional Labour Commissioner (Central)

Hyderabad & Arbitrator.

[No. L-29012/17/73-LR. IV]

नई दिल्ली, 14 अगस्त, 1973

का० आ० 2425.—यतः भारत सरकार के श्रम और पुनर्वास मंत्रालय (श्रम और रोजगार विभाग) की अधिसूचना संख्या का० आ० 489 तारीख 5 फरवरी, 1973 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने लोहा अयस्क खनन् उद्योग को औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) के प्रयोजनों के लिए 4 मार्च 1973 से छः मास की कालावधि के लिए उपयोगी सेवा घोषित किया था।

और यतः केन्द्रीय सरकार की राय है कि उक्त कालावधि का और आगे छः मास की कालावधि के लिए बढ़ाया जाना लोक हित में अपेक्षित है।

अतः अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 2 के खण्ड (ढ) के उपखण्ड (6) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा उद्योग को उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए 4 सितम्बर, 1973 से और आगे छः मास की कालावधि के लिए लोक उपयोगी सेवा घोषित करती है।

[सं० एस-11025/3/73-एल० आर० 1]

एस० एस० सहस्रनामम, अवर सचिव

New Delhi, the 14th August, 1973

S.O. 2425.—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Labour and Rehabilitation (Department of Labour and Employment) No. S.O. 489 dated the 5th February, 1973, the Central Government had declared the iron ore mining industry to be a public utility service for the purpose of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), for a period of six months from the 4th March, 1973;

And whereas the Central Government is of opinion that public interest requires the extension of the said period by a further period of six months;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by the proviso to sub-clause (vi) of clause (n) of section 2 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby declares the said industry to be a public utility service for the purposes of the said Act for a further period of six months from the 4th September, 1973.

[F. No. S. 11025/3/73-I.R.I.]

S. S. SAHASRANAMAN, Under Secy.

नई दिल्ली, 9 अगस्त, 1973

का० आ० 2426.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स बाटलर्ड गैस कम्पनी, प्लाट सं० 7 और 8—एसिस्टेड इंडस्ट्रियल एस्टेट सनत नगर, हैदराबाद-18 नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और कुटुम्ब पेंशन निधि अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए ;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है।

यह अधिनियम 1973 के जनवरी के प्रथम दिन को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी।

[सं० एस०35019(58)/73-पी० एफ० 2(i)]

New Delhi, the 9th August, 1973

S.O. 2426.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as the Messrs Bottled Gas Company, Plot Nos. 7 and 8, Assisted Industrial Estate Sanatnagar, Hyderabad-18 have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Family Pension Fund Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the first day of January, 1973.

[No. S-35019/58/73/PF-II(i)]

का० आ० 2427.—केन्द्रीय सरकार कर्मचारी भविष्य निधि और कुटुम्ब पेंशन निधि, अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 6 के प्रथम परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सम्बद्ध विषय में आवश्यक जांच करने के पश्चात् जनवरी, 1973 के प्रथम दिन से मैसर्स बाट्टलड गैस कम्पनी, प्लाट सं० 7 और 8, एसिस्टेड इंडस्ट्रियल एस्टेट सनत नगर, हैदराबाद–18 नामक स्थापन को उक्त परन्तुक के प्रयोजनों के लिए विनिर्दिष्ट करती है ।

[सं० एस०–35019(58)/73–पी एफ-2 (ii)]

S.O. 2427.—In exercise of the powers conferred by the first proviso to section 6 of the Employees' Provident Funds and Family Pension Fund Act, 1952 (19 of 1952), the Central Government, after making necessary enquiry into the matter, hereby specifies, with effect from the first day of January, 1973 the establishment known as Messrs Bottled Gas Company, Plot Nos. 7 and 8 Assisted Industrial Estate Sanatnagar, Hyderabad-18 for the purposes of the said proviso.

[No. S-35019/58/73/PF-II(ii)]

का० आ० 2428.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स नान्जप्पा टेक्सटाइल्स, मुथुगौंडेनपुदुर, कोयम्बटूर, जिला नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और कुटुम्ब पेंशन निधि अधिनियम 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिये ;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है ।

यह अधिसूचना 1972 के अगस्त के प्रथम दिन को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी ।

[सं० एस० 35019 (181)/72–पी० एफ० 2]

S.O. 2428.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as the Messrs Nanjappa Textiles Muthugoundenpudur, Coimbatore District have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Family Pension Fund Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the first day of August, 1972.

[No. S-35019/181/72/PF-II]

का० आ० 2429.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स किमसप एंटरप्राईज, 43 भगवान भवन, 196/198, सम्यूल स्ट्रीट, मुम्बई–9 नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और कुटुम्ब पेंशन निधि अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिये ;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है ।

यह अधिसूचना 1972 के जून के तीसवें दिन को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी ।

[सं० एस० 35018 (18)/73–पी० एफ० 2]

S.O. 2429.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as the Messrs Kymsap Enterprise 43, Bhagwan Bhavan, 196/198, Samuel Street, Bombay-9 have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Family Pension Fund Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the thirtieth day of June, 1972.

[No. S.-35018(18)/73-PF. II]

का० आ० 2430.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स विदर्भ इण्डस्ट्रीज एसोशिएशन, सेकन्ड फ्लोर, बैंक आफ महाराष्ट्र बिल्डिंग, सीताबुधे, नागपुर–12 नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियो की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और कुटुम्ब पेंशन निधि अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिये;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है ।

यह अधिसूचना 1972 के मार्च के इकत्तीसवें दिन को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी ।

[सं० एस० 35018(32)/73–पी० एफ० 2(i)]

S.O. 2430.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as the Messrs Vidarbha Industries Association, 2nd Floor, Bank of Maharashtra Building, Sitabudh, Nagpur-12 have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Family Pension Fund Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the proisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the thirty first day of March, 1972.

[No. S. 35018(32)/73-PF. II(i)]

का० आ० 2431.—केन्द्रीय सरकार कर्मचारी भविष्य निधि और कुटुम्ब पेंशन निधि अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 6 के प्रथम परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सम्बद्ध विषय मे जांच करने के पश्चात 31 मार्च, 1972 से विदर्भ इण्डस्ट्रीज एसोसिएशन, सेकण्ड फ्लोर, बैंक आफ महाराष्ट्र बिल्डिंग, सीताबुधे, नागपुर–12 नामक स्थापन को उक्त परन्तुक के प्रयोजनो के लिए विनिर्दिष्ट करती है ।

[स० एस० 35018(32)/73–पी० एफ० 2(ii)]

S.O. 2431.—In exercise of the powers conferred by the first proviso to section 6 of the Employees' Provident Funds and Family Pension Fund Act, 1952 (19 of 1952), the Central Government, after making necessary enquiry into the matter, hereby specifies, with effect from the 31st March, 1972, the establishment known as Messrs Vidarbha Industries Association, 2nd Floor, Bank of Maharashtra Building, Sitabudh, Nagpur-12 for the purposes of the said proviso.

[No. S. 35018/32/73-PF. II(ii)]

का० आ० 2432.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स रुचिका इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड, 46, इंडस्ट्रियल एवं हाऊसिंग एस्टेट, सेक्टर–6, फरीदाबाद, जिसमें इसकी कास्ट मास्टर-46, इंडस्ट्रियल एस्टेट, सेक्टर–6, फरीदाबाद ब्रांच भी सम्मिलित है, नामक स्थापन से संबन्ध नियोजक और कर्मचारियो की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और कुटुम्ब पेंशन निधि अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए ;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन एतद्द्वारा लागू करती है ।

यह अधिसूचना 1972 के अगस्त के प्रथम दिन को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी ।

[सं० एस० 35019(26)/73–पी० एफ० 2(i)]

S.O. 2432.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as the Messrs Ruchika Engineering Private Limited, 46, Industrial-cum-Housing Estate, Sector-6, Faridabad including its Branch, Cast Master, 46, Industrial Estate, Sector-6, Faridabad have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Family Pension Fund Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act ot the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the first day of August, 1972.

[No. S. 35019(26)/73-PF. II(i)]

का० आ० 2433.—कर्मचारी भविष्य निधि और कुटुम्ब पेंशन निधि अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 6 के प्रथम परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार सम्बद्ध विषय में आवश्यक जांच करने के पश्चात् 1 अगस्त, 1972 से रुचिका इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड, 46, इंडस्ट्रियल एवं हाऊसिंग एस्टेट, सेक्टर–6, फरीदाबाद, जिसमे इसकी कास्ट मास्टर 46, इंडस्ट्रियल एस्टेट, सेक्टर-6, फरीदाबाद ब्रांच भी सम्मिलित है, नामक स्थापन को उक्त परन्तुक के प्रयोजनो के लिए विनिर्दिष्ट करती है ।

[सं० एस० 35019(26)/73–पी० एफ० 2(ii)]

S.O. 2433.—In exercise of the powers conferred by the first proviso to section 6 of the Employees' Provident Funds and Family Pension Fund Act, 1952 (19 of 1952), the Central Government, after making necessary enquiry into the matter, hereby specifies with effect from the 1st day of August, 1972, the establishment, known as Messrs Ruchika Engineering Private Limited, 46, Industrial-cum-Housing Estate, Sector-6, Faridabad including its Branch, Cast Master, 46, Industrial Estate, Sector-6, Faridabad, for the purposes of the said proviso.

[No. S. 35019(26)/73-PF. II(ii)]

का० आ० 2434.—यतः केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि मैट्रालोजिकल वर्कशाप, पूना के कर्मकारों को, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) के अधीन उपबंधित प्रसुविधाएं जैसी सारतः या कुल निर्धारण पर उच्चतर प्रसुविधाएं प्राप्त हैं ।

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 90 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार कर्मचारी राज्य बीमा निगम से परामर्श करने के पश्चात्, उक्त कर्मशाला को उक्त अधिनियम के प्रवर्तन से इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से एक वर्ष की अवधि के लिए छूट देती है ।

[सं० एस० 38014(44)/73–एच० आई०]

S.O. 2434.—Whereas the Central Government is satisfied that the employees of the Metcorological Workshop, Poona are in receipt of benefits which are substantiall similar or superior or an overall assessment, to those provided under the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948).

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 90 of the said Act, the Central Government, after consultation with the Employees' State Insurance Corporation, hereby exempts the above mentioned workshop from the operation of the said Act for a peirod of one year with effect from the date of publication of this notification in the official gazette.

[No. S. 38014(44)/73-HI]

का० आ० 2435.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि इण्डो बर्मा कार्पोरेशन, जोहरी मेंशन, पांचवीं मंजिल, कालबादेवी रोड, मुम्बई-2 नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और कुटुम्ब पेंशन निधि अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए ,

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है ।

यह अधिसूचना 1970 के जून के 30वें दिन को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी ।

[सं० एस० 35018(75)/72–पी० एफ० 2]

S.O. 2435.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as the Messrs Indo-Burma Corporation, Johari Manslon, 5th Floor, Kalbadevi Road, Bombay-2 have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Family Pension Fund Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the thirtieth day of June, 1970.

[No. S. 35018/75/72-PF-II]

का० आ० 2436.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स हाइड्रो कारबाइड ड्रिलिंग कं०, 166 सी० एस० टी० रोड, कलीना, मुम्बई-29 नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और पेंशन निधि अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है ।

यह अधिसूचना 1972 के सितम्बर के तीसवें दिन को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी ।

[S. 35018 (30)73-PF

S.O. 2436.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as the Messrs Hydro Carbide Drilling Company, 166, C.S.T. Road, Kalina, Bombay-29 have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Family Pension Fund Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the thirtieth day of September, 1972.

[No. S. 35018(30)/73-PF. II]

का०आ० 2437.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स चन्दामामा ऐजन्सीज, 175, अर्काट रोड, वादापलानी, मद्रास-26 नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है है कि कर्मचारी भविष्य निधि और कुटुम्ब पेंशन निधि अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है ।

यह अधिसूचना 1972 के नवम्बर के प्रथम दिन को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी ।

[सं० एस-35019(192)/72-पी० एफ० 2(i)]

S.O. 2437.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as the Messrs Chandamama Agencies, 175, Arcot Road, Vadapalani, Madras-26 have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Family Pension Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the first day of November, 1972.

[No. S. 35019(192)/72-PF. II(i)]

का०आ० 2438.—कर्मचारी भविष्य निधि और कुटुम्ब पेंशन निधि अधिनियम 1952 (1952 का 19) की धारा 6 के प्रथम परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार, संबद्ध विषय में आवश्यक जांच करने के पश्चात् 1 नवम्बर, 1972 से चन्दामामा ऐजन्सीज, 175, अर्काट रोड, वादापलानी, मद्रास-26 नामक स्थापन को उक्त परन्तुक के प्रयोजनों के लिए विनिर्दिष्ट करती है ।

[सं० एस-35019(192)/72-पी० एफ० 2(ii)]

S.O. 2438.—In exercise of the powers conferred by the first proviso to section 6 of the Employees' Provident Funds and Family Pension Fund Act, 1952 (19 of 1952), the Central Government, after making necessary enquiry into the matter, hereby specifies, with effect from the first day of November, 1972, the establishment known as Messrs Chandamama Agencies, 175 Acrot Road, Vadapalani, Madras-26 for the purposes of the said proviso.

[No. S. 35019(192)/72-PF. II(i)]

का०आ० 2439.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स ओरियन्ट इनवेस्टमैन्ट प्राइवेट लिमिटेड, 16, इन्डिया एक्सचेंज प्लेस, कलकत्ता-1 नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और कुटुम्ब पेंशन निधि अधिनियम 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को एतद्द्वारा लागू करती है ।

यह अधिसूचना 1972 की मई के इकतीसवें दिन को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी ।

[सं एम० -35017(25)/73-पी० एफ० 2(i)]

S.O. 2439.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as the Messrs Orient Investment Private Limited, 16, India Exchange Place, Calcutta-1 have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Family Pension Fund Act, 1952 (19 of 1952), should be applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the thirty first day of May, 1972.

[No. S. 35017(25)/73-PF. II(i)]

का० आ० 2440.—कर्मचारी भविष्य निधि और कुटुम्ब पेंशन निधि अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 6 के प्रथम परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार, संबद्ध विषय में आवश्यक जांच करने के पश्चात 31 मई, 1972 से ओरियन्ट इनवेस्टमेन्ट प्राईवेट लिमिटेड, 16, इन्डिया एक्सचेंज प्लेस, कलकत्ता-1 नामक स्थापन को उक्त परन्तुक के प्रयोजनों के लिए विनिर्दिष्ट करती है ।

[सं० एस-35017(25)/73-पी० एफ० 2(ii)]

S.O. 2440.—In exercise of the powers conferred by the first proviso to section 6 of the Employees' Provident Funds and Family Pension Fund Act, 1952 (19 of 1952), the Central Government, after making necessary enquiry into the matter, hereby specifies, with effect from the 31st May, 1973, the establishment known as Messrs Orient Investment Private Limited, 16, India Exchange Place, Calcutta-1 for the purposes of the said proviso.

[No. S. 35017(25)/73-PF. II(ii)]

का० आ० 2441.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स सेन्को जेवेलरी म्यूजियम, 107/2, बिपिन बिहारी गांगूली स्ट्रीट, कलकत्ता-12 नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952(1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को एतद्द्वारा लागू करती है ।

यह अधिसूचना 1972 की अप्रैल के तीसवें दिन को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी ।

[सं० एम०-35017(11)/73-पी० एफ० 2]

S.O. 2441.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as the Messrs Senco Jwellery Museum, 107/2, Bepin Behari Ganguly Street, Calcutta-12 have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Family Pension Fund Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the thirtieth day of April, 1972.

[No. S. 35017(11)/73-PF. II]

का० आ० 2442.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स संकर सिनेमा महेश, पोस्ट रिश्रा, जिला हुगली नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और कुटुम्ब पेंशन निधि अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को एतद्द्वारा लागू करती है ।

यह अधिसूचना 1972 की मई के प्रथम दिन को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी ।

[सं० एस-35017(10)/73-पी० एफ० 2]

S.O. 2442.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as the Messrs Sankar Cinema Mahesh, Post Office Rishra, District Hooghly have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Family Pension Fund Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the first day of May, 1972.

[No. S. 35017(10)/73-PF. II]

का०आ० 2443.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स एम० पी० सिन्हा एण्ड कम्पनी, 14/2, ओल्ड चाइना बाजार स्ट्रीट, कलकत्ता-1 नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और कुटुम्ब पेंशन निधि अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए।

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त स्थापन को एतद्द्वारा लागू करती है ।

यह अधिसूचना 1972 के मार्च के इकतीसवें दिन को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी।

[सं० एस०-35017(13)/73-पी० एफ० 2]

S.O. 2443.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as the Messrs M. P. Sinha ando Company, 14/2, Old Chmina Bazar Street, Calcutta-1 have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Family Pension Fund Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the thirty-first day of March, 1972.

[No. S. 35017(13)/73-PF. II]

का०आ० 2444.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मेसर्स ठाकर्स वेजिटेरियन रेस्टोरेन्ट, 116/118, फस्ट मेरीन स्ट्रीट, शकुन्तला गर्ल्स हाई स्कूल के सामने, मेरीन लाइन्स, मुम्बई-2 नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और कुटुम्ब पेंशन निधि अधिनियम, 1952(1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है ।

यह अधिसूचना 1972 के अक्टूबर के इकत्तीसवें दिन को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी ।

[सं० एस-35018(33)/73-पी० एफ० 2]

S.O. 2444.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs. Thackers Vegetarian Restaurant, 116/118, 1st Marine Street, Opposite Shankuntala Girls High School, Marine Lines, Bombay-2 have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Family Pension Fund Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provision of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the thirty-first day of October, 1972.

[No. S. 35018(33)/73-PF. II]

नई दिल्ली, 10 अगस्त 1973

का०आ० 2445.—कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा 1 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा 2 सितम्बर, 1973 को उस तारीख के रूप में नियत करती है, जिसकी उक्त अधिनियम के अध्याय 4 (धारा 44 और 45 के सिवाय जो पहले ही प्रदत्त की जा चुकी है) और अध्याय 5 और 6 (धारा 76 की उप-धारा (1) और 77, 78, 79 और 81 के सिवाय जो पहले ही प्रवृत्त की जा चुकी है) के उपबन्ध हरियाणा राज्य के निम्नलिखित क्षेत्रों में प्रवृत्त होंगे, अर्थात्,

"राजस्व ग्राम करनाल (करनाल नगर पालिका की सीमाओं के अन्दर समाविष्ट क्षेत्रों सहित) हद बस्त संख्या 1/बंगार और ग्राम मंगलपुरा हद बस्त संख्या 1/नार्दक, तहसील और जिला करनाल।"

[एस-38013(26)/71-एस० आई०]

New Delhi, the 10th August, 1973

S.O. 2445.—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 1 of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), the Central Government hereby appoints the 2nd September, 1973 as the date on which the provisions of Chapter IV (except sections 44 and 45 which have already been brought into force) and Chapters V and VI (except sub-section (1) of section 76 and sections 77, 78, 79 and 81 which have already been brought into force) of the said Act shall come into force in the following areas in the State of Haryana, namely :—

"Revenue Village Kernal (including the areas composed within the Municipal limits of Karnal) Had Bast No. 1/Bangar and Village Mangalpura Had Bast No. 1/Nardak, Tehsil and District Karnal".

[No. S-38013(26)/71-HI]

नई दिल्ली, 13 अगस्त, 1973

का०आ० 2446.—कर्मचारी भविष्य निधि और कुटुम्ब पेंशन निधि अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 13 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा श्री डी० भगीरथ राव को उक्त अधिनियम और स्कीम और उसके अधीन विरचित किसी कुटुम्ब पेंशन स्कीम के प्रयोजनों के लिए केन्द्रीय सरकार के या उसके नियंत्रणाधीन किसी स्थापन के संबंध में या किसी रेल कम्पनी महापत्तन खान या तेल क्षेत्र या निरंतित उद्योग से संबंधित किसी स्थापन के संबंध में या ऐसे स्थापन के सम्बन्ध में जिसके एक से अधिक राज्य में विभाग या शाखाएं हों सम्पूर्ण गुजरात राज्य के लिए निरीक्षक नियुक्त करती है।

[सं० ए० 12016 (12)/73-पी० एफ० 1]

New Delhi, the 13th August, 1973

S.O. 2446.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 13 of the Employees' Provident Funds and Family Pension Fund Act, 1952 (19 of 1952), the Central Government hereby appoints Shri D. Bhageeradha Rao to be an Inspector for the whole of the State of Gujarat for the purposes of the said Act, and the Scheme and the family pension Scheme framed thereunder in relation to any esta-

blishment belonging to, or under the control of the Central Government or in relation to any establishment connected with a railway company, a major port, a mine or an oilfield or a controlled industry or in relation to an establishment having departments or branches in more than one State.

[No. A. 12016(12)/73-PF. I]

का०आ० 2447.—कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा 87 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार भारतीय उर्वरक निगम, ट्रामबे, बम्बई को उक्त अधिनियम के प्रवर्तन से इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 4 जनवरी, 1974 तक, जिसमें यह दिन भी सम्मिलित है, छूट देती है।

[फा० सं० एस-3801/4/46/73-एच आई]

S.O. 2447.—In exercise of the powers conferred by section 87 of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), the Central Government hereby exempts the Fertiliser Corporation of India, Trombay, Bombay from the operation of the said Act with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette upto and inclusive of the 4th January, 1974.

[F. No. S. 38014/46/73-HI.]

का०आ० 2448.—कर्मचारी भविष्य निधि और कुटुम्ब पेंशन निधि अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 13 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के भूतपूर्व श्रम रोजगार मंत्रालय की अधिसूचना सं० का० आ० 2180 तारीख 9 जुलाई, 1970 को, अधिक्रान्त करते हुए केन्द्रीय सरकार श्री के० एन० मिश्र को उक्त अधिनियम और स्कीम और उसके अधीन विरचित किसी कुटुम्ब पेंशन के प्रयोजनों के लिए केन्द्रीय सरकार के या उसके नियंत्रणाधीन किसी स्थापन के संबन्ध में या किसी रेल कम्पनी, महापत्तन, खान या तेल क्षेत्र या नियंत्रित उद्योग से संबंधित किसी स्थापन के संबंध में या ऐसे स्थापन के सम्बन्ध में जिसके एक से अधिक राज्य में विभाग या शाखाएँ हों, सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश राज्य के लिए निरीक्षक नियुक्त करती है।

[सं० ए० 12016 (16)/73 पी० एफ० 1]

S.O. 2448.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 13 of the Employees' Provident Funds and Family Pension Fund Act, 1952 (19 of 1952), and in supersession of the notification of the Government of India in the late Ministry of Labour, Employment and Rehabilitation (Department of Labour and Employment) No. S.O. 2180, dated the 9th June, 1970, the Central Government hereby appoints Shri K. N. Misra to be an Inspector for the whole of the State of Uttar Pradesh for the purposes of the said Act, and the scheme and the family pension schefe framed thereunder in relation to any establishment belonging to, or under the control of the Central Government or in relation to any establishment connected with a railway company, a major port, a mine or an oilfield or a controlled industry or in relation to an establishment having departments or branches in more than one State.

[No. A. 12016(16)/73-PF. I]

नई दिल्ली, 14 अगस्त, 1973

का०आ० 2449.—कर्मचारी भविष्य निधि और कुटुम्ब पेंशन निधि अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 13 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार श्री एस० पलानी को उक्त अधिनियम और स्कीम और उसके अधीन विरचित किसी कुटुम्ब पेंशन स्कीम के प्रयोजनों के लिए केन्द्रीय सरकार के या उसके नियंत्रणाधीन किसी स्थापन के संबंध में या किसी रेल कम्पनी महापत्तन, खान या तेल क्षेत्र या नियंत्रित उद्योग से संबंधित किसी स्थापन के संबंध में या किसी ऐसे स्थापन के संबंध में जिसके एक से अधिक राज्य में शाखाएं हों, सम्पूर्ण तमिल नाडु राज्य के लिए निरीक्षक नियुक्त करती है।

[सं० ए० 12016(10)/72-पी एफ 1]

दलजीत सिंह, अवर सचिव

New Delhi, the 14th August, 1973

S.O. 2449.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 13 of the Employees' Provident Funds and Family Pension Fund Act, 1952 (19 of 1952), the Central Government hereby appoints Shri S. Palani to be an Inspector for the whole of the State of Tamil Nadu for the purposes of the said Act, and the Scheme and the Family Pension Scheme framed thereunder in relation to any establishment belonging to, or under the control of the Central Government or in relation to any establishment connected with a railway company, a major port, a mine or an oilfield or a controlled industry or in relation to an establishment having departments or branches in more than one State.

[No. A. 12016(10)/72-PF. I]

DALJIT SINGH, Under Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 9 अगस्त, 1973

का०आ० 2450—यतः केन्द्रीय सरकार की राय है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट विषयों के बारे में हिन्दुस्तान लालपेठ कोलियरी, डाकघर चन्द्रपुर, जिला चन्द्रपुर (महाराष्ट्र) के प्रबन्ध से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच एक औद्योगिक विवाद विद्यमान है;

और यतः केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करना वांछनीय समझती है;

अतः, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा उक्त विवाद को उक्त अधिनियम की धारा 7-क के अधीन गठित केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण बम्बई-1 को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करती है।

अनुसूची

"क्या हिन्दुस्तान लालपेठ कोलियरी, डाकघर चन्द्रपुर, जिला चन्द्रपुर (महाराष्ट्र राज्य) की श्री जैराम मुनियन मिशनलमैन खलासी की सेवाओं को समाप्त करने की कार्यवाही न्यायोचित है ? यदि नहीं, तो कर्मकार किस अनुतोष का हकदार है ?"

[संख्या एल-22012/3/73-एल० आर०-2]

कर्नैल सिंह, अवर सचिव

ORDER

New Delhi, the 9th August, 1973

S.O. 2450.—Whereas the Central Government is of opinion that an industrial dispute exists between the employers in relation to the management of Hindustan Lalpeth Colliery Post Office Chandrapur, District Chandrapur (Maharashtra) and their workmen in respect of the matters specified in the Schedule hereto annexed;

And whereas the Central Government considers it desirable to refer the said dispute for adjudication;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (d) of sub-section (1) of section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby refers the said dispute for adjudication to the Industrial Tribunal, Bombay-1, constituted under section 7A of the said Act.

SCHEDULE

Whether the action of the management of Hindustan Lalpeth Colliery, Post Office Chandrapur, District Chandrapur (Maharashtra State) in terminating the

services of Shri Jairam Munlan, Signalman Khalasi, is justified? If not, to what relief is the concerned workman entitled?

[No. L-22012/3/73-LR II.]

आदेश

का०आ० 2451.—यतः केन्द्रीय सरकार की राय है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट विषयों के बारे में ईस्ट जमुरिया कोलियरी डाकघर तोपसी, जिला बर्दवान के प्रबन्ध से सम्बद्ध नियोजकों और कर्मकारों के बीच एक औद्योगिक विवाद विद्यमान है ;

और यतः केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्याय-निर्णयन के लिए निर्देशित करना वांछनीय समझती है ;

अतः अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा उक्त विवाद को उक्त अधिनियम की धारा 7-क के अधीन गठित केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण कलकत्ता को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करती है ?

अनुसूची

"क्या खान श्रमिक कांग्रेस, डाकघर उखरा (बर्दवान) की यह मांग कि श्री रामपति जादव को पूर्वी जमुरिया कोलियरी, डाकघर तोपसी, जिला बर्दवान के प्रबन्धक तंत्र द्वारा गैर-कानूनी तौर से 13 जून, 1972 से काम से बन्द कर दिया गया है, में क्या कुछ सचाई है ? यदि हाँ, तो सम्बन्धित कर्मकार किस अनुतोष का हकदार है और किस तारीख से ?"

[सख्या एल-19012/8/73-एल० आर०-2]
कर्नैल सिंह, अवर सचिव

ORDER

S.O. 2451.—Whereas the Central Government is of opinion that an industrial dispute exists between the employer in relation to the management of East Jamuria Colliery, Post Office Topsi, District Burdwan, and their workmen in respect of the matters specified in the Schedule hereto annexed ;

And, whereas the entral Government considers it desirable to refer the said dispute for adjudication:

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (d) of sub-section (1) of section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby refers the said dispute for adjudication to the Industrial Tribunal, Calcutta, constituted under section 7A of the said Act.

SCHEDULE

Whether the demand of the Khan Shramik Congress Post Office Ukhra (Burdwan) that Shri Rampati Jadav, was illegally stopped from work with effect from the 13th June, 1972 by the management of East Jamuria Colliery, Post Office Topsi, District Burdwan, has any substance ? If so, to what relief is the workman concerned entitled and from what date ?

[No. L-19012/8/73-LR II.]
KARNAIL SINGH, Under Secy.

का०आ० 2452.—राष्ट्रपति, मूल नियमों के नियम 45 के उपबन्धों के अनुसरण में अनुपूरक नियम में, जो भारत सरकार के वित्त विभाग के तारीख 4 फरवरी 1922 के पत्र सं० 104-सी एस आर द्वारा जारी किए गए हैं, निम्नलिखित और संशोधन करते हैं, अर्थात् :—

उक्त नियमों के भाग 8 में , प्रभाग 26-म के पश्चात् निम्नलिखित जोड़ दिया जाएगा, अर्थात् :—

"प्रभाग 26-म

ऐसे निवास-स्थानों का आबंटन जो कारखाना सलाह सेवा एवं श्रम संस्थान महानिदेशक के प्रशासकीय नियंत्रण में है

अनु० नि० 317-म-1 संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ—(1) इन नियमों का नाम कारखाना सलाह सेवा एंव श्रम संस्थान महानिदेशक के प्रशासकीय नियंत्रणाधीन सरकारी निवास-स्थान आबंटन नियम, 1973 है ।

(2) यह राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगे ।

अनु० नि० 317-म-2-परिभाषाएं—इन नियमो में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) "आबंटन" से इन नियमों के अनुसार निवास-स्थान के अधिभोग का अनुज्ञप्ति देना अभिप्रेत है ;

(ख) "आबंटन वर्ष" से जनवरी के प्रथम दिन प्रारंभ होने वाला वर्ष अथवा ऐसी दूसरी कालावधि अभिप्रेत है जो राष्ट्रपति द्वारा अधिसूचित की जाए ;

(ग) "पात्र" कार्यालय से कारखाना सलाह सेवा एवं श्रम संस्थान महानिदेशक का कार्यालय और उस महानिदेशालय के अधीन के ऐसे कार्यालय अभिप्रेत है जो ऐसे स्थानों में है जहां विभागीय आवास सुविधा उपलब्ध है ;

(घ) "पात्र अधिकारी" से वह अधिकारी अभिप्रेत है जो पात्र कार्यालय में नियोजित अथवा तैनात है ;

(ङ) "उपलब्धियां" से नियम 45-छ में यथापरिभाषित उपलब्धियां अभिप्रेत है, किन्तु इसमें प्रतिकरात्मक भत्ते सम्मिलित नहीं हैं ।

स्पष्टीकरण—निलंबित पात्र अधिकारी के मामले में, "उपलब्धिया" से वे उपलब्धियां मानी जाएंगी जो उसने उस आबंटन वर्ष के प्रथम दिन प्राप्त की जिसमें वह निलंबित किया गया अथवा यदि वह आबंटन वर्ष के प्रथम दिन ही निलंबित कर दिया गया हो तो जो उसके द्वारा उक्त तारीख के ठीक पहले प्राप्त की गई ।

(च) "कुटुंब" से यथास्थिति, पत्नी अथवा पति और संतानें, सौतेली संताने, वैध रूप से दत्तक ली गई संताने, माता-पिता, भाई अथवा बहिनें जिनका निवास मामूली तौर पर अधिकारी के साथ है और जो उस पर निर्भर है, अभिप्रेत हैं ।

(छ) "सरकार" से केन्द्रीय सरकार अभिप्रेत है ;

(ज) "विभागाध्यक्ष" से कारखाना सलाह सेवा एवं श्रम संस्थान महानिदेशक अभिप्रेत है ;

(झ) पात्र अधिकारी अनु० नि० 317-म-4 के अधीन जिस प्रकार के निवास-स्थान का पात्र है उसके संबंध में पात्र अधिकारी की "पूर्विकता तारीख" से वह पूर्वतम तारीख अभिप्रेत है जब से वह, छुट्टी की अवधि को छोड़कर, निरंतर उस विशिष्ट टाइप से अथवा उससे उच्चतर टाइप से सुसगत उपलब्धियां केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार अथवा इतर सेवा के अधीन पद पर प्राप्त करता रहा है :

परन्तु टाइप 2, टाइप 3 अथवा टाइप 4 के निवास-स्थानों के संबंध में वह तारीख जब से अधिकारी केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार की सेवा में, (इतर सेवा की अवधि को सम्मिलित करते हुए) निरंतर रूप से रहा है उसकी उस टाइप के लिए पूर्विकता तारीख होगी :

परन्तु यह और कि जहां दो या अधिक पात्र अधिकारियों की पूर्विकता तारीख एक ही हो उनमें से ज्येष्ठता उनके द्वारा प्राप्त की जाने वाली उपलब्धियों की राशि से अवधारित की जाएगी, अर्थात् अधिक उपलब्धियां प्राप्त करने वाला अधिकारी कम उपलब्धिया प्राप्त करने वाले अधिकारी से प्राथमिकता प्राप्त करेगा और जहां उपलब्धिया कम हों वहां ज्येष्ठता केन्द्रीय सरकार के अधीन सेवाकाल की दीर्घता के अनुसार अवधारित की जाएगी;

(ञ) "अनुज्ञप्ति फीस" से इन नियमो के अधीन आबंटित निवास-स्थान के संबंध में मूल नियमों के उपबंधों के अनुसार मासिक रूप से देय धनराशि अभिप्रेत है;

(ट) "निवास-स्थान" से ऐसा निवास-स्थान अभिप्रेत है जो तत्समय कारखाना सलाह सेवा एवं श्रम संस्थान महानिदेशक के प्रशासनिक नियंत्रण में है ;

(ठ) "शिकमी देना" के अन्तर्गत है किसी आबंटिती द्वारा दूसरे व्यक्ति को उसके द्वारा अनुज्ञप्ति फीस के संदाय पर अथवा उसके बिना, आवास-सुविधा का सहभोग करना;

स्पष्टीकरण · किसी आबंटिती द्वारा अपने निकट संबंधियों के साथ आवास सुविधा का सहयोग शिकमी देना नही समझा जाएगा ।

(ड) "अस्थायी स्थानांतरण" से ऐसा स्थानांतरण अभिप्रेत है जिसमे चार मास से अनधिक काल के लिए अनुपस्थिति होती है;

(ढ) "स्थानांतरण" से किसी अन्य स्थान के लिए अंतरण अथवा किसी पात्र कार्यालय से अन्य कार्यालय को जो पात्र कार्यालय नही है, स्थानांतरण अभिप्रेत है और किसी राज्य सरकार अथवा संघ राज्य-क्षेत्र सरकार के अधीन सेवा में स्थानातरण अथवा लौटाया जाना अथवा ऐसे कार्यालय मे जो पात्र कार्यालय अथवा संगठन नही है किसी पद पर प्रतिनियुक्ति इसके अन्तर्गत है;

(ण) किसी पात्र अधिकारी के संबंध में "टाइप" से निवास-स्थान का वह टाइप अभिप्रेत है जिसका वह अनु नि० 317-म-4 के उपबंधो के अधीन पात्र है ।

अनु० नि० 317-म-3-पति और पत्नी को आबंटन एक दूसरे विवाहित पात्र अधिकारियों के मामलों में पात्रता---(1) किसी पात्र अधिकारी को जिसके यथास्थिति, पति या पत्नी को पहले ही निवास-स्थान आबंटित किया जा चुका हो, इन नियमों के अधीन कोई निवास-स्थान तब तक आबंटित नही किया जाएगा जब तक उक्त निवास-स्थान अभ्यर्पित न कर दिया जाए ;

परन्तु यह उपनियम वहां लागू नही होगा जहां पति और पत्नी किसी न्यायालय द्वारा किए गए न्यायिक पृथक्करण के आदेश के अनुसरण मे पृथक निवास कर रहे हो ।

(2) जहां दो पात्र अधिकारी, जो इन नियमो के अधीन पृथक् रूप से आबंटित निवास-स्थानो के अधिभोगी हो, एक दूसरे से विवाह कर ले वहां वे अपने विवाह से एक मास की अवधि के भीतर अपने निवास-स्थानों में से एक का अभ्यर्पण कर देंगे ।

(3) यदि निवास-स्थान का अभ्यर्पण उपनियम (2) की अपेक्षानुसार न किया जाए तो निम्नतर टाइप के निवास-स्थान का आबंटन उक्त अवधि के अवसान पर रद्द समझा जाएगा और यदि निवास-स्थान एक ही टाइप के हों तो विभागाध्यक्ष के विनिश्चयानुसार उनमे से एक का आबंटन उक्त अवधि के अवसान पर रद्द समझा जाएगा ।

(4) जहां पति और पत्नी दोनों ही सरकार के अधीन नियोजन मे हो वहा प्रत्येक के इन नियमो के अधीन आबंटन के अधिकार पर स्वतन्त्र रूप से विचार किया जाएगा ।

अनु० नि० 317-म-4---निवास-स्थानों का वर्गीकरण-इन नियमों द्वारा अन्यथा उपबंधित के सिवाय, पात्र अधिकारी, जो निम्नलिखित सारणी के स्तम्भ 1 में विनिर्दिष्ट मासिक उपलब्धियां प्राप्त कर रहा हो और उसके स्तम्भ 2 की तत्संबंधी प्रविष्टि में उल्लिखित क्षेत्र नियोजन में हो, उक्त सारणी के स्तम्भ 3 की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट प्रकार के निवास-स्थान के आबंटन का पात्र होगा, अर्थात् :-

सारणी

पात्र अधिकारी को जिस आबंटन वर्ष में आबंटन किया जाए उसके प्रथम दिन उस की मासिक उपलब्धिया	क्षेत्र	निवास-स्थान का टाइप
(1)	(2)	(3)
(1) 175 रु० से कम	केन्द्रीय श्रम संस्थान, मुंबई और प्रादेशिक	टाइप 1
(2) 175 रु० से 349 रु० तक	श्रम संस्थान, कलकत्ता	टाइप 2
(3) 350 रु० से 499 रु० तक	कानपुर और मद्रास	टाइप 3
(4) 500 रु० से 799 रु० तक		टाइप 4
(5) 800 रु० से 1,299 रु० तक	केन्द्रीय श्रम संस्थान, मुंबई	टाइप 5
(6) 800 रु० और उस से अधिक	प्रादेशिक श्रम संस्थान, कलकत्ता कानपुर और मद्रास	टाइप 5
(7) 1300 रु० और उस से अधिक	केन्द्रीय श्रम संस्थान, मुंबई	टाइप 6

अनु० नि० 317-म-5-आबंटन के लिए आवेदन---(1) कोई पात्र अधिकारी जो निवास-स्थान का आबंटन चाहे अथवा किसी उच्चतर टाइप के निवास-स्थान का हकदार होने पर उच्चतर टाइप के निवास-स्थान का आबंटन चाहे, यथास्थिति, उस स्टेशन पर पदभार ग्रहण के करने पश्चात् अथवा उच्चतर टाइप के निवास-स्थान का हकदार होने के पश्चात्, प्ररूप "क" मे विभागाध्यक्ष को, यथास्थिति, अपना पदभार ग्रहण करने से अथवा उच्चतर टाइप का हकदार होने से एक मास की अवधि के भीतर एक आवेदन देगा और उस के पश्चात् उसे प्रत्येक वर्ष, जब तक उसे कोई निवास-स्थान आबंटित न हो, प्रथम जनवरी के पहले आवेदन देना चाहिए ;

परन्तु ऐसा आवेदन ऐसे पात्र अधिकारी से अपेक्षित न होगा जो स्वयं अपने नाम में अथवा अपने कुटुंब के किसी ऐसे सदस्य के नाम मे जो उसके साथ मामूली तौर पर निवास करता हो, किसी मकान का स्वामी हो ,

परन्तु यह और कि विभागाध्यक्ष इस उपनियम में विनिर्दिष्ट तारीख के अतिरिक्त किसी भी समय आवेदन मांग सकेगा ।

(2) जिस पात्र अधिकारी के स्थानांतरण का आदेश हो गया हो, वह यदि अपने स्थानांतरण के स्थान पर निवास-स्थान का आबंटन चाहे तो उस प्रयोजन के लिए आवेदन विभागाध्यक्ष को भेजेगा, जिससे कि वह स्थानांतरण आदेश प्राप्त होने के आठ दिन के भीतर उसके पास पहुंच जाए और आवेदन के साथ लिखित रूप में वचनबंध भी भेजेगा कि वह निवास-स्थान का उसके स्थानांतरण के स्थान पर आबंटन के लिए उपलब्ध हो जाने के 15 वें दिन से अथवा पदभार ग्रहण करने की तारीख से अथवा उस दिन से जब वह वस्तुतः निवास-स्थान का अधिभोग प्राप्त करे जो भी सर्वप्रथम हो किराया देगा ।

(3) किसी भी कलैण्डर मास में आबंटनों के लिए केवल उन्हीं आवेदनों पर विचार किया जाएगा जो (उपनियम (1) के उपबन्धों के अनुसरण में दिए गए आवेदनों को छोड़ कर) पूर्ववर्ती मास की 20 तारीख को या उसके पूर्व प्राप्त हो गए हों ।

अनु० नि० 317-म-6-निवास-स्थानों का आबंटक और प्रस्थापनाएं

(1) इन नियमों में अन्यथा उपबंधित के सिवाय, किसी निवास-स्थान के खाली होने पर वह विभागाध्यक्ष द्वारा अधिमानतः उस आवेदक को आबंटित किया जाएगा जो अनु० नि० 317-म-13 के उपबन्धों के अधीन उस टाइप के निवास-स्थान का परिवर्तन चाहे, और यदि ऐसा कोई आवेदक न हो तो उस आवेदक को आबंटित किया जाएगा जिसके पास उस टाइप का निवास-स्थान न हो और जिसकी उस टाइप के निवास-स्थान के लिए पूर्विकता तारीख सबसे पहले हो । यह आबंटन निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हुए होगा, अर्थात :—

(i) विभागाध्यक्ष मामूली तौर पर उस टाइप से उच्चतर टाइप का निवास-स्थान आबंटित नहीं करेगा जिसका पात्र आवेदक अनु० नि० 317-म-4 के अधीन हो,

(ii) विभागाध्यक्ष किसी आवेदक को इस बात के लिए विवश नहीं करेगा कि वह जिस टाइप के निवास-स्थान का पात्र अनु० नि० 317-म-4 के अधीन हो उस से निम्नतर टाइप का निवास-स्थान स्वीकार करे :

परन्तु जब कोई निवास-स्थान उस टाइप के निवास-स्थान के पात्र सभी अधिकारियों को निवास-स्थान आबंटित कर दिए जाने पर खाली रहे तब विभागाध्यक्ष, प्रार्थना किए जाने पर तथा, यदि आवेदक इस बात का वचनबन्ध करे कि यह भूल नियम 45-क के अधीन मानक किराए और अपनी उपलब्धियों के दस प्रतिशत में जो भी अधिक हो वह देगा सो, ऐसा निवास-स्थान ऐसे आवेदक को आबंटित कर सकेगा जो उस से ठीक उच्चतर टाइप के निवास-स्थान के आबंटन का पात्र या जो आबंटनीय निवास-स्थान के ठीक निम्नस्तर टाइप के निवास-स्थान का पात्र हो । विहित कालावधि के भीतर इस प्रकार प्राप्त सभी आवेदन विभागीय आवास सुविधा के आबंटन के लिए अन्य अभिवेदनों के साथ तुरन्त विचारार्थ लिए जाएंगे :

परन्तु यह और कि यदि ऐसी कोई प्रार्थना प्राप्त न हो जिसका उल्लेख प्रथम परन्तुक में है तो विभागाध्यक्ष खाली निवास-स्थान को ऐसे पात्र अधिकारी को आबंटित कर सकेगा जो खाली निवास-स्थान के ठीक उच्चतर टाइप के निवास-स्थान के आबंटन का हकदार हो, किन्तु ऐसा तब किया जाएगा जब वह अपनी उपलब्धियों की दस प्रतिशत अनुज्ञप्ति फीस देने का वचनबंध करे । ऐसा न होने पर उक्त निवास-स्थान ऐसे पात्र अधिकारी को आबंटित किया जाएगा जो उस से ठीक निम्नस्तर टाइप के निवास-स्थान के आबंटन का पात्र हो, किन्तु ऐसा तब किया जाएगा जब वह उस टाइप के निवास-स्थान के लिए समुचित न्यूनतम के दस प्रतिशत और अपने वेतन के दस प्रतिशत में जो भी अधिक हो वह देने का वचन-बन्ध करे ।

(2) उपनियम (1) में किसी बात के होते हुए भी, अनुसूची में विनिर्दिष्ट प्रवर्गों में से किसी का भी कोई पात्र अधिकारी आवश्यक प्रवर्ग का अधिकारी माना जाएगा और निवास-स्थान के आबंटन के मामले में अभिभावी पूर्विकता का हकदार समझा जाएगा :

परन्तु जब ऐसा कोई आवश्यक प्रवर्ग का प्राधिकारी किसी निवास स्थान के आबंटन को स्वीकार न करे तो वह अन्य ऐसे पात्र अधिकारी को आबंटित किया जा सकेगा जो उस टाइप के निवास-स्थान का पात्र हो ।

(3) यदि किसी अधिकारी के अभियोग के निवास-स्थान को खाली कराने की अपेक्षा हो तो विभागाध्यक्ष उस पात्र अधिकारी का वर्तमान आबंटन रद्द कर सकेगा और उसे उसी टाइप का अन्य निवास-स्थान आबंटित कर सकेगा, अथवा आपातिक परिस्थितियों में, उस अधिकारी के अभियोग के निवास-स्थान के टाइप से ठीक निम्नतर टाइप का निवास-स्थान आबंटित कर सकेगा ।

(4) खाली निवास-स्थान उपनियम (1) और (2) के अधीन पात्र अधिकारी और आबंटन के अतिरिक्त साथ ही साथ अन्य पात्र अधिकारियों को उनकी पूर्विकता तारीखों के क्रम से आबंटन के लिए प्रस्थापित किया जा सकेगा ।

अनु० नि० 317—म—पारिवाहन आबंटन—अनु० नि० 317-म-6 के उपबंधों में किसी बात के होते हुए भी विभागाध्यक्ष द्वारा किसी निवास-स्थान का आबंटन बिना पारी के रूप में किसी पात्र अधिकारी को उसकी या उसके कुटुम्ब के किसी सदस्य की गंभीर बिमारी के आधार पर, यदि आवश्यक समझा जाए तो विहित चिकित्सीय प्राधिकारी से परामर्श करके, किया जा सकेगा ।

अनु० नि० 317—म—8—आबंटन का पात्र अधिकारी द्वारा स्वीकार न किया जाना अथवा आबंटित निवास-स्थान को स्वीकार करने के पश्चात् अभियोग में न लेना — यदि पात्र अधिकारी किसी निवास-स्थान का आबंटन पांच दिन के भीतर स्वीकार न करे अथवा स्वीकार करने के बाद भी आबंटन पत्र की प्राप्ति की तारीख से आठ दिन के भीतर, उस निवास-स्थान का कब्जा न ले अथवा आबंटन के पश्चात् निवास-स्थान को अभ्यर्पित कर दे सो वह यथास्थिति, आबंटन पत्र की तारीख या निवास-स्थान अभ्यर्पित करने की तारीख से एक वर्ष की कालावधि पर्यन्त दूसरे आबंटन का पात्र न होगा ।

अनु० नि० 317-म-9—**आबंटन के प्रभावी रहने की कालावधि और तत्पश्चात् कब्जे की रियायती कालावधि** (1) आबंटन उस तारीख से प्रभावी होगा जब वह अधिकारी द्वारा स्वीकार किया जाए और तब तक प्रभावी बना रहेगा जब तक कि —

(क) अधिकारी के उस विशिष्ट स्टेशन पर कर्तव्यारूढ न रहने के पश्चात् उस रियायती कालावधि का अवसान न हो जाए जो उपनियम (2) के अधीन अनुज्ञेय है ;

(ख) वह विभागाध्यक्ष द्वारा रद्द न कर दिया जाए या इन नियमों के किसी अन्य उपबन्ध के अधीन रद्द किया गया न समझा जाए ;

(ग) वह अधिकारी द्वारा अभ्यर्पित न कर दिया जाए ; अथवा

(घ) उस निवास-स्थान में अधिकारी का अधिभोग न रह जाए ।

(2) किसी पात्र अधिकारी को आबंटित निवास-स्थान उपनियम (3) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, निम्न सारणी के स्तम्भ में विनिर्दिष्ट में से किसी के होने पर उस कालावधि पर्यन्त, जो उसके

सारणी की तत्सम्बन्धी प्रविष्टि में निर्दिष्ट है, अपने पास रखा जा सकेगा। परन्तु यह तब जब कि उस निवास-स्थान की अपेक्षा उस अधिकारी या उसके कुटुम्ब के सदस्यों के वास्तविक उपयोग के लिए हो।

सारणी

घटनाएं	निवास-स्थान अपने पास रखने की अनुज्ञेय कालावधि
(1)	(2)
(i) पदत्याग, पदच्युति या सेवा पर्यवसान	दो मास
(ii) सेवा-निवृत्ति या छुट्टी	दो मास
(iii) आबंटिती की मृत्यु	चार मास
(iv) स्थानान्तरण	दो मास
(v) अपात्र अधिकारी को अन्तरण	दो मास
(vi) भारत में इतर सेवा पर जाना	दो मास
(vii) भारत में अस्थायी स्थानान्तरण अथवा भारत से बाहर किसी स्थान के लिए स्थानान्तरण	चार मास
(viii) छुट्टी (जो निवृत्ति-पूर्व छुट्टी, अस्वीकृत छुट्टी, सेवास्त छुट्टी, चिकित्सीय छुट्टी और अध्ययनार्थ छुट्टी से भिन्न हो)	छुट्टी की कालावधि पर्यन्त, किन्तु चार मास से अधिक नहीं।
(ix) निवृत्ति-पूर्व छुट्टी या मूल नियम 86 के अधीन दी गई अस्वीकृत छुट्टी	पूर्ण औसत वेतन पर छुट्टी की पूर्ण कालावधि पर्यन्त, किन्तु चार मास की अधिकतम सीमा के अधीन रहते हुए ; इसमें सेवा निवृत्ति की दशा में अनुज्ञेय कालावधि भी सम्मिलित है।
(x) भारत से बाहर के लिए अध्ययनार्थ छुट्टी या प्रतिनियुक्ति	छुट्टी की कालावधि पर्यन्त, किन्तु 6 मास से अधिक नहीं।
(xi) भारत में अध्ययनार्थ छुट्टी	छुट्टी की कालावधि पर्यन्त किन्तु 6 मास से अधिक नहीं।
(xii) चिकित्सीय आधार पर छुट्टी	छुट्टी की पूर्ण कालावधि पर्यन्त
(xiii) प्रशिक्षणार्थ जाने पर	प्रशिक्षण की पूरी कालावधि पर्यन्त।

(3) जब कोई निवास-स्थान उपनियम (2) के अधीन अपने पास रखा जाए तो अनुज्ञेय रियायती कालावधि के अवसान पर यह आबंटन रद्द किया गया समझा जाएगा, सिवाय उस दशा के जब उस कालावधि के अवसान के पश्चात् यह अधिकारी उसी स्थान में किसी पात्र कार्यालय में कर्तव्य-भार ग्रहण कर ले।

(4) जिस पात्र अधिकारी ने उपनियम (2) के नीचे दी गई सारणी की मद (i) या मद (ii) के अधीन रियायत के आधार पर निवास-स्थान अपने पास रखा हो वह किसी पात्र कार्यालय में उक्त सारणी में विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर पुनर्नियोजन होने पर इस बात का हकदार होगा कि उस निवास-स्थान को अपने पास रखे तथा वह इन नियमों के अधीन नए आबंटन का भी पात्र होगा।

परन्तु यदि अधिकारी की पुनर्नियोजन पर उपलब्धियां ऐसी हों जो उसे उस टाइप के निवास-स्थान का हकदार न बनाए जो उसके अधिभोग में हों तो उसे निम्नतर टाइप का निवास-स्थान आबंटित किया जाएगा।

(5) उपनियम (2) या उपनियम (4) में किसी बात के होते हुए भी जब कोई पात्र अधिकारी पदच्युत किया जाए या सेवा से हटाया जाए या जब उसकी सेवा का पर्यवसान किया जाए तथा विभागाध्यक्ष का समाधान हो जाए कि ऐसा करना लोकहित में आवश्यक या समीचीन है तो वह ऐसे अधिकारी को निवास-स्थान का आबंटन या तो तुरन्त रद्द कर सकेगा या उस तारीख से रद्द कर सकेगा जो उपनियम (2) के नीचे दी गई सारणी की मद (i) में निर्दिष्ट 1 मास की कालावधि के अवसान के पूर्व हो, और जो वह विनिर्दिष्ट करे।

अनु० नि० 317-म-10-**अनुज्ञप्ति फीस विषयक उपबन्ध** – (i) (क) जब निवास स्थान या अनुकल्पी निवास-स्थान का आबंटन स्वीकार कर लिया जाए तो अनुज्ञप्ति फीस का दायित्व अधिभोग की तारीख से अथवा आबंटन की प्राप्ति की तारीख से के आठवें दिन से, जो भी पहले हो, प्रारम्भ होगा।

(ख) जो पात्र अधिकारी आबंटन स्वीकार करने के पश्चात् उस निवास-स्थान का कब्जा आबंटन पत्र की प्राप्ति की तारीख से आठ दिन के भीतर न ले उस तारीख से एक मास की कालावधि की अथवा उस तारीख तक की जब वह निवास-स्थान पुनः आबंटित कर दिया जाए जो भी पहले हो, अनुज्ञप्ति फीस ली जाएगी।

(2) जहां एक निवास-स्थान के अधिभोगी किसी पात्र अधिकारी को दूसरा निवास-स्थान आबंटित किया जाए और वह अन्य निवास-स्थान पर अधिभोग प्राप्त कर ले तो पहले निवास-स्थान का आबंटन नए निवास स्थान का अधिभोग प्राप्त करने की तारीख से रद्द समझा जाएगा।

परन्तु निवास-स्थान के परिवर्तन के लिए वह पहले निवास-स्थान को उस दिन तथा उसके बाद एक दिन बिना अनुज्ञप्ति फीस दिए अपने पास रख सकेगा।

अनु० नि० 317-म-11-निवास-स्थान के खाली किए जाने तक अधिकारी का अनुज्ञप्ति फीस देने का वैयक्तिक दायित्व तथा अस्थायी अधिकारियों द्वारा प्रतिभू दिया जाना (1) जिस अधिकारी को निवास-स्थान का आबंटन किया जाए उस पर उसकी अनुज्ञप्ति फीस का तथा उस नुकसान का दायित्व होगा जो उचित घिसाई (टूट-फूट) के अतिरिक्त हो और उस निवास-स्थान को अथवा सरकार द्वारा उसमें दिए गए फर्नीचर फिक्सचर, फिटिंग या सेवा-व्यवस्था को उस कालावधि के दौरान कारित हो जब निवास-स्थान उसके आबंटन में रहे या जहां आबंटन इन नियमों के किसी उपबन्ध के अधीन रद्द कर दिया गया हो वहां जब तक वह निवास-स्थान तथा उससे संलग्न उपगृह खाली करके उनका पूर्णतः खाली रूप में कब्जा सरकार को वापस न कर दिया जाए।

(2) जहां निवास स्थान आबंटित किया गया अधिकारी न स्थायी सेवक हो और न स्थायित्वन् हो वहां वह एक प्रतिभू सहित प्रपत्र ख में प्रतिभूति पत्र निष्पादित करेगा। यह प्रतिभू स्थायी सरकारी सेवक होना चाहिए। यह प्रतिभूति-पत्र किराए तथा अन्य ऐसे प्रभारों के दिए जाने के लिए होगा जो उस निवास-स्थान और उन सेवाओं की बाबत तथा उसके बदले से दिए गए किसी अन्य निवास-स्थान की बाबत उसके द्वारा देय हो।

(3) यदि प्रतिभू सरकारी सेवा में न रह जाए या दिवालिया हो जाए या गारण्टी वापस ले ले या किसी अन्य कारण से उपलब्ध न रह जाय तो अधिकारी किसी अन्य प्रतिभू द्वारा निष्पादित एकनया बंधपत्र उस

घटना या तथ्य की जानकारी प्राप्त होने की तारीख से तीस दिन के भीतर देगा ; यदि वह ऐसा न करे तो जब तक कि विभागाध्यक्ष अन्यथा विनिश्चय न करे, उस निवास-स्थान का उसे आबंटन उस घटना की तारीख से रद्द किया गया समझा जाएगा ।

अनु० नि० 317-म-12-**आबंटन का अभ्यर्पण और सूचना की कालावधि** (1) कोई पात्र अधिकारी ऐसी सूचना देकर जो उस तारीख से, जब वह निवास-स्थान को खाली करना चाहता हो, कम से कम दस दिन पूर्व विभागाध्यक्ष के पास पहुंच जाए, आबंटन को अभ्यर्पित कर सकेगा ।

(2) जहां कोई पात्र अधिकारी सम्यक् सूचना न दे वहां, जब तक कि विभागाध्यक्ष उसे इससे छूट न दे, वह दस दिन की कालावधि के अथवा उतने दिन के, जितने दिन से कि उसके द्वारा दी गई सूचना उक्त कालावधि से कम हो, किराए का देनदार होगा ।

अनु० नि० 317-म-13-**निवास-स्थान का परिवर्तन** (1) (क) जिस पात्र अधिकारी को इन नियमों के अधीन निवास-स्थान का आबंटन किया गया हो वह आवेदन कर सकेगा कि उसके बदले में उसी टाइप का अथवा उस टाइप का जिसका पात्र वह अनु० नि० 317-म-4 के अधीन हो (जो भी निम्नतर हो), निवास-स्थान दिया जाए ।

(ख) किसी अधिकारी को आबंटित एक टाइप के निवास-स्थान के बाबत एक बार से अधिक परिवर्तन की अनुज्ञा नहीं दी जाएगी ।

(2) (क) प्ररूप (ग) में किए गए वे सब आवेदन जो किसी कलैण्डर मास के उन्नीसवें दिन तक प्राप्त हों अगले मास की प्रतीक्षा सूची मे सम्मिलित किए जाएगें ।

(ख) इन नियमों के प्रयोजनार्थ वे अधिकारी जिनके नाम पूर्ववर्ती मास के प्रतीक्षा-सूची में सम्मिलित हों, समुच्चयति रूप से उन अधिकारियों से ज्येष्ठ होंगे जिनके नाम पश्चात्वर्ती मास में सूची में सम्मिलित किए गए हों ।

(ग) किसी विशिष्ट मास में सूची में सम्मिलित किए गए अधिकारियों की ज्येष्ठता उनकी पूर्विकता तारीखों के क्रम से अवधारित की जाएगी ।

(3) परिवर्तन का अवसर उपनियम (2) के अनुसार अवधारित ज्येष्ठता के क्रम से तथा अधिकारियों की अपनी पसन्द का यथासम्भव ध्यान रखते हुए दिया जाएगा ।

(4) यदि कोई पात्र अधिकारी निवास-स्थान के परिवर्तन की प्रस्थापना या आबंटन उसके जारी किए जाने के पांच दिन के भीतर स्वीकार न करे तो उसके नाम पर उस टाइप के निवास-स्थान के परिवर्तन के लिए पुनः विचार न किया जाएगा ।

अनु० नि० 317-म-14-**कुटुम्ब के सदस्य की मृत्यु की दशा में निवास-स्थान परिवर्तन** – अनु० नि० 317-म-13 में किसी बात के होत हुए भी, यदि पात्र अधिकारी के कुटुम्ब के किसी सदस्य की मृत्यु हो जाए और वह निवास-स्थान के परिवर्तन के लिए आवेदन ऐसी घटना के तीन मास के भीतर करे तो उसे निवास-स्थान के परिवर्तन की अनुज्ञा दी जाएगी : परन्तु यह परिवर्तन उसी टाइप के निवास-स्थान में होगा जिस टाईप का निवास-स्थान उस अधिकारी को पहले से आबंटित हो ।

अनु० नि० 317-म-15-**निवास स्थानों का पारस्परिक विनिमय**– (1) जिन पात्र अधिकारियों को इन नियमों के अधीन एक ही टाइप के निवास-स्थान आबंटित किए गए हों, वे आवेदन कर सकेंगे कि उन्हें अपने निवास-स्थानों का पारस्परिक विनिमय करने की अनुज्ञा दी जाए ।

(2) जब इस बात कि उचित तौर पर प्रत्याशा हो कि दोनों अधिकारी ऐसे विनिमय की तारीख से 6 मास तक उस स्टेशन पर कर्तव्यारूढ़ रहेंगे और विनिमय में प्राप्त निवास-स्थान में रहेंगे सब पारस्परिक विनिमय की अनुज्ञा दी जाएगी ।

अनु० नि० 317-म-16-**निवास स्थान का अनुरक्षण** – (1) जिस अधिकारी को निवास-स्थान का आबंटन किया गया हो वह उसे और उसके परिसरों की ऐसी दशा में रखेगा कि केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग और स्थानीय नगरपालिका प्राधिकारी संतुष्ट रहे ।

(2) ऐसा अधिकारी न तो सरकार या केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा जारी किए गए निदेशों के विरुद्ध कोई वृक्ष, झाड़ी या पौधे उगाएगा और न उस निवास-स्थान से संलग्न किसी बाग, सहन या घेरे के किसी वृक्ष या झाड़ी को केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग की लिखित पूर्व अनुज्ञा के बिना काटे या छांटेगा ।

(3) इस नियम के उल्लंघन में उगाए गए वृक्ष, पौधे और वनस्पति संबंधित अधिकारी के जोखिम पर और उसके खर्चे पर हटवाए जा सकेंगे ।

अनु० नि० 317-म-17-**निवास-स्थान का शिकमी दिया जाना और सहभोग** –(1) (क) कोई पात्र अधिकारी अपने को आबंटित निवास-स्थान या उससे संलग्न उपगृहों और गैरेजों का सहभोग इन नियमों के अधीन पात्र अधिकारियों के साथ और विभागाध्यक्ष के अनुमोदन से ही करेगा, अन्यथा नहीं ।

(ख) निवास-स्थान का सहभोग करने वाले अधिकारी से लिया जाने वाला किराया उचित होगा ।

(ग) सेवक-निवासों और गैरेजों का उपयोग केवल उचित प्रयोजनों के लिए किया जाएगा, जिनके अन्तर्गत आबंटिती के सेवकों का निवास भी है, या अन्य ऐसे प्रयोजनों के लिए किया जाएगा जिनकी विभागाध्यक्ष अनुज्ञा दे ।

(2) कोई पात्र अधिकारी अपने संपूर्ण निवास-स्थान को शिकमी नहीं देगा :

परन्तु छुट्टी पर जाने वाला पात्र अधिकारी अपने निवास-स्थान में किसी अन्य पात्र अधिकारी को रख सकेगा कि वह सरकारी आवास सुविधा का सहभोग देखभाल करने वाले के रूप में अनु० नि० 317-म-9 में विनिर्दिष्ट कालावधि पर्यन्त (किन्तु 6 मास से अधिक नहीं) करे ।

(3) जो पात्र अधिकारी अपने निवास-स्थान का सहभोग करे या उसे शिकमी दे वह ऐसा अपने जोखिम और उत्तरदायित्व पर करेगा और उस निवासस्थान की बाबत वेय अनुज्ञप्ति फीस देने के लिए और ऐसे किसी नुकसान निवास-स्थान के लिए उत्तरदायी बना रहेगा जो उस निवास-स्थान को या उसकी प्रसीमाओं या भूमियों को या सरकार द्वारा उसमें उपबंधित सेवा-व्यवस्थाओं का हो और जो उचित घिसाई (टूटफूट) के अतिरिक्त हो ।

अनु० नि० 317-म-18-**नियम और शर्तें भंग करने का परिणाम**– (1) यदि वह पात्र अधिकारी जिसे निवास-स्थान आबंटित किया गया हो,

(i) निवास-स्थान या उसका कोई भाग प्राधिकार प्राप्त किए बिना शिकमी देता है, अथवा

(ii) शिकमी किराएदार से अनुज्ञप्ति फीस ऐसी दर से लेता है जो कि विभागाध्यक्ष अत्यधिक समझता है, अथवा

(iii) निवास-स्थान के किसी भाग में अप्राधिकृत संरचना करता है, अथवा

(iv) निवास स्थान या उसके किसी भाग का उपयोग ऐसे प्रयोजनों के लिए करता है जो उस प्रयोजन से भिन्न हों जिनके लिए वह निवास-स्थान या भाग अभिप्रेत हो, अथवा

(v) विद्युत या जल के कनेक्शन में हस्तक्षेप करता है, अथवा

(vi) किन्हीं ऐसे प्रयोजनों के लिए, जिन्हें विभागाध्यक्ष अनुचित समझे निवास-स्थान का उपयोग करता है या किया जाने की अनुज्ञा देता है या किया जाना सहन करता है, अथवा

(vii) ऐसे प्रकार से आचरण करता है जो विभागाध्यक्ष की राय में उसके पड़ोसियों से शांतिपूर्ण सम्बन्धों को बनाए रखने पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है, अथवा

(viii) आबंटन प्राप्त करने की दृष्टि से किसी आवेदन या लिखित कथन में कोई गलत जानकारी जानबूझकर दे चुका है, अथवा

(ix) इन नियमों अथवा आबंटन के निबन्धनों या शर्तों का कोई अंग भंग करता है,

तो विभागाध्यक्ष, उस अनुशासनिक कार्यवाही पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना जो उसके विरुद्ध की जा सकती हो, निवास-स्थान का आबंटन रद्द कर सकेगा ।

स्पष्टीकरण : इस उपनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, 'पात्र अधिकारी' पद के अन्तर्गत उसके कुटुम्ब का कोई सदस्य या ऐसे अधिकारी के माध्यम से दावा करने वाला कोई व्यक्ति भी है ।

(2) (क) यदि कोई पात्र अधिकारी अपने को आबंटित निवास-स्थान को या उसके किसी भाग को या उससे संलग्न किसी उपग्रह या गैरेज को इन नियमों के उल्लंघन में शिकमी देता है तो ऐसी किसी कार्यवाही पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना जो उसके विरुद्ध की जा सकती हो, उस से वर्द्धित अनुज्ञप्ति फीस ली जा सकेगी जो मूल नियम 45 क के अधीन मानक अनुज्ञप्ति फीस से चौगुने से अधिक न होगी ।

(ख) प्रत्येक मामले में इस बात का विनिश्चय कि कितनी अनुज्ञप्ति फीस वसूल की जाए और किस कालावधि के लिए वसूल की जाए, विभागाध्यक्ष गुणागुण के आधार पर करेगा ।

(ग) इसके अतिरिक्त उस अधिकारी को भविष्य में विनिर्दिष्ट कालावधि पर्यन्त जिसका विनिश्चय विभागाध्यक्ष करेगा, निवास-स्थान का सहभोग करने से विवर्जित किया जाएगा ।

(3) (क) जहां आबंटिती द्वारा परिसर अप्राधिकृत रूप से शिकमी दिए जाने के कारण, आबंटन को रद्द करने की कार्यवाही की जाए वहां आबंटिती तथा उसके साथ उसमें निवास करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को परिसर खाली करने के लिए साठ दिन का समय दिया जाएगा ।

(ख) परिसर खाली किए जाने की तारीख तथा आबंटन रद्द करने के आदेश की तारीख से साठ दिन की कालावधि के अवसान में, जो भी पहले हो, तब से आबंटन रद्द हो जाएगा ।

(4) जहां निवास-स्थान का आबंटन ऐसे आचरण के कारण रद्द किया जाए जो पड़ोसियों से शांतिपूर्ण सम्बन्ध बनाए रखने पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला हो वहां उस अधिकारी को विभागाध्यक्ष के स्वाविवेकानुसार उसी टाइप का अन्य निवास-स्थान किसी अन्य स्थान में आबंटित किया जा सकेगा ।

(5) विभागाध्यक्ष उपनियम (1) से (4) तक के अधीन सभी कार्यवाहियां या कोई कार्यवाही कर सकेगा तथा वह ऐसे अधिकारी को जो नियमों तथा उसके लिए जारी किए गए अनुदेशों को भंग करे, तीन वर्ष से अनधिक की कालावधि के लिए निवास-स्थान के आबंटन का अयोग्य घोषित कर सकेगा ।

अनु० नि० 317-म-19—**आबंटन के रद्द किये जाने के पश्चात् निवास-स्थान में बने रहना**—जहां कोई आबंटन इन नियमों के किसी उपबन्ध के अधीन रद्द कर दिया जाए या रद्द कर दिया गया समझा जाए और तत्पश्चात् वह निवास-स्थान उस अधिकारी के, जिसे वह आबंटित किया गया हो या उसके माध्यम से दावा करने वाले व्यक्ति के, अधिभोग में बना रहे वहां वह अधिकारी उस निवास-स्थान सेवाओं और फर्निचर के उपयोग और उपभोग के लिए नुकसानी और बाग प्रभार का देनदार होगा, जो सरकार द्वारा समय-समय पर अवधारित बाजार किराए के बराबर होंगे ।

अनु० नि० 317-म-20—**इन नियमों के जारी किए जाने के पहले किया गया आबंटन का बना रहना**—निवास-स्थान के ऐसे विधिसान्य आबंटन के बारे में, जो इन नियमों के प्रारंभ में ठीक पूर्व अस्तित्व में हों, यह समझा जाएगा कि वह इन नियमों के अधीन किया गया आबंटन है, भले वह अधिकारी जिसे वह आबंटन किया गया हो अनु० नि० 317-म-4 के अधीर उस टाइप के निवास-स्थान का हकदार न हो और उस आबंटन या उस अधिकारी के संबंध में इन नियमों के सभी पूर्वगामी उपबन्ध तदनुसार लागू होंगे ।

अनु० नि० 317-म-21—**नियमों का निर्वचन**—यदि इस प्रभाग के नियमों के निर्वचन की बाबत कोई प्रश्न उठे तो उसका विनिश्चय सरकार द्वारा किया जाएगा ।

अनु० नि० 317-म 22—**नियमों का शिथिलीकरण**—सरकार ऐसे कारणों से जो लेखबद्ध किए जाएंगे इस प्रभाग के नियमों के सभी उपबन्धों को या किसी पात्र अधिकारी या निवास-स्थान के मामले में या पात्र अधिकारी के किसी वर्ग या निवास-स्थानों के किसी टाइप के बारे में शिथिल कर सकेगी ।

अनु० नि० 317-म-23—**शक्तियों या कृत्यों का प्रत्यायोजन**—विभागाध्यक्ष इस प्रभाग के नियमों द्वारा अपने को प्रदत्त सभी शक्तियों या उनमें से कोई अपने नियंत्रणाधीन किसी अधिकारी को ऐसी शर्तों के अधीन प्रत्यायोजित कर सकेगा जो लगाना वह ठीक समझे ।

अनुसूची

(अनु०नि 317-म-6(2))

आवश्यक प्रवर्ग के पात्र अधिकारी

1—एक अवधापक (केयरटेकर)
2—स्टाफ कार चालक
3—एक विद्युतंत्री (इलेक्ट्रीशियन) (लोक निर्माण विभाग से)
4—चार चौकीदार
5—दो फर्राश
6—एक वातानुकूल मैकेनिक (केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग)

कारखाना सलाहकार सेवा एवं श्रम संस्थान महानिदेशक

प्ररूप 'क'

(अनु० नि० 317-म-5)

कारखाना सलाह सेवा एवं श्रम संस्थान महानिदेशालय के अधिकारियों द्वारा आवेदन का प्ररूप

1—(क) पूरा नाम श्री/श्रीमती/कुमारी
(बड़े अक्षरों में)
(ख) वर्तमान पदनाम
(ग) वेतनमान
(घ) स्थायी/स्थायित्व पद की विशिष्टियां

2—(क) एक जनवरी 19 को उपलब्धियां

वेतन	विशेष वेतन	महगाई वेतन	प्रतिनियुक्ति (कर्तव्य भत्ता)	वेतन के अतिरिक्त पेंशन यदि कोई हो	योग
रु०	रु०	रु०	रु०	रु०	रु०

(ख) यदि उपलब्धियां भारत सरकार की संचित निधि में से नहीं प्राप्त की जाती हैं तो कहां से प्राप्त की जाती हैं

(ग) वह तारीख जब से ऊपर (क) मे दी गई उपलब्धियां प्राप्त की जाती हैं

3—पूर्विकता तारीख के सहित वह वर्ग जिसका हकदार है
(देखिए अनु० नि० 317-म-4)

वर्तमान वर्गीकरण

आवास सुविधा का टाइप पूर्विकता
सम्बन्धित टाइप तारीख
ठीक नीचे का टाइप ;

4—सरकारी निवास-स्थान की, यदि कोई आबंटित हो, विशिष्टियां

(i) विभागाध्यक्ष द्वारा आबंटित

(ii) दूसरे सरकारी विभागो द्वारा आबंटित
(विभाग का नाम दीजिए)

5—(क) क्या आवेदक सरकारी निवास-स्थान के लिए विवर्जित किया गया है

(ख) यदि (क) का उत्तर सकारात्मक हो तो उसका ब्यौरा बताइए

(i) कालावधि से तक

(ii) पत्र स० तारीख

6—(क) क्या आवेदक, उसकी पत्नी/उसके पति या निर्भर सन्तान/संतानें कर्तव्य के स्थान पर किसी मकान के स्वामी हैं । यदि ऐसा है तो विशिष्टियां दीजिए

मकान स० और गली और स्वामी से सम्बन्ध और स्वामित्व की सीमा

(ख) यदि पहले से ही पात्र घोषित कर दिया गया हो तो पत्र की स० और तारीख दीजिए

पत्र संख्या तारीख

7—अस्थायी अधिकारियो के मामलो मे प्रतिभू की विशिष्टियां

(i) नाम मे

(ii) धारित स्थायी पद

(iii) कार्यालय जिससे संलग्न हो

(iv) क्या प्रतिभूत्व अस्तित्व में है

प्रमाणित किया जाता है कि मैने वे सारे नियम पढ़ लिए है जो निवास-स्थानों के आबंटन को शासित करते है ,और मै यह घोषित करता हूं कि ऊपर मेरे द्वारा दी गई समस्त विशिष्टियां सही है और जो आबंटन मुझे किया जाना है या कर दिया गया है, इन्ही नियमो और पश्चात्वर्ती संशोधनो के, यदि कोई हो, अधीन रहेगा ।

हस्ताक्षर
कार्यालय जिससे संलग्न है

तारीख

कार्यालय के प्रयोग के लिए

आबंटित निवास-स्थान का विशिष्टियां
लिपिक के तारीख सहित हस्ताक्षर
कार्यालय अधीक्षक के तारीख सहित हस्ताक्षर
विभागाध्यक्ष के तारीख सहित हस्ताक्षर

टिप्पण: पेंशन मे मृत्यु एवं निवृत्ति-उपदान या पेंशन-समतुल्य और पेंशन का संराशीकृत भाग, यदि कोई हो, सम्मिलित होना चाहिए । यदि ठीक नीचे के टाइप की आवास-सुविधा चाहे तभी ठीक नीचे के टाइप के लिए विशिष्टियां भरिए ।

प्ररूप 'ख'

(अनु० नि० 317-म-11)

मैं, श्री————————————का पुत्र———————— जो इस समय————————————के रूप मे—————————— नियोजित करता हूं, भारत के राष्ट्रपति के प्रति (जिन्हे इसमें इसके पश्चात् 'सरकार' कहा गया है और जिस पद के अन्तर्गत उनके उत्तराधिकारी और समनुदेशिती भी है) श्री——————————————, को जो इस समय————————————के रूप में नियोजित है, सरकार द्वारा उन्हे इस समय आबंटित निवास-स्थान के सम्बन्ध में और किसी ऐसे निवास-स्थान के सम्बन्ध में भी, जो उन्हे सरकार द्वारा समय-समय पर आबंटित किया जाए, उनके द्वारा देय किराया और अन्य देय रकमो की अदायगी के लिए प्रतिभू (जिस पद के अन्तर्गत मेरे वारिस, निष्पादक और प्रशासक भी है) होता हूं ।

मै, प्रतिभू एतद्द्वारा यह वचनबद्ध करता हू कि जब तक उक्त निवास-स्थान को खाली करके उसका कब्जा सरकार को न दे दिया जाए मैं उक्त श्री————————————को निवास-स्थान के आबंटन के कारण सरकार को हुई सभी हानि या नुकसान के लिए सरकार की क्षतिपूर्ति करूंगा । मैं, प्रतिभू, एतद्द्वारा यह भी वचनबद्ध करता हूं कि सरकार द्वारा मांगे जाने पर ऐसी समस्त राशियां, जो कि सरकार को यथा-पूर्वोक्त देय हो, बिना किसी आपत्ति के तुरन्त अदा करूंगा और मैं एतद्-द्वारा करार करता हूं कि सरकार इस बात के लिए स्वतंत्र होगी कि मुझे देय वेतन मे से उक्त राशि वसूल कर ले (और ऐसा करने के लिए वह इसके द्वारा अप्रतिसंहरणीय रूप से प्राधिकृत की जाती है) और इस प्रकार वसूल की जाने वाली रकम के बारे मे सरकार का विनिश्चय अंतिम होगा और मुझ पर आबद्धकर होगा ।

ऊपर के बाध्यता मेरे द्वारा सरकार की गई है, वह सरकार द्वारा समय बढ़ाए जाने या उक्त श्री————————————(आबंटिती का नाम) के प्रति उदारता बरते जाने के कारण उन्मोचित या प्रभावित नही होगी और मैं अन्य किसी भी ऐसे मामले या बात के कारण उन्मोचित या प्रभावित होगी जिससे इस उपबन्ध के अभाव मे प्रतिभू संबंधी विधि के अधीन मै अपने ऐसे दायित्व से निर्मुक्त हो जाऊं । जब तक उक्त श्री——————————(आबंटिती का नाम) किसी निवास-स्थान, सेवक-निवास और/या गैरेज के अधिभोगी रहते है तब तक यह गारंटी किसी समय प्रति-संहरणीय या मेरी मृत्यु से उन्मोचित नही होगी ।

सरकार ने इस दस्तावेज पर देय स्टाम्प-शुल्क, यदि कोई हो, देना स्वीकार किया है ।

19————————के————————मास के————दिन उक्त श्री————————————द्वारा हस्ताक्षरित और परिदत्त ।

निम्नलिखित की उपस्थिति में,

प्रतिभू के हस्ताक्षर :
साक्षी के हस्ताक्षर, पता एवं आजीविका पदनाम
कार्यालय का नाम

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त प्रतिभू एक स्थायी सरकार सेवक है ।

उस विभाग या कार्यालय
के अध्यक्ष के हस्ताक्षर
जिसमे प्रतिभू नियोजित है ।
(मुद्रा)

फार्म - 'ग'

महानिदेशक, कारखाना सलाह सेवा और श्रम संस्थान

एस० आर० 317-वाई०-13 के अन्तर्गत परिवर्तन के लिए आवेदन

1--नाम

2--इस समय आवंटित निवास का विवरण (1) टाइप
(2) अवस्थिति
(3) इस टाइप के लिए अपना की तारीख ।

3--उस निवास का टाइप जिस का आवेदन पत्र के वर्ष की पहली जनवरी को प्राप्त परिलब्धि के आधार पर हकदारी है ।

4--इच्छित परिवर्तन का विवरण
(क) मंजिल
(ख) ब्लाक सं० और मकान सं०, यदि कोई हो:

5--परिवर्तन के कारण

हस्ताक्षर
पदनाम
कार्यालय

आवेदकों को परिवर्तन के लिए अपना अनुरोध केवल मंजिल (भूतल/प्रथम आदि) और/या अन्य ब्लाक संख्या या मकान सं० तक ही, यदि कोई हो, तक सीमित रखना चाहिए । आवेदन में दी हुई किसी भी अन्य प्राथमिकता पर ध्यान नहीं दिया जाएगा ।

[सं० 17(13)/67-फैक-खण्ड-2]

केशवदास हुजेला, उप-सचिव ।

New Delhi, the 9th August, 1973

S.O. 2452.—In pursuance of the provisions of rule 45 of the Fundamental Rules, the President is pleased to make the following further amendment to the Supplementary Rules issued with Government of India, Finance Department letter No. 104-GSR, dated the 4th February, 1922, namely :—

In Part VIII of the said Rules, after Division XXVI—X the following shall be inserted, namely :—

Division XXVI—Y

Allotment of residences under the administrative control of the Directorate General of Factory Advice Service and Labour Institutes.

S. R. 317-Y-1.—Short title commencement.

(1) These rules may be called the Allotment of Government residences under the administrative control of the Directorate General of Factory Advice Service and Labour Institutes, rules 1973.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

S. R. 317-Y-2.—Definitions. In these rules, unless the context otherwise, requires,

(a) 'allotment' means the grant of a licence to occupy a residence in accordance with the provisions of these rules ;

(b) 'allotment year' means the year beginning on the 1st day of January or such other period as may be notified by the President ;

(c) 'eligible office' means the office of the Directorate General, Factory Advice Service and Labour Institutes and the offices subordinate to that Directorate General at the places where departmental accommodation is available.

(d) 'eligible officer' means an officer employed or posted in the eligible office.

(e) 'emoluments' means the emoluments as defined in Fundamental Rule 45-G, but excluding the compensatory allowances.

Explanation.—In the case of an eligible officer who is under suspension, the emoluments drawn by him on the first day of the allotment year in which he is placed under suspension, or, if he is placed under suspension on the first day of the allotment year, the emoluments drawn by him immediately before that date shall be taken as emoluments ;

(f) 'family' means the wife or husband, as the case may be, and children, step-children, legally adopted children, parents, brothers or sisters as ordinarily reside with and are dependent on the officer.

(g) 'Government' means the Central Government.

(h) 'Head of the Department' means the Director General of Factory Advice Service and Labour Institutes;

(i) 'priority date' of an eligible officer, in relation to a type of residence to which he is eligible under the provisions of S. R. 317-Y-4, means the earliest date from which he has been continuously drawing emoluments relevant to a particular type or a higher type in a post under the Central Government or the State Government or on foreign service except for periods of leave :

Provided that, in respect of a type II, type III or type IV residence, the date from which the officer has been continuously in service under the Central Government or the State Government, including the period of foreign service, shall be his priority date for that type.

Provided further that where the priority date of two or more eligible officers is the same, seniority among them shall be determined by the amount of emoluments, drawn by each of them, that is to say, the officer in receipt of higher emoluments taking precedence over the officer in receipt of lower emoluments ; and where the emoluments are equal, by the length of service of each of them under the Central Government.

(j) 'licence fee' means the sum of money payable monthly in accordance with the provisions of the Fundamental Rules in respect a residence allotted under these rules ;

(k) 'residence' means any residence for the time being under the administrative control of the Directorate General Factory Advice Service and Labour Institutes ;

(l) 'subletting' includes sharing of accommodation by an allottee with another person with or without payment of licence fee by such other person.

Explanation.—Any sharing of accommodation by an allottee with close relations shall not be deemed to be sublettings ;

(m) 'temporary transfer' means a transfer which involves an absence for a period not exceeding four months ;

(n) 'transfer' means a transfer to any other place or from an eligible office to an office not being an eligible office and includes a transfer or reversion to service under a State Government or the Government of a Union territory and also deputation to a post in an office not being an eligible office or organisation ;

(o) 'type', in relation to an eligible officer, means the type of residence to which he is eligible under the provisions of S. R. 317-Y-4.

S. R. 317-Y-3.—Allotment to husband and wife.

Eligibility in cases of eligible Officers who are married to each other.

(1) No eligible officer shall be allotted a residence under these rules if the wife or the husband, as the case may be, of such officer has already been allotted a residence, unless such residence is surrendered :

Provided that this sub-rule shall not apply where the husband and wife are residing separately in pursuance of an order of judicial separation made by any court.

(2) Where two eligible officers in occupation of separate residences allotted under these rules marry each other they shall within a period of one month of their marriage, surrender one of their residences.

(3) If a residence is not surrendered, as required by sub-rule (2), the allotment of the residence of the lower type shall be deemed to have been cancelled on the expiry of the aforesaid period and if the residences are of the same type, the allotment of such one of them, as the Head of Department may decide, shall be deemed to have been cancelled on the expiry of the aforesaid period.

(4) Where both husband and wife are employed under the Government, the entitlement of each for allotment of a residence under these rules shall be considered in dependently.

S. R. 317-Y-4.—Classification of residences. Save as Otherwise provided by these rules, an eligible officer drawing monthly emoluments specified in column 1 of the Table below and employed in an area mentioned in the corresponding entry in column 2 thereof shall be eligible for allotment of the type of residence specified in the corresponding entry in column 3 of the said Table, namely :—

THE TABLE

Monthly emoluments of the eligible officer as on the first day of the allotment year in which the allotment is made	Area	Type of Residence
(1)	(2)	(3)
(i) Less than Rs. 175	Central Labour Institute, Bombay and Regional Labour Institute, Calcutta, Kanpur and Madras.	Type I
(ii) From Rs. 175 to Rs. 349.		Type II
(iii) From Rs. 350 to Rs. 499.		Type III
(iv) From Rs. 500 to Rs. 799.		Type IV
(va) From Rs. 800 to Rs. 1,299.	Central Labour Institutes, Bombay.	Type V
(vb) From Rs. 800 and above.	Regional Labour Institute, Calcutta, Kanpur and Madras.	Type V
(vi) From Rs. 1300 and above.	Central Labour Institute, Bombay.	Type VI

S. R. 317-Y-5.—Application for allotment.—

(1) An eligible officer who seeks allotment of residence, or on becoming entitled to a higher type of residence seeks allotment for such higher type of residence, shall on his reporting for duty at that station or on becoming entitled to the higher type of residence, as the case may be, make an application in Form A to the Head of the Department within a period of one month of such reporting for duty or of becoming entitled to the higher type, as the case may be, and thereafter he should apply before the 1st of January every year till such time as the residence is allotted to him :

Provided that no such application shall be required to be made b yan eligible officer who owns a house either in his own name or in the name of any one of the members of his family and who ordinarily resides in it :

Provided further that the Head of the Department may call for an application at any time other than the date specified in this sub-rule.

(2) An eligible officer who is under order of transfer shall, if he desires to have allotment of residence at the place of his transfer, send his application for that purpose to the Head of the Department so as to reach his within eight days of the receipt of the transfer order by him and also send alongwith his application an undertaking in writing that he shall pay the licence fee from the 15th day the accommodation becomes available for allotment to him at the place of his transfer or from the date of his joining the duty or from the day, he actually occupied the accommodation, whichever is earlier.

(3) All applications received, otherwise than in pursuance of the provisions of sub-rule (1) on or before the 20th day of a calendar month shall alone be considered for allotment in the succeeding month.

S. R. 317-Y-6.—Allotment of residence and offers:—

(1) Save as otherwise provided in these rules, a residence, on falling vacant, shall be allotted by the Head of the Department preferably to an applicant desiring a change of accommodation in that type under the provisions of S. R. 317-Y-13 and if there is no such applicant, to an applicant without accommodation in that type having earliest priority date for that type of residence, subject to the following conditions namely :—

(i) The Head of the Department shall not ordinarily allot a residence of a type higher than to what the applicant is eligible under S. R. 317-Y-4,

(ii) The Head of the Department shall not compel any applicant to accept a residence of lower type, than that to what he is eligible under S. R. 317-Y-4:

Provided that when a residence remains vacant after all the eligible officers for that type of residence are allotted accommodation, the Head of the Department may, on request, allot the said residence to an applicant who is eligible for allotment of a residence of a type next higher to the type of the said residence or to an applicant who is eligible for allotment of a residence of a type next below the type of said residence, if he undertakes to pay the standard rent under FR 45-A or 10 per cent of his emoluments whichever is more : all applications, so received, within the prescribed period, shall immediately be considered for allotment of departmental accommodation alongwith other applications:

Provided further that if no such request is received as referred to in the first proviso, the Head of the Department may allot the vacant residence to an eligible officer who is entitled for an allotment of a residence of a type next higher to the type of the vacant residence if he undertakes to pay 10 per cent of his emoluments as licence fee, failing which the said residence may be allotted to an eligible officer who is entitled for and allotment of a residence of a type next below the type of the said residence if he undertakes to pay 10 per cent of the minimum of the emoluments appropriate to the type of accommodation or 10 per cent of his pay, whichever is more.

(2) Notwithstanding anything contained in sub-rule (1), an eligible officer belonging to any of the categories specified in the Schedule shall be considered to be an essential category officer and shall be entitled to overriding priority in the matter of allotment of a residence :

Provided that where any such essential category officer does not accept the allotment of a residence, it may be allotted to another eligible officer for that type of residence.

(3) The Head of Department may cancel the existing allotment of an eligible officer and allot to him an alternative residence of the same type or in emergent circumstances an alternative residence of the type next below the type of residence in occupation of the officer, if the residence in occupation of the officer is required to be vacated.

(4) A vacant residence may, in addition to allotment to an eligible officer under sub-rules (1) and (2) be offered simultaneously to other eligible officers in order of their priority dates.

S. R. 317-Y-7.—Out-of turn allotment.—

Notwithstanding the provisions of S. R. 317-Y-6, the allotment of a residence may be made by the Head of the Department on out-of-turn basis to an eligible officer on grounds of serious illness of self or a member of his family in consultation, if considered necessary, with the prescribed medical authority.

S. R. 317-Y-3.—Non-acceptance of allotment by eligible officer or failure to occupy the allotted residence after acceptance.—

If an eligible officer fails to accept the allotment of a residence within five days or fails to take possession of that residence after acceptance within eight days from the date of receipt of the letter of allotment or surrenders the residence after the allotment he shall not be eligible for another allotment for a period of one year from the date of the allotment letter or date of surrendering accommodation, as the case may be.

S. R. 317-Y-9.—Period for which allotment subsists and the concessional period for further retention:

(1) An allotment shall be effective from the date on which it is accepted by the officer and shall continue in force until—

(a) the expiry of the concessional period permissible under sub-rule (2) after the officer ceases to be on duty at the particular station;

(b) it is cancelled by the Head of the Department or is deemed to have been cancelled under any provision in these rules;

(c) it is surrendered by the officer, or,

(d) the officer ceases to occupy the residence.

(2) A residence allotted to an eligible officer may, subject to sub-rule (3), be retained on the happening of any of the events specified in column 1 of the Table below for the period specified in the corresponding entry in column 2 thereof, provided that the residence is required for the bona fide use of the officer or members of his family.

THE TABLE

Event	Permissible period for retention of the residence
1	2
(i) Resignation, dismissal or termination of service.	1 month
(ii) Retirement or Terminal leave	2 months
(iii) Death of the allottee	4 months
(iv) Transfer	2 months
(v) Transfer to an ineligible office.	2 months
(vi) On proceeding on foreign service in India.	2 months
(vii) Temporary transfer in India or transfer to a place outside India.	4 months
(viii) Leave (other than leave preparatory to retirement refused leave, terminal leave, medical leave or study leave).	For the period of leave but not exceeding 4 months.
(ix) Leave preparatory to retirement or refusal leave granted under F. R. 86.	For the full period of leave on full average pay subject to a maximum of 4 months inclusive of the period, permissible in the case of retirement.
(x) Study leave or deputation outside India.	For the period of leave but not exceeding 6 months.
(xi) Study leave in India	For the period of leave but not exceeding 6 months.
(xii) Leave on medical grounds	For the full period of leave.
(xiii) On proceeding on training	For the full period of training.

(3) Where a residence is retained under sub-rule (2), the allotment shall be deemed to be cancelled on the expiry of the admissible concessional period unless immediately on the expiry thereof the officer resumes duty in an eligible office in the same place.

(4) An eligible officer who has retained the residence by virtue of the concession under item (i) or item (ii) of the Table below sub-rule (2) shall on re-employment in an eligible office within the period specified in the said Table, be entitled to retain that residence and he shall also be eligible for any further allotment of residence under these rules:

Provided that if emoluments of the officer on such re-employment do not entitle him to the type of residence occupied by him, he shall be allotted a lower type of residence.

(5) Notwithstanding anything contained in sub-rule (2) or sub-rule (4) when an eligible Officer is dismissed or removed from service or when his services have been terminated and the Head of the Department is satisfied that it is necesary or expedient in the public interest so to do, he may cancel the allotment of the residence made to such officer either forthwith or with effect from such date prior to the expiry of the period of one month referred to in item (i) of the Table below sub-rule (2) as he may specify.

S. R. 317-Y-10.—Provisions relating to licence fee:—

(1) (a) Where an allotment of accommodation or alternative accommodation has been accepted, the liability for licence fee shall commence from the date of occupation or from the eighth day from the date of receipt of the allotment, whichever is earlier.

(b) An eligible Officer, who after acceptance, fails to take possession of that accommedation within eight days from the date of receipt of the allotment letter, shall be charged licence fee from such date upto a period of one month or upto the date of re-allotment of that particular accommodation, whichever is earlier.

(2) Where an eligible Officer, who is in occupation of a residence is allotted another residence and he occupies the new residence, the allotment of the former residence shall be deemed to have been cancelled with effect from the date of occupation of the new residence:

Provided that he may, retain the former residence without payment of licence fee for that day and the subsequent day for shifting.

S. R. 317-Y-11.—Personal liability of the officer payment of licence fee till the residence is vacated and furnishing of surety by temporary officers.—

(1) The officer to whom a residence has been allotted shall be personally liable for the licence fee thereof and for any damage beyond fare, wear and tear caused thereto or the furniture, fixtures, or fittings or services provided therein by Government during the period for which the residence has been and remains allotted to him, or where the allotment has been cancelled under any of the provisions in these rules, until the residence alongwith the out-houses appurtenant thereto have been vacated and full vacant possession thereof has been restored to Government.

(2) Where the officer to whom a residence has been alotted is neither a permanent nor a quasi-permanent Government servant, he shall execute a security bond in the Form B with a surety who shall be a permanent Government servant for due payment of licence fee and other charges due from him in respect of such residence and services and any other residence provided in lieu.

(3) If the surety ceases to be in the Government service or becomes involmant or withdraws his guarantees or ceases to be available for any other reasons, the officer shall furnish a fresh bond executed by another surety within thirty days from the date of his acquiring knowledge of such event or fact; and if he fails to do so, the allotment of the residence to him, shall, unless otherwise decided by the Head of Department, be deemed to have been cancelled with effect from the date of that event.

S. R. 317-Y-12.—Surrender of an allotment and period of notice.—

(1) An eligible Officer may at any time surrender an allotment by giving intimation so as to reach the Head of Department at least ten days before the day on which he proposes to vacate the residence.

(2) Where an eligible Officer fails to give due notice he shall, unless otherwise exempted by the Head of the Department, be liable for payment of licence fee for a period of ten days or the number of days by which the notice given by him falls short of the said period.

S. R. 317-Y-13.—**Change of residence.**

(1) (a) An eligible officer to whom a residence has been allotted under these rules may apply for a charge to another residence of the same type or a residence of the type to which he is eligible under S.R. 317-Y-4 whichever is lower.

(b) Not more than one change shall be allowed in respect of one type of residence allotted to the Officer.

(2) (a) All the applications for change made in Form C and received upto the 19th day of a calendar month shall be included in the waiting list in the succeeding month.

(b) For purposes of this rule, the officers whose names are included in the waiting list in an earlier month shall be senior er block to those whose names are included in the list in subsequent months.

(c) The inter seniority of the officers included in the list in any particular month shall be determined in the order of their priority dates.

(3) Changes shall be offered in order of seniority determined in accordance with sub-rule (2) and having regard to the officers' preferences as far as possible.

(4) If an eligible officer fails to accept a change of residence offered to him within five days of the issue of such offer or allotment, hme shall not be considered again for a change of residence of that type.

S.R. 317-Y-14.—**Change of residence in the event of death of a member of the family:—**

Notwithstanding anything contained in S.R. 317-Y-13 an eligible officer may be allowed a change of residence on the death of any member of his family if he applies for a change within three months of such occurrence, provided that the change will be given in the same type of residence as the residence already allotted to the officer.

S.R. 317-Y-15.—**Mutual exchange of residences.**

(1) Eligible Officers to whom residences of the same type have been allotted under these rules may apply for permission to mutually exchange their residences.

(2) Permission for mutual exchanges may be granted if, both the officers are reasonably expected to be on duty at the station and to reside in their mutually exchanged residences for atleast six months from the date of approval of such exchange.

S.R. 317-Y-16.—**Maintenance of residence.**

(1) The officer to whom a residence has been allotted shall maintain the residence and premises in a clean condition to the satisfaction of the Central Public Works Department and the Local Municipal Authorities.

(2) Such officer shall not grow any tree, shrubs or plants contrary to the instructions issued by the Government or Central Public Works Department not cut or lop off any existing tree or shrub in any garden, courtyard or compound attached to the residence save with the prior permission in writing of the Central Public Works Department.

(3) Trees, plantation or vegetation, grown in contravention of this rule may be caused to be removed at the risk and cost of the officer concerned.

S. R. 317-Y-17.—Subletting and sharing of residences :—

(1) (a) No eligible officer shall share the residence allotted to him or any of the out houses, and garages appurtenant thereto except with the eligible officers under these rules and with the approval of the Head of the Department.

(b) The rent charged from the officer sharing the accommodation shall be reasonable.

(c) The servant's quarters and garages may be used only for the bona-fide purposes, including residence of the servants of the allottee or for such other purposes as may be permitted by the Head of the Department.

(2) No eligible officer shall sublet the whole of his residence :

Provided that an eligible officer proceeding on leave may accommodate in the residence any other eligible officer to share Government accommodation, as a caretaker, for the period specified in S. R. 317-Y-9 but not exceeding six months.

(3) Any eligible officer who shared or sublets his residence shall do so at his own risk and responsibility and shall remain personally responsible for any licence fee payable in respect of the residence and for any damage caused to the residence or its precincts or grounds or services provided therein by Government beyond fair wear and tear.

S. R. 317-Y-18.—**Consequences of breach of rules and Conditions:—**

(1) If an eligible Officer to whom a residence has been allotted,

(i) sublets without authorisation the residence or part thereof, or

(ii) erects any unauthorised structure in any part of the residence, or

(iii) Charges licence fee from the sub-tenant at a rate which the Head of the Department considers excessive, or

(iv) erects any unauthorised structure in any part of the residence, or

(v) uses the residence or any part thereof for any purposes other than that for which it is meant, or

(vi) tampers with the electric or water connection, or

(vii) uses the residence or permits or suffers the residence to be used for any purposes which the Head of the Department considers to be improper, or

(viii) conducts himself in a manner which in the opinion of the Head of the Department is prejudicial to the maintenance of harmonious relations with his neighbours, or

(ix) has knowingly furnished incorrect information in any application or written statement with a view to securing the allotment, or

(x) commits any other breach of these rules or of the terms and conditions of the allotment, the Head of the Department may, without projudice to any other disciplinary action that may be taken against him, cancel the allotment of the residence.

Explanation :—In this sub-rule, the expression 'eligible officer' includes, unless the context otherwise requires, a member of his family and any person claiming through the Officer.

(2) (a) If an eligible officer sublets a residence allotted to him or any portion thereof or any of the out-houses, garages or appurtenant thereto, in contravention of these rules he may, without prejudice to any other action that may be taken against him, be charged enhanced licence fee not exceeding four times the standard licence fee under F. R. 45-A.

(b) The quantum of licence fee to be recovered and the period for which the same may be recovered in each case will be decided by the Head of the Department on merits.

(c) In addition, the officer may be debarred from sharing the residence for a specified period in future as may be decided by the Head of the Department.

(3) (a) Where action to cancel the allotment is taken on account of unauthorised subletting of the premises by the allottee, a period of sixty days shall be allowed to the allottee, and any other person residing with him therein to vacate the premises

(b) The allotment shall stand cancelled with effect from the date of vacation of the premises or expiry of the period of sixty days from the date of the orders for the cancellation of the allotment, whichever is earlier.

(4) Where the allotment of a residence is cancelled for conduct prejudicial to the maintenance of harmonious relations with neighbours, the officer at the discretion of the Head of the Department may be allotted another residence in the same type at any other place.

(5) Head of the Department shall be competent to take all or any of the actions under sub-rules (1) to (4) and also to declare the officer, who commits a breach of the rules and instructions issued to him, to be ineligible for allotment of residential accommodation for a period not exceeding three years.

S. R. 317-Y-19.—**Overstayal in residence after cancellation of allotment.**

Where, after an allotment has been cancelled or is deemed to have been cancelled under any provision contained in these rules, the residence remains in occupation of the Officer to whom it was allotted or of any person claiming through him, such officer shall be liable to pay damages for use and occupation of the residence, services, furniture and garden charges, equal to the market rent as may be determined by the Government from time to time.

S. R. 317-Y-20.—**Continuance of allotments made prior to the issues of these rules.**

Any valid allotment of a residence which is subsisting immediately before the commencement of these rules shall be deemed to be an allotment made under these rules notwithstanding that the officer to whom allotment has been made is not entitled to a residence of that type under S. R. 317-Y-4 and all the preceding provisions of these rules shall apply in relation to that allotment or that officer accordingly.

S R. 317-Y-21.—**Interpretation of rules.**

If any question arises as to the interpretation of the rules in this Division it shall be decided by the Government.

S. R. 317-Y-22.—**Relaxation of rules.**

The Government may for any reasons to be recorded in writing, relax any or all of the provisions of the rules in this Division in the case of any eligible officer or residence or class of eligible officers or type of residences.

S.R. 317-Y-23.—**Delegation of powers of functions.**

The Head of the Department may delegate all or any of the powers conferred upon him by these rules in this Division to any officer under his control, subject to such conditions as he may deem fit to impose.

SCHEDULE

[S. R. 317-Y-6(2)]

Essential category of eligible officers.

1. One Caretaker.
2. Staff Car Drivers.
3. One Electrician. (from P.W.D.)
4. Four Chowkidars (Watchmen).
5. Two Farashes.
6. One Air Conditioning Mechanic (C.P.W.D.)

DIRECTORATE GENERAL OF FACTORY ADVICE SERVICE AND LABOUR INSTITUTES

FORM 'A'

(S R. 317-Y-5)

Form of application for officers of the Directorate General of Factory Advice Service and Labour Institutes.

1. (a) Name in Full Shri/Shrimati/Kumari
(In Block letters)

(b) Present designation

(c) Scale of pay

(d) Particulars of permanent/ quasi-permanent post held.

2. (a) Emoluments as on 1st January 19

Pay	Special Pay	Dearness Pay	Deputation (Duty allowance)	Pension in addition to Pay if any	Total
Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	

(b) Indicate the source from which emoluments are drawn if not from the consolidated funds of the Government of India.

(c) Date since when the emoluments in (a) above being drawn.

3. Type to which entitled with priority date (Vide S. R. 317-Y-4)

Present classification.

Type of accommodation Priority date

Appropriate Type :

Next below type :

4. Particulars of Government residence, if any allotted :

(i) by the Head of the Department

(ii) by other Government Departments (give name of the department)

5. (a) Does the applicant stand debarred from Government residence ?

(b) If reply to (a) is in the affirmative indicate the details thereof.

(i) Period From To
(ii) Letter No. dated

6. (a) Whether the applicant, his wife/her husband or dependent child(ren) own a house at the station of duty ? If so, give particulars.

House No. and street and relation-ship with the owner and extent of ownership.

(b) If already declared eligible give number and date of the letter.

Letter No. dated

7. Particulars of surety in case of temporary officers :—

(i) Name

(ii) Permanent post held.

(iii) Office to which attached.

(iv) Does the surety subsist.

Certified that I have read all governing the allotment of residence and declare that the particulars given by me above are correct and that the allotment to be made to me or already made shall be subject to these rules and subsequent amendments, if any thereto.

Date

Signature
Office to which attached.

FOR USE IN OFFICE

Particulars of residence allotted.

Dated initials of the clerk.

Dated initials of the Office Superintendent.

Dated initials of the Head of the Department.

Note : Pension should include the portion of the pension equivalent to death-cum-retirement gratuity and the portion of pension commuted if any.

Fill next below particulars only if accommodation in Next Below Type is desired.

FORM—'B'

(S. R. 317-Y-11)

I, Shri ——————————son of —————————— at present employed as———————————in the —————— ————————————————hereby stand surety (which expression shall include my heirs, executors, and administrators) to the President of India (hereinafter called the 'The Government' which expression includes his successors and assignees) for payment by Shri——————————at present employed as——————————of licence fee and other due in respect of residence now allotted to him by the Government as also for any residence that may be allotted to him from time to time by the Government.

I, the surety hereby undertake to indemnify the Government against all loss and damage that may be sustained by or caused to the Government by reason of allotment of residence to the said————————————————until delivery of vacant possession of the same is made to the Government. I, the surety hereby further undertake to pay to the Government forthwith on demand by the Government and without any objection all such sums as may be due to the Government as aforesaid and I hereby agree that the Government shall be at liberty (and as hereby irrevocably authorised to do so) to recover the said sum from the salary payable to me and the decision of the Government as to the amount so as to be recovered shall be final and binding on me.

The above obligation undertaken by me shall not be discharge or in any way effected by any extension of time or any other indulgence granted by the Government to the said Shri——————————(Name of allottee) or by any other matter or thing whatsoever which under the law releasing me from my such liability. This guarantee shall not be revocable at any time or discharged by my death so long as the said Shri (Name of allottee)——————— continues to be in occupation of any such residence, servants, quarters and/or garage.

The Government have agreed to bear the stamp duty, if any, payable on this documents.
Signed and delivered by the said
at the day of 197

In the presence of:

Signature

Address an doccupation of witness

Signature of Surety:
Designation
Office to which attached.

Certified that the above surety is a permanent Government servant.

Signature of the Head of the
Department or the Office in
which surety is employed.
(With seal).

FORM 'C'

DIRECTORATE GENERAL, FACTORY ADVICE SERVICE AND LABOUR INSTITUTES

Application for change under S. R. 317-Y-13

1. Name
2. Particulars of accommodation presently occupied
   (a) Tu pe
   (b) Location
   (c) Date of priority for the type
3. Type of accommodation to which entitled on the basis of emoluments as drawn on the first of January of the Year of application.
4. Particulars of change desired:
   (a) Floor
   (b) Block No. and Flat No. if any:
5. Reasons for change:

Signature:
Designation.
Office.

Applicants should confine their request for change only in respect of floor (ground/first etc.) and/or another block No. or Flat No., if any. Any other preference mentioned in the application will be ignored.

[No. 17(13)/67-Fac. Vol. II]
K. D. HAJELA, Dy. Secy.

शुद्धि पत्र

का० आ० 2453—भारत के असाधारण राजपत्र के भाग 2, खण्ड 3, उप-खण्ड (ii), दिनांक 4 जुलाई, 1973 के पृष्ठ 1153 में प्रकाशित भारत सरकार के श्रम और रोजगार मत्रालय (श्रम और रोजगार विभाग) की अधिसूचना संख्या का० आ० 374 (अ), दिनाक 4 जुलाई, 1973 मे, पंक्ति 20 में "श्रम न्यायालय सख्या 2" के लिए "श्रम न्यायालय संख्या " पढ़िये।

[सख्या एल–39013/1/73–पी० एण्ड डी]

CORRIGENDUM

S.O. 2453.—In the notification of the Government of India in the Ministry of Labour and Rehabilitation (Department of Labour and Employment) No. S. O. 374(E), dated the 4th July, 1973, published in the Gazette of India Extra-Ordinary Part II, Section 3, Sub-section (ii) dated the 4th July, 1973, on page 1152, in line 10, for "Labour Court No. 2", read "Labour Court No. 1".

[No. L-39013/1/73-P&D]

नई दिल्ली, 14 अगस्त, 1973

का० आ० 2454.—बम्बई अपंजीकृत गोदी निकासी तथा अग्रप्रेषण कर्मकार (नियोजन का विनियमन) योजना, 1973 के खंड 4 के उप-खंड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा बम्बई सीमाकर सदन अभिकर्ता संघ, वार्डन हाउस, दूसरी मंजिल, सर पी० एम० रोड, फोर्ट. बम्बई–1 को उक्त योजना के दिन प्रतिदिन के प्रशासन को चलाने के प्रयोजन के लिये प्रशासकीय निकाय के रूप में नियुक्त करती है।

[51/1/70–पी० एण्ड डी०]
वी० शंकरालिंगम, अवर सचिव

New Delhi, the 14th August, 1973

S.O. 2454.—In exercise of the powers conferred by sub-clause (1) of clause 4 of the Bombay Unregistered Dock Clearing and Forwarding Workers (Regulation of Employment) Scheme, 1973, the Central Government hereby appoints the Bombay Customs House Agents Association, Warden House, 2nd Flor, Sir P. M. Road, Fort Bombay-1 as the Administrative Body for the purpose of carrying on the day-to-day administration of the said Scheme.

[No. 51/1/70-P&D.]
V. SANKRALINGAM, Under Secy.

PRINTED BY THE MANAGER GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-6, 1973